खण्ड-430, अंक-8
बुधवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1921
(31 मार्च, 1999 ई0)

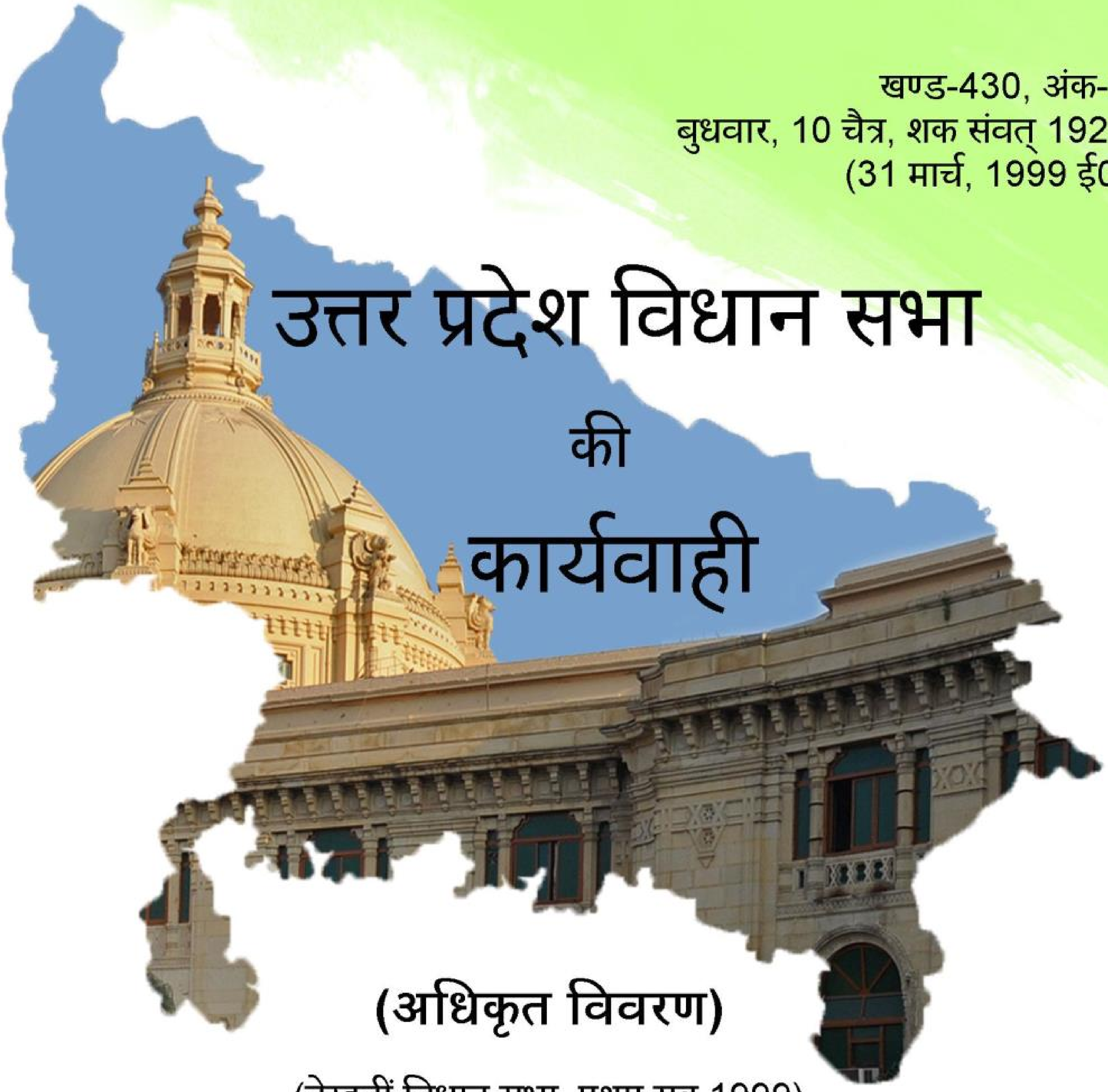

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	1–3
गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई धन-जन की हानि के संबंध में शोक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	3–5
गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई धन-जन की हानि पर शासन को वक्तव्य दिये जाने की मांग ...	6
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	6–8
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	8
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	8–9
जनपद मिर्जापुर के धोवा पम्प कैनाल से रैकरा तक माइनर निर्माण कराये जाने संबंधी श्री कामता सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतिकरण (उपस्थित की गई)	9
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्डों ज्ञानपुर, सुरियावां तथा डीथ में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में डा० बुद्धिराम बिन्द, श्री फूल चन्द्र, श्री तारकेश्वर नाथ पाण्डेय तथा श्री वीरेन्द्र सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिकाओं का प्रस्तुतिकरण (उपस्थित की गई)	9
जनपद गोण्डा के राजापुर ग्राम में एक तुलसी भवन तथा पुस्तकालय की स्थापना किये जाने हेतु डा० स्वामी भगवदाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतिकरण (उपस्थित की गई)	9
जनपद गोण्डा के मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मर कनवा को उच्चीकृत [illegible] संबंधी श्री हरीश कुमार पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतिकरण (उपस्थिति की गई)	10
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित)... ...	10
उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित) ...	10
गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई धन-जन की हानि पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	10–39
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	40–41

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित) ...	41–45
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित) ...	45–47
पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा विधायकों को प्रोटोकाल उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में शिकायत	47
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	47–64
बस्ती एवं बाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991–92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने के संबंध में श्री राम ललित चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	64–67
प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों द्वारा एन०सी०आर० तथा हुडको की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रलोभन दिखाकर जनता को अप्रत्यक्ष रूप से ऋणग्रस्त किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	67–71
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के लिये पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरख नाथ पाण्डेय द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	71–75
लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम०एस सी० (टेक) फर्मास्युटिकल कमेस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	76–80
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	80–81
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रैद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशित किये जाने हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	81
जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित इन्दिरा आवासों के आवंटन में पात्रता संबंधी नियमों की अवहेलना के संबंध में श्री राजधारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	82–83
प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुये शासन की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 10 प्रमुख विभागों को स्थानीय निकायों के स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	83–84
जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52-के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	84

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान में कतिपय संशोधन हेतु श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	84
जनपद अम्बेडकर नगर के बहुमुखी विकास के लिये लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु निर्माण तथा मार्ग चौड़ा करने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	84
अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	84
भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपरण आदि के पेटेन्ट संबंधी विधि में संशोधन किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	85
प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति पांच गांव विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मोहल्लों में विद्युतीकरण की अनुशंष के अधिकार के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	85–86
जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर करायें जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	86–87
एड्स से भी भयंकर बीमारी हिपोटाइटिस 'बी' के प्रदेशव्यापी फैलने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये पल्स पोलियो की भांति व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाये जाने के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	87–89
जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 के सहायक अभियन्ता श्री आर० के० अग्रवाल द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री बाबूलाल कुरील द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	89–90
मुख्य विकास अधिकारी जनपद मथुरा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	90–91
प्रदेश की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालय बनाये जाने के संबंध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	91–92

विषय	पृष्ठ संख्या
सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी तथा अध्यापकों की संख्या पूरी होने के मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति के घपलों की जांच कराये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	92
प्रदेश में वस्त्र-व्यवसाय पर प्रस्तावित "प्रवेश-कर" लगाये जाने से उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में श्री धनीराम वर्मा व अन्य सदस्यों द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	92–93
जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी के किनारे के ग्रामों में किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर अवैध बालू खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	93–94
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा कथित रूप से शासकीय आदेशों की अवहेलना कर अनियमिततायें व भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	94
जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा द्वारा वर्ग–3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारिण में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	94–95
प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनेक प्रकरण प्रकाश में आने तथा उसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	95
टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत होने वाले विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य तथा परियोजना पर होने वाले व्यय के विषय में कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	95
ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण की व्यवस्था के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	95
हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य-योजना के द्वितीय चरण के कार्यों के विषय में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ..	95–96
प्रदेश में गत वर्ष आलू किसानों की दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुये आलू की आगामी फसल हेतु शीतगृह आदि की विशेष व्यवस्था किये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	96
जनपद हरदोई स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल, सण्डीला के बन्द होने तथा मिल श्रमिकों की दयनीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसे चालू किये जाने हेतु संसाधन जुटाने के विषय में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	96

विषय	पृष्ठ संख्या
मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में से किसी जिले में भी विश्वविद्यालय न होने के विषय में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	96
प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार उसका पालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा अन्य द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	96
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाये जाने विषयक श्री राम औतार शाक्य एवं अन्य द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	96
प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये की स्थिति तथा एक निश्चित अवधि के उपरान्त बकाया गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने के विषय में श्री जगदम्बिका पाल एवं अन्य द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	97
उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के भत्तों के पुनरीक्षण से संबंधित शासनादेश जारी न किये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	97
प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिये "एकल खिड़की" प्रणाली प्रारम्भ करने तथा इस हेतु उद्यमियों के लिये निर्बाध विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कराये जाने के विषय में श्री राम औतार शाक्य एवं अन्य द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	97

उत्तर प्रदेश संसदीय

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री	वाराणसी
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	प्रेमपाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	बादशास सिंह, श्री	हमीरपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	बाबू खां, श्री	हरदोई
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	बेचन राम, श्री	गोरखपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	मंजू, श्रीमती	बलिया
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
कैलाश, श्री	गाजीपुर	महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर	महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
श्यामदेव राय चौधंरी, (दादा), श्री	वाराणसी
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सिंहासन सिंह, श्री	गाजीपुर
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

विधान सभा सचिवालय

बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, भूकम्प से बहुत ज्यादा त्रासदी हो गयी है ।

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र दे रहा हूं । आप मुझे सुन लें । बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री को अधिकार है कि वह इस्तीफा दे ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । इससे ज्यादा गंभीर बात है पहले उसे आ जाने दीजिए ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं । कृपया आप लोग बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक संवैधानिक संकट उपस्थित हो गया है । मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

एक मंत्री जी त्याग-पत्र देने से कैसे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया । मंत्री जी वक्तव्य अध्यक्ष की अनुमति से देंगे ।

उत्तरांचल के एक भाग में दैवी आपदा के कारण जान और माल की काफी क्षति हुई है और मैं यह समझता हूं कि आज की कार्यसूची के कार्य लिये जाने के पहले यह सदन जो इस दैवी आपदा में जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनके बारे में एक शोक प्रस्ताव पास करे । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्थल निरीक्षण करने के लिए गये थे और मैं चाहूंगा कि इस सदन के सामने 12.00 बजे वह अपना वक्तव्य दें । उसके पश्चात् इस सदन के माननीय सदस्यों को जो विचार व्यक्त करना है वह अपने विचार व्यक्त करें तत्पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर भी दे देंगे । एक बहुत गंभीर घटना घटित हो गयी है हम सभी उससे दुखी हैं ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अनंत प्रदेश विधान सभा

दूसरी घोषणा यह करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज दोपहर को भोज दिया था । मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस आपदा को देखते हुए उसे निरस्त कर दें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं उसको सुन लें । इस सदन की नियमावली बड़ी स्पष्ट है कि अगर एक मंत्री अपना त्याग-पत्र दे और वक्तव्य देना चाहे तो दे उसको अधिकार है । माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं उनका वक्तव्य पहले आ जाये ।

श्री अध्यक्ष–

उस नियम में यह भी होगा कि जब अध्यक्ष उनको अनुमति दें तभी उनको यह अधिकार नहीं है कि सदन की कार्यवाही रोककर अपना वक्तव्य दें ।

(व्यवधान के मध्य)

मंत्रि-परिषद् के किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है वह सदन की कार्यवाही रोककर यह कहे कि हम अभी ही वक्तव्य देंगे । आप नियम देख लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इनके स्वास्थ्य राज्य मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष–

दैवी आपदा के शोक प्रस्ताव से राजनीति बड़ी हो गई । दैवी आपदा छोटी हो गई । यह बड़े दुख की बात है । सारी बातें शोक प्रस्ताव के बाद कह लें । शोक प्रस्ताव के बाद आपकी बात सुन ली जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–276 को देख ले । मेरी बात सुन लें वह उस पर अपनी व्यवस्था दे दें । विपक्ष के सदस्य शांत बैठे हैं सत्ता पक्षके सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम–276 को दो बार पढ़ा है । किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्री पद का त्याग किया हो, उन्हें अध्यक्ष की सम्मति से अपनी त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा ।

अभी सम्मति मैंने नहीं दी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि अगर एक मंत्री ने त्याग-पत्र दिया है तो नियमावली के नियम–276 के अन्तर्गत वक्तव्य दिलाने की कृपापूर्वक अनुमति दी जाए । पूरा प्रदेश यह जानना चाहता है कि इस मंत्रि-परिषद् में यह फूट क्यों पड़ी ।

श्री अध्यक्ष–

इस अवसर पर छोटी राजनीति मत करिए । यह दैवी आपदा की घटना उससे ज्यादा बड़ी है । आप पूरा नियम पढ़ लीजिए । मैंने पूरा नियम पढ़ लिया है । जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और नेता सदन को भेजी जायेगी । तभी वक्तव्य होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

आप क्या चाहते हैं कि सदन स्थगित कर दिया जाए । सारे देश के अन्दर यह संदेश जाए कि इस सदन ने शोक संदेश में भी व्यवधान उत्पन्न किया । यह राजनीति का निकृष्टतम रूप है । बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप नियम–276 (2) को देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप किसे नियम पढ़ा रहे हैं । नियम तो यह भी है कि जब अध्यक्ष खड़ा होगा तो सभी सदस्य बैठ जायेंगे । मैंने व्यवस्था दे दी है कि पहले शोक प्रस्ताव होगा । मंत्री के वक्तव्य के लिए नियम पढ़ा रहे हैं । स्वयं नियम का पालन नहीं करेंगे ।

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली रुद्र प्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई धन-जन की हानि के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, हाल ही में पर्वतीय अंचल में भयंकर भूकम्प की त्रासदी के कारण बहुत से लोगों की जानें गई हैं । पशु भी मरे हैं, धन की भी क्षति हुई है और मकानों की भी क्षति हुई है । मैं कल स्वयं वहां होकर आया हूं । बहुत ही कारुणिक दृश्य उपस्थित है । मैं इस संबंध में आपकी अनुमति से एक शोक-प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :–

श्रीमन्, यह सदन दिनांक 29 मार्च, 1999 को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में चमोली, रूद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में आये भयंकर भूकम्प में एक सौ से अधिक मृत व्यक्तियों और सैकड़ों घायलों और अपार सम्पत्ति की हानि के प्रति शोक प्रकट करता है और मृत व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके शोक संतृप्त परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति दे । यह सदन भूकम्प में घायल हुये व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । इतनी भयंकर त्रासदी इन पर्वतीय जिलों में आयी है । लाखों लोग बे-घर हो गये हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुये हैं । आज इस घटना से प्रदेश ही नहीं पूरा देश शोकाकुल है । मान्यवर, इस संबंध में पहले ही वैज्ञानिकों ने ऐसी चेतावनी भी दी थी कि ऐसे भूकम्प किसी भी समय आ सकते हैं अगर इसके लिए शासन स्तर पर पहले से ही कोई...

नो ट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, इस समय केवल शोक प्रस्ताव तक ही आप सीमित रहें । 12.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी का इस पर वक्तव्य आयेगा तब आप इस पर अपने विचार व्यक्त करियेगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस घटना से मैं और मेरा दल बहुत दुखी है । मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी ये संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो शोक प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने रखा है और जिस पर नेता समाजवादी पार्टी ने अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, प्रदेश और देश के सामने एक ऐसे भूकम्प की त्रासदी आयी जिसमें तमाम लोग काल कवलित हो गये, तमाम धन की क्षति हुई और तमाम ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे हैं और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको अभी सही इलाज नहीं मिल पाया है । मैं ऐसे सभी लोगों के प्रति अपने दल की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं और जो व्यक्ति घायल हुये हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से व्यक्त की गयी शोक संवेदना के ये भाव उनके दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतान्चल में आये भूकम्प के बारे में जो शोक प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने यहां रखा है मैं उससे अपने को और अपने दल को जोड़ता हूं । आज इस घटना से प्रदेश ही नहीं पूरा देश शोकाकुल है । कुछ दिन पहले मालपा की त्रासदी हुयी, पुनः यह घटना हो गयी इसके पूर्व पूर्वांचल में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा ।

इस तरह की जो दैवी आपदा उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रही है इससे हम व हमारा दल एवं पूरा सदन चिन्तित है । इस संबंध में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा है कि कोई वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए पहाड़ का, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके । मान्यवर, बड़े दुखी हृदय से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनायें पीड़ितों के परिवार जनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है और जिस पर माननीय नेता समाजवादी पार्टी, माननीय नेता, बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस त्रासदी में जो लोग मारे गये हैं या घायल हुए हैं उनके परिवारजनों तक शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस राष्ट्रीय त्रासदी की घड़ी में जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने रखा है और जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी से अशोक जी ने, बरखू राम जी ने, श्री सरदार सिंह जी ने, श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने रखा है, उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, यह दैवी आपदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी राष्ट्रीय आपदा और राष्ट्रीय संकट की घड़ी से कम नहीं है । मैं जरूर चाहूंगा अपने शोकोद्गार व्यक्त करते हुए कि इसमें दलों की सीमाओं या राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर इस संकट का सामना हम सब मिलकर करें । इसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि इस पर इसके बाद तत्काल चर्चा करा लें । सरकार का वक्तव्य ले लें और हम लोगों के सुझाव इस विषय में ले लें कैसे इस मुसीबत का सामना किया जा सकता है मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार को कोई भी अपने संसाधन उठा नहीं रखने चाहिए जिससे इस त्रासदी में जो लोग घायल हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शोकोद्गार व्यक्त करता हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 28/29 की रात में आये हुए भूकम्प ज़लज़ले से लाखों लोग घर से बेघर हो गये और 100 से अधिक लोगों की जान गई । मैं और मेरा दल माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव किया है, से अपने को सम्बद्ध करता है और आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग बेघर हो गये हैं उनको राहत पहुंचाई जाये । मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों में पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने 29 मार्च को आये भूकम्प में दिवंगत लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव पर विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन् इस आपदा में तकरीबन 200 लोगों की जान गई है और लाखों लोग बेघर हुए हैं तथा बड़ी संख्या में लोग घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं । इस प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, उनका पूरी ताकत व क्षमता के साथ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में इस्तेमाल करना चाहिए । मैं अपने व अपने दल की ओर से इस आपदा में दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने का कामना करता हूं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनाएं उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री रामजग–

माननीय अध्यक्ष जी, 28/29 की रात में उत्तराखण्ड में भूकम्प के आने से भंयकर तबाही हुई एक सौ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है । माननीय नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और विभिन्न दलों के नेतागणों ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह जो भयंकर भूकम्प की दैवी आपदा आई है जिससे सैकड़ों लोगों की हत्यायें हुई हैं वह प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद है इस दुख की घड़ी में, मैं और मेरा दल बहुत दुखी है आप हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें मृतक परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन द्वारा जो शोक प्रस्ताव और अन्य दलों के नेताओं द्वारा जो शोक संवेदनायें रखी गयी हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इसमें मृतक हुए हैं उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वस्थ करने की भगवान कृपा करे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें शोक संतृप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 29 मार्च को उत्तर प्रदेश में पर्वतीय अंचल के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल में दैवी आपदा आई है, भयंकर भूकम्प में एक सौ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है अपार क्षति हुई है, तमाम मकान टूट गए, कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जो बंदीगृह में थे, दीवार गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई, छोटे बच्चों और महिलाओं की मृत्यु हो गई, बहुत दुखद घटना हुई ।

नेता सदन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस सदन में विभिन्न दलों के अनेक नेताओं ने शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और यह प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं इसे सर्वसम्मति से पारित करें और प्रस्ताव पारित होने के बाद दो मिनट का मौन धारण करेंगे ।

प्रस्ताव यह है–"यह सदन दिनांक 29 मार्च, 1999 को प्रदेश में पर्वतीय इलाकों चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में आये भयंकर भूकम्प में एक सौ से अधिक मृत व्यक्तियों और सैकड़ों घायलों और अपार सम्पत्ति की हानि के प्रति शोक प्रकट करता है और मृत व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे तथा उनके शोक संतृप्त परिवारों को यह क्षति सहन करने की शक्ति दे । यह सदन भूकम्प में घायल हुए व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है ।"

(उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ तदुपरान्त मृतकों की आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया)

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली रुद्रप्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई धन जन की हानि पर शासन को वक्तव्य दिये जाने की मांग

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर 12 बजे अपना वक्तव्य दे देंगे । जो सुझाव, विचार होंगे उसके साथ ही सुन लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम लोगों के विचार चलते रहें । माननीय मुख्य मंत्री जी 12.00 बजे अपना वक्तव्य दें तो ठीक है । मान्यवर, इससे ज्यादा दुखद घटना और क्या होगी और आप भी स्वयं दुखी होंगे, इस पर प्राथमिकता देनी चाहिए । इससे ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है । 12.00 बजे जिस पर समय माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे फिर यदि कोई स्पष्टीकरण मांगना चाहेगा तो मांग लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सारा सदन सहमत हो तो थोड़े से औपचारिक कार्य हैं उसको पहले कर लें उसके पश्चात् इसको ले लेंगे ।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् से त्याग पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, औपचारिक कार्य कर लें । दूसरी बात यह है और मैं बड़े ही विनम्रतापूर्णक निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी अभूतपूर्व घटना इस विधान सभा में घटी है । इस मंत्रि-परिषद् के सम्मानित सदस्य ने त्याग-पत्र दे दिया है और माननीय मुख्य मंत्री उस समय सदन में मौजूद थे । यह तो सदन की सम्पत्ति बन गया है । मान्यवर, यह सदन और हम जानना चाहते हैं कि जिन सम्मानित मंत्री को त्याग-

पत्र देना पड़ा उसके पीछे कारण क्या था क्या उनकी व्यथा थी, क्या दुख था जिसके कारण उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा । अगर कहीं बाहर दिये होते तो नियम–256 का पालन करते लेकिन उन्होंने सदन के अन्दर दिया है । वह अपनी व्यथा यहां पर कहना चाहते हैं । वह मंत्री है और अभी उनका त्याग-पत्र स्वीकार भी नहीं हुआ है, तो यदि मंत्री हैं, तो उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है तो उनको देने दिया जाय ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नियम–276 का उल्लंघन नहीं हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने नियम–256 का हवाला दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है । आप कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

माननीय बाजपेयी जी, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसमें व्यवस्था तो मुझे देना है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के किसी माननीय मंत्री द्वारा सदन में इस्तीफा देने की घोषणा यह कदाचित् पहली घटना है । उस इस्तीफे की घोषणा के समय माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित थे । उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है वे मंत्रिपरिषद् के सदस्य हैं कि नहीं, मुख्य मंत्री जी ने उनके इस्तीफे के संबंध में संस्तुति की कार्यवाही की है या नहीं । वे सदन के समक्ष अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, उन्हें अनुमति देने की कृपा करें । आपका निर्णय मान्यवर, कल के लिए नजीर बनेगा ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मत्रि-परिषद् के एक माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है उनको सदन के सम्मुख अपनी बात कहने का अधिकार है। उनके इस्तीफे से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है । इस्तीफा देने के उपरान्त वे मंत्री के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे या नहीं । मंत्री जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीतियों के खिलाफ इस्तीफा दिया है । प्रदेश की जनता पहले ही इस लचर और नपुसंक सरकार से परेशान थी, सरकार के खिलाफ जो इस्तीफे के रूप में आवाज आयी है, इसमें वक्तव्य होना चाहिए ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय देवेन्द्र सिंह भोले जी ने मंत्रि-परिषद् से इस्तीफा दे दिया है । उनका इस्तीफा सदन के समक्ष हुआ । वे अपना वक्तव्य यहां देना चाहते हैं । मान्यवर, उनका वक्तव्य आ जाये । नियम–276 में इसकी बावत व्यवस्था भी है ।

श्री अध्यक्ष–

आज सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय देवेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि वह अपना त्याग पत्र मंत्रि-परिषद् के सदस्य के रूप में दे रहे हैं उन्होंने अपना त्याग-पत्र मुख्य मंत्री जी को भी दे दिया है । जब तक मंत्रि-परिषद् के किसी भी सदस्य का त्याग पत्र स्वीकृत नहीं हो जाता है महामहिम राज्यपाल के द्वारा, तब तक ऐसा सदस्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य बना रहता है वह कार्य करे या न करे यह उनकी स्वेच्छा पर है । जहां तक नियम 276 का प्रश्न है, दोनों प्रकार का वक्तव्य हो सकता है लिखित भी और मौखिक भी । परन्तु इनमें प्रतिबन्ध है जहां भी अधिकार दिया जाता है तो उसमें अधिकारों की सीमा निर्धारित की जाती है । नियम 276 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने जिसने मंत्रि पद का त्याग किया है उसको अधिकार है कि वह सदन में वक्तव्य दे परन्तु इस नियम के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तर्गत सीमा निर्धारित की गयी है पहला यह कि ऐसा वक्तव्य अध्यक्ष की सम्मति से दिया जायेगा और दूसरा यदि लिखित वक्तव्य है .....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के वह सदस्य है, वह बोलना चाहते हैं। मैंने यह उठाया था कि 276 में तब आयेगा जब मुख्य मंत्री जी बता दें कि इस्तीफा स्वीकार किया गया और जब स्वीकार करेंगे तो महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे। अभी तो त्याग-पत्र की स्थिति है, अभी वह मंत्रि-परिषद् के सम्मानित सदस्य हैं और इसके नाते उनको अधिकार है और इसी अधिकार के तहत वह बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह बता रहा हूं कि यदि माननीय मंत्री जी का लिखित वक्तव्य होता है तो ऐसे वक्तव्य की एक प्रति अध्यक्ष को और नेता सदन को, जिस दिन वक्तव्य हो तो उसके एक दिन पहले दे दी जानी चाहिए, परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और सदन को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, भेजा जायेगा। तो इसलिए अगर माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं तो उसकी एक प्रति मुझे देंगे और नेता सदन को देंगे, तो नियमतः आने पर विचार कर लेंगे। इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(श्री प्रमोद तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मंत्री जी कुछ कहेंगे, लिखित कहेंगे या मौखिक कहेंगे, यह नियम में है, मैं तो नियम के अनुसार चलूंगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 †

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 मार्च, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक †

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

1–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

2–उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हो गया।

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है ।

(श्री बावन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य बावन सिंह जी अनुपस्थित हैं ।

जनपद मिर्जापुर के धोवा पम्प कैनाल से रैकरा तक माइनर निर्माण कराये जाने सम्बन्धी श्री कामता सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतीकरण †

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से धोवा पम्प कैनाल से रैकरा तक माइनर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामता सिंह या अन्य निवासीगण–जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(श्री रघुनाथ सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह चौहान अनुपस्थित हैं ।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास तथा ज्ञानपुर सुरियावां डीघ में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा० बुद्धिराम बिन्द, श्री फूलचन्द्र, श्री तारकेश्वर नाथ पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड, ज्ञानपुर के ग्राम पंचायत दशवतपुर में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा० बुद्धिराम बिन्द तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

2–श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां ग्राम गड़ौरा में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द्र तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

3–श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड डीघ, ग्राम जगापुर में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री तारकेश्वर नाथ पाण्डेय तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

4–श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां ग्राम पंचायत अमियां में राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गोण्डा के राजापुर ग्राम में एक तुलसी भवन तथा पुस्तकालय की स्थापना किये जाने हेतु डा० स्वामी भगवदाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतीकरण †

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गोण्डा के राजापुर ग्राम में एक तुलसी भवन तथा तुलसी पुस्तकालय की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० स्वामी भगवदाचार्य, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत करने संबंधी श्री हरीश कुमार पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का प्रस्तुतीकरण †

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसकनवां को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में श्री हरीश कुमार पाण्डेय, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 9, 10 व 11 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 ††

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन), विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सड़क–पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 ††

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सड़क–पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क–पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सड़क–पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली रुद्रप्रयाग तथा टिहरी में आये भयंकर विनाशकारी भूकम्प से हुई जन-धन की हानि पर मा० मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, भूकम्प का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और अभी मैंने आपसे अनुरोध किया था, उस पर आपने कुछ व्यवस्था भी दी थी।

---

† विवरण 31.3.99 के बुलेटिन गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, तिवारी जी ने अनुरोध किया था कि शोक प्रस्ताव के तुरन्त बाद ही भूकम्प पर चर्चा हो जाय। मैंने कहा था कि औपचारिक कार्य पहले हो जाय, उसके बाद करा देंगे। औपचारिक कार्य वैसे तो मद संख्या–15 तक है। मद संख्या–16 औपचारिक भी है किन्तु मूल रूप से विधायी कार्य है। इसलिये भूकम्प वाले प्रश्न को अभी ले लेते हैं।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

ठीक है।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

प्रतियां अभी आ रही हैं, माननीय सदस्यों को जल्द ही मिल जायेगी। प्रमोद कुमार जी से मैंने प्रातः बात भी कर ली थी।

श्रीमन् जो त्रासदी आई है, भूकम्प की उत्तरांचल में, उसके संबंध में वक्तव्य के रूप में मैं आपकी अनुमति से सदन में अपनी बात रख रहा हूं। भूकम्प का स्वरूप–दिनांक 28/29 मार्च, 1999 की रात्रि में लगभग 12.30 बजे अचानक भूकम्प के झटके आयें। मुख्य रूप से चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद प्रभावित हुये। टिहरी गढ़वाल में भी भूकम्प के झटके लगे। रिक्टर पैमाने के अनुसार भूकम्प की तीव्रता 6.8 आंकी गई। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकम्प की गहराई 33 किलोमीटर नापी गई है। इस भूकम्प की गहराई अगर कम होती तो हादसा और भी भयानक होता। भूकम्प अचानक आया और भूकम्प के पूर्वानुमान तथा अग्रिम चेतावनी की कोई व्यवस्था अभी तक विकसित नहीं हो सकी है। विश्व के वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं।

भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र–उत्तरांचल के अनेक जनपदों में भूकम्प के झटके अनुभव किये गये किन्तु इसकी तीव्रता चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में अधिक थी। चमोली जनपद में चमोली नगर और लगभग 250 गांव भूकम्प से प्रभावित हुये। रुद्रप्रयाग जनपद में लगभग 200 गांव भूकम्प से प्रभावित हुये। इस प्रकार चमोली नगर तथा दोनों जनपदों के लगभग 450 गांव भूकम्प से प्रभावित हुये।

भूकम्प से जन-हानि

चमोली जनपद

मृत्यु	56
घायल	119

रुद्रप्रयाग जनपद

मृत्यु	34
घायल	150

इस प्रकार दोनों जनपदों में कुल 90 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 269 व्यक्ति घायल हुए।

ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है, मृतक एवं घायल व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि संभावित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूकम्प से मकानों की क्षति—

भूकम्प से मकानों की क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार चमोली जनपद में पूर्ण ध्वस्त मकानों की संख्या 1100 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 4200 है।

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद में पूर्ण ध्वस्त मकानों की संख्या 750 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 3160 है। इस प्रकार दोनों जनपदों में मिलाकर 1850 मकान पूर्ण ध्वस्त तथा 7360 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

बचाव कार्य—

भूकम्प आने के कुछ घण्टों बाद ही सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा लगभग 350 व्यक्तियों को मलवे से निकालकर उनकी जान बचायी गयी। सेना और आई० टी० बी० पी० द्वारा यह अत्यन्त सराहनीय कार्य किया गया है।

घायलों का उपचार—

28-29 मार्च की रात्रि से ही घायलों को जिला अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती कराकर इलाज प्रारम्भ किया गया।

कुल घायल—	269
मामूली चोट का उपचार करके अस्पताल से छुट्टी दी गयी	192
अस्पताल में भर्ती	77
खतरे से बाहर	71

घायलों के शीघ्र उपचार के लिये 13 विशेष मेडिकल टीम अन्य जनपदों से भेजी गयी है, घायलों को अस्पताल लाने के लिए 11 एम्बुलेन्स लगायी गयी हैं।

घायलों का इलाज पूर्णतया निःशुल्क किया जा रहा है।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका शीघ्र उपचार कर व्यक्तियों की जान बचाने का त्वरित कार्य किया गया।

भूकम्प राहत हेतु व्यापक प्रबन्ध—

प्रत्येक कमाऊ मृतक के परिवार को सहायता	1 लाख रुपये
प्रत्येक गैर कमाऊ मृतक के परिवार को सहायता	50 हजार रुपये
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सहायता	10 हजार रुपये
साधारण रूप से घायल व्यक्ति को सहायता	2500 रुपये
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक परिवार को अहेतुक सहायता	1500 रुपये
पूर्ण ध्वस्त मकान के लिए सहायता	25 हजार रुपये
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान जो रहने योग्य नहीं रह गया है, के लिए सहायता	15 हजार रुपये

बड़े पशु (जैसे–गाय, भैंस आदि) की मृत्यु पर सहायता	2000 रुपये
छोटे पशु (जैसे–भेड़, बकरी आदि) की मृत्यु पर सहायता	500 रुपये

उल्लेखनीय है कि मानकों के अनुसार मृतकों को 25 हजार तथा 50 हजार रुपये ही देय है किन्तु भयंकर त्रासदी और विपदा को देखते हुए सहायता की धनराशि दुगनी अर्थात् 50 हजार तथा एक लाख रुपये की गयी है ।

इसी प्रकार आवासों की क्षति के लिए मानकों के अनुसार अधिकतम 7500 रुपये का प्राविधान है । आवासों के लिए जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, सहायता की धनराशि बढ़ाकर 25 हजार तथा 15 हजार रुपये की गयी है ।

विशेष राहत कार्य–

तात्कालिक राहत हेतु भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में निःशुल्क भोज, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सकों के दल द्वारा निःशुल्क दवाई वितरण, लालटेन, मिट्टी का तेल, मोमबत्तियां, माचिस आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है । 13 राहत शिविर स्थापित किये गये हैं जिनमें टेन्ट लगाकर बेघर व्यक्तियों को शरण दी गई है । 13 टैंकरों एवं 20 बड़ी टंकियों द्वारा बाहर से पानी लाकर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है । जिन गांवों में पहुंचना संभव नहीं है, वहां हेलीकाप्टर से खाद्य एवं राहत सामग्री वितरित की जा रही है । प्रशासनिक व्यवस्था–जिला प्रशासन द्वारा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर में बांटकर प्रत्येक सेक्टर के लिए एक टीम गठित की गई है ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से चल सके । राहत कार्य में तेजी लाने हेतु अन्य जनपदों से वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । जिलाधिकारियों को टी०आर० 27 से धन आहरण का अधिकार दे दिया गया है ताकि वे आवश्यकतानुसार धन का तुरन्त आहरण कर सकें ।

सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि भूकम्प से प्रभावित परिवारों को तत्काल एवं पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और इसमें धन की कमी को कतई आड़े नहीं आने दिया जायेगा । दिनांक 29 मार्च, 1999 को ही माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री डा० रमेश पोखरियाल तथा माननीय राज्य मंत्री श्री मातवर सिंह कण्डारी द्वारा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया और राहत कार्य में तेजी सुनिश्चित की गयी । दिनांक 30 मार्च, 1999 को स्वयं मेरे द्वारा चमोली एवं रुद्रप्रयाग जनपदों का व्यापक दौरा किया गया । भूकम्प से हुई क्षति एवं राहत कार्यों का निरीक्षण भी किया । मैंने स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद में भटवाड़ी ग्राम का भी दौरा किया जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा इस गांव के सभी मकान इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो गये हैं कि वे अब रहने योग्य नहीं हैं । जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि राहत कार्यों में ढिलाई या गड़बड़ी अक्षम्य होगी और कहीं कमी पायी गयी तो सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

राहत कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से न किये जाने और ढिलाई के आरोप में पौड़ी गढ़वाल के मण्डलायुक्त को निलम्बित कर दिया गया है । छात्रों की परीक्षायें स्थगित–रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों में भूकम्प की त्रासदी से छात्रों द्वारा परीक्षा हेतु पढ़ाई करना और परीक्षा देना दुष्कर कार्य हो गया है अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों की 28 मार्च, 99 क [illegible] की समस्त परीक्षायें स्थगित की जाती हैं और ये परीक्षायें इन जनपदों की स्थिति सामान्य होने के पश्च [illegible] बाद में आयोजित की जायेंगी । केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा कार्य-भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में थल सेना, वायु सेना, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा भूकम्प आने के तुरन्त बाद से ही युद्ध स्तर पर राहत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । शासन इन एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अपना आभार व्यक्त करता है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता–केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय दल भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है । स्वयं मेरी माननीय प्रधान मंत्री जी से वार्ता में प्रधान मंत्री जी द्वारा भूकम्प की इस विपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग और सहायता का आश्वासन दिया गया है । प्रदेश सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करती है । भूकम्प की समस्या के समाधान के दीर्घकालीन उपाय–प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि उत्तरांचल के समस्त जनपदों के प्रत्येक नगर और गांव का रिमोट सेंसिंग द्वारा गहन सर्वेक्षण कराया जाय ताकि संवेदनशील स्थल चिन्हित हो सकें । इन संवेदनशील स्थलों के चिन्हित होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि मकानों का निर्माण किन स्थानों पर किया जाना सुरक्षित है ।

यदि संवेदनशील स्थलों पर पहले ही आवास बने हुए हैं तो उन आवासों को किस प्रकार मजबूती प्रदान करके सुरक्षित बनाया जा सकता है यह कार्यवाही भी करनी होगी । भूकम्प तो एक प्राकृतिक विपदा है यह तो यदा-कदा हमें सहन करनी ही पड़ेगी किन्तु हमारी दीर्घकालीन नीति में भूकम्प की विपदा का सामना करने के लिए पहाड़ के निवासियों की क्षमता विकसित करना और शासन-प्रशासन को इस विपदा से निपटने के लिए अपने को सक्षम बनाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा । पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण के लिए इको-रेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ हिल्स एरियाज योजना विश्व बैंक की सहायता से तैयार की जा रही है जिसकी कुल लागत 2,100 करोड़ रुपये है । विश्व बैंक की सहायता से 350 करोड़ रुपये की लागत से एक इन्टीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट तैयार कराया जा रहा है जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबन्ध एवं पर्यावरण के संतुलन हेतु व्यापक कार्य-क्रम शामिल किये गये हैं ।

मैं अपने मंत्रि-मण्डल के सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने सभी भत्तों को सम्मिलित करते हुए अपने आधे माह का वेतन भूकम्प राहत कोष में जमा किया है । माह मार्च, 1999 तक का आधा वेतन माननीय मंत्रीगण द्वारा पूर्व में ही बाढ़ राहत कोष में दिया जा रहा है । श्रीमन्, मैं इस अवसर पर विशेष रूप से स्वयं सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संकट की इस अभूतपूर्व घड़ी में राज्य सरकार की सहायता की तथा भोजन, दवाइयां इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई । इस अवसर पर मैं उत्तरांचल की जनता के धैर्य की सराहना भी करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट की घड़ी में इस कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ किया । मैं सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषम संकट की घड़ी में पूरे मनोयोग से राहत कार्यों में सहायता प्रदान की ।

अन्त में अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि भूकम्प का यह संकट अभूतपूर्व है । जहां एक ओर हमें अधिकाधिक राहत उपलब्ध करानी है वहीं दूसरी ओर स्थिति सामान्य हो जाने के पश्चात् मकानों की व्यवस्था एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे । साथ ही भूकम्प से सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा-सड़क, बिजली एवं बन्धों आदि की जो क्षति हुई है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी से करना होगा । इन सभी कार्यों को करने में सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग का अनुरोध करता हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दैवीय आपदा में हम सभी दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर मिलकर कार्य करेंगे ताकि पीड़ितों की अधिक से अधिक सहायता हो सके ।

श्रीमन्, मैंने एक और निर्णय लिया है, वहां पर जो जन-धन की क्षति हुई है, सड़क की क्षति हुई है उसका एक पैकेज बनाकर हम भारत सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह हमारी अधिक से अधिक सहायता करें । प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोई पैकेज बनाकर भेजिए, केन्द्र सरकार इस त्रासदी में राज्य सरकार की पूरी-पूरी सहायता करेगी और केन्द्र सरकार की ओर से भी

यहां आज या शायद कल एक दल वहां जा रहा है, वह भी वहां की स्थिति का आंकलन करेगा और उसके आधार पर भारत सरकार की ओर से इस त्रासदी से उबरने और भूकम्प पीड़ितों की सहायता हेतु पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि आपके जो सुझाव हों वह दें, ये सुझाव मार्गदर्शन का काम करेंगे । हम सब मिलकर इस त्रासदी का मुकाबला करें क्योंकि यह मसला सभी से संबंधित है, किसी दल से संबंधित नहीं है, पीड़ित मानवता की सेवा से संबंधित है । इन शब्दों के साथ जो वस्तुस्थिति मैंने देखी थी, उसको मैंने आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया है ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा निर्णय हुआ था, नियम–311 की भी सूचनायें आईं थीं । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद अब मैं दलवार बुला लूं ? अब मैं दल के माननीय नेताओं को बुला रहा हूं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दुखद त्रासदी है, मान्यवर, एक राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय त्रासदी की घड़ी में मान्यवर आज प्रदेश आ गया है । मान्यवर, जैसा अभी सभी को मालूम भी है और नेता सदन ने सूचित भी किया है कि 12.35 बजे उस मनहूस रात में यह भंयकर भूकम्प आया और जैसा मान्यवर, विशेषज्ञों ने कहा है, प्रोफेसर ठाकुर जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पुरस्कृत वैज्ञानिक हैं उन्होंने अध्ययन करके कहा है कि यह भूकम्प 30.5 एवं 89.30 लांगीट्यूड पर था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 है । यह तो मान्यवर, सौभाग्य रहा कि यह भूकम्प जमीन के नीचे 30 कि०मी० अन्दर था अगर यह अन्दर न होता तो 1991 से कहीं ज्यादा मारक क्षमता का होता और इससे नुकसान ज्यादा होता । 1991 में जो भूकम्प आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 थी और वह जमीन के नीचे केवल 5 कि०मी० अन्दर था इसीलिये उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा था । मैं भूकम्प से बचने के लिये सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि भू–वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय प्रायदीप प्रति वर्ष 5 से०मी० तिब्बत की ओर खिसक रहा है । इसके खिसकने से शिलायें आपस में टकराती हैं जिससे बहुत सी शिलायें मुड़ जाती हैं । यह टकराहट जितनी ज्यादा होती है उतना तेज भूकम्प होता है । प्रोफेसर जयकृष्ण ने बताया है कि भारतीय प्रायदीप के 5 से०मी० प्रति वर्ष खिसकने के कारण यह हो रहा है ।

सरकार इसको रोक नहीं सकती है परन्तु इससे होने वाले प्रभाव क्षेत्रों का अध्ययन करके उन क्षेत्रों को भूकम्प प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है । 1991 में जो भूकम्प आया था अगर उसके बाद सरकार जागरूक होती तो यह जो नुकसान हुआ है इसकी पुनरावृत्ति न होती और इतना नुकसान न होता और कम से कम हानि होती । हमको एक माडल के रूप में जापान के कावे शहर को लेना होगा, वहां पर सबसे ज्यादा भूकम्प आते हैं । वहां पर जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार यदि निर्माण कार्यों में 10 प्रतिशत अधिक खर्च किया जाय तो 90 प्रतिशत नुकसान को बचाया जा सकता है । कावे में जिस तरह से भवन निर्माण हो रहा है उसी को मानक मानकर इन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी । प्रोफेसर जयकृष्ण जी ने कहा है कि यह भूकम्प प्रभावित पट्टी लखनऊ तक आती है और फैजाबाद पट्टी जो मानी जाती है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है । यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछली बार भी जब यह भूकम्प आया था तो उस समय आप ही मुख्य मंत्री थे और इस बार जब भूकम्प आया है तब भी आप ही मुख्य मंत्री हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से भूकम्प को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं लेकिन यह एक इत्तेफाक है । मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि मुख्य मंत्री जब शासन संभालते हैं तो भूकम्प आ जाता है, ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, प्रोफेसर सकलानी जो गढ़वाली यूनीवर्सिटी में हैं उन्होंने कहा था कि भूकम्प के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक 100 कि० मी० पर एक केन्द्र बनाना चाहिये । लेकिन 1991 के आये भूकम्प से कोई सबक नहीं लिया गया और कोई केन्द्र नहीं बनाया गया । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भूकम्प आया तो देहरादून केन्द्र में स्नेपोग्राफ नहीं था उन्हें फैक्स करके रिपोर्ट मंगानी पड़ी । इससे ज्यादा सरकार की लापरवाही और क्या हो सकती है । अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो यह पुनरावृत्ति होती रहेगी । वहां पर जिस तरह से भवन निर्माण होना चाहिये अगर प्राइवेट लोग न कर सकें तो कम से कम सरकार को अवश्य करना चाहिये । सबसे ज्यादा लोग तो जुडीशियल लाकअप में मरे हैं क्योंकि जुडीशियल लाकअप मानकों के अनुरूप नहीं बना था इसलिये वह भवन गिर गया और कैदी मारे गये । सरकार की लापरवाही इससे बड़ी और क्या हो सकती है ।

मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दिया है । लेकिन आश्वासन किस बात का दिया है आज तीन दिन बीत गये हैं क्या मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे कि जिस सरकार का अभी नागरिक अभिनन्दन किया गया है उस केन्द्र सरकार ने 5 हजार, 1 हजार, 2 हजार करोड़ की तात्कालिक सहायता दी है । आज मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद मुख्य मंत्री जी क्या सदन को सूचित करेंगे स्पष्टीकरण के रूप में केन्द्र सरकार ने भूकम्प आने के बाद सहायता दी है या नहीं दी है । अगर केन्द्र सरकार ने सहायता नहीं दी है तो प्रदेश सरकार असफल रही है कि केन्द्र सरकार से सहायता नहीं ले पायी । केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलती है वह 2 प्रकार की होती है, एक तो तात्कालिक राहत और दूसरी दीर्घकालीन राहत होती है ।

मान्यवर, तत्काल राहत की कोई सहायता प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से नहीं ले पायी है जिसकी मैं आलोचना करता हूं और केन्द्र सरकार के इस सौतेले व्यवहार की भी मैं आलोचना करता हूं । इसलिए आप सारे कार्य छोड़कर प्रधान मंत्री के पास जायं और एक मेमोरेन्डम दें कि वह तत्काल और दीर्घकालीन सहायता दें जिससे भूकम्प पीड़ितों की समस्या हल हो सके ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात यह आग्रह करूंगा कि आप दूसरे देशों से उदाहरण लें और तुलना करें कि जब कभी ऐसी त्रासदी आती है तो वहां नेशनल इमरजेन्सी घोषित की जाती है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यहां भी इसे राष्ट्रीय संकट के रूप में घोषित करें और उसके बाद उसके मानक में आ जाने के बाद केन्द्र से तमाम सहायता मिलने लगेगी । इसके अतिरिक्त नेशनल इमरजेन्सी घोषित होने पर विश्व की अनेक संस्थायें सहायता देने में आगे आयेंगी । इससे करमुक्त, ऋणमुक्त होगा और सहायता मिल सकेगी । इसके साथ ही आपदा ग्रस्त क्षेत्रों को लाभ होगा । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस दैवी आपदा के समय राष्ट्रीय संकट घोषित किया जाय और उसके बाद जो सहायता मिल सकती है वह दी जाये ।

मान्यवर, पिछली बार जब भूकम्प आया था तो वहां जो राहत कार्य हुये थे उसमें एक संघ का कब्जा हो गया था जिसके संबंध में पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक माननीय सदस्य जैसे–श्री मुन्ना चौहान बता सकते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि उसे दलगत जो बना दिया गया था और एक झण्डा लगाकर जो सहायता बांटी गयी थी वैसा इस बार नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस संबंध में इस बार सम्पूर्ण सदन की एक सर्वदलीय समिति आप बना दें और आपकी अध्यक्षता में वह सर्वदलीय समिति वहां सचमुच में कितनी क्षति हुई है और जो सहायता कार्य हो रहे हैं उसका आकलन करें । मान्यवर, सरकार द्वारा जो सहायता की जा रही है उसे संघ द्वारा बंटवाने के हम खिलाफ हैं । इसलिए सरकार इसको स्वयं करे और स्वायत्त सेवी संस्थायें जो सहायता कार्य कर रही हैं उसके ऊपर सर्वदलीय समिति नजर रखे । मान्यवर, आर्थिक रूप से क्या पैकेज दिया है, हम उसे जानना चाहते हैं । पूर्वांचल में जो बाढ़ आयी थी और पश्चिम में जो साइक्लोन आया था उसके संबंध में जो प्राविधान बजट में किया गया था उसकी हमें कोई जानकारी नहीं हो पायी थी । इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज और

कल आप सदन की कार्यवाही चाहे स्थगित कर दें और फिर 10-15 दिन बाद जब उचित समझें तो एक दिन के लिए सदन बुला लें और भूकम्प के संबंध में चर्चा करा लें क्योंकि उस समय हम बेहतर स्थिति में होंगे और यहां बता सकेंगे कि भूकम्प से क्या क्षति हुई है तथा क्या सहायता सरकार ने दिया है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार एक पैकेज बना ले और सप्लीमेन्टरी रूप में यहां ले आये जिसमें हम सभी सहयोग करेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें केवल सरकारी सहायता पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए बल्कि जैसा सभी मंत्रियों ने अपने आधे महीने के वेतन को सहायता के रूप में मुख्य मंत्री कोष में देने को कहा है उसी प्रकार हम सभी को सहायता देनी चाहिए। मान्यवर, मैं पहले के रूप में अपने एक महीने के वेतन को मुख्य मंत्री कोष में भिजवाने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार जो माननीय सदस्य सहायता कर सकते हैं वह सभी को करना चाहिए और अपने वेतन को सहायता के रूप में देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है, कोई बंदिश नहीं है। मैं अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा करता हूं। मैं कल देहरादून में था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद साहब राहत टीम के साथ वहां पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जो राहत वह पहुंचा रहे हैं, आप प्रशासनिक अमले को निर्देश दें कि उनसे राहत लेकर उसको वितरित करने का कार्य करें। मान्यवर, आज सुबह चमोली की बात हुई वहां पानी की एक बूंद नहीं है। आदमियों के बारे में तो सब सोच रहे हैं लेकिन जानवरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वहां पर जानवर मर रहे हैं, पानी की टैंकर नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसे राष्ट्रीय संकट घोषित करायें। केन्द्र सरकार से मौखिक आश्वासन न लेकर तत्काल एक पैकेज प्राप्त कर उसे वितरित करायें और इस त्रासदी से पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस संकट की घड़ी में पूरा प्रदेश और देश दुःखी है। 1991 के बाद 1999 में इसकी पुनरावृत्ति इस बात का द्योतक है कि यह समस्या गम्भीर है और यह समस्या निरन्तर बनी हुई है। एकाएक यह घटना घटित हो करके समाप्त नहीं हो गयी। भू-वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति निकट भविष्य में भी हो सकती है और अभी कई झटके लग सकते हैं। कल भी एक झटका लगा है। इसकी वैलासिटी कम हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि पूरे हिमालय का विगत कई वर्षों से इकोलोजीकल बैलेन्स बिगड़ गया है। उसके कारण ही बड़ी संख्या में भूकम्प आ रहे हैं और भू-स्खलन हो रहे हैं। मुझे याद है कि अभी मालपा में पिछले वर्ष भू-स्खलन से बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। भू-वैज्ञानिकों की बहुत दिनों से चेतावनी आ रही है कि अगर हिमालय को हम सुरक्षित नहीं रख पाये तो हिमालय की भी सुरक्षा नहीं रहेगी और यह देश और प्रदेश विनाश के कगार पर पहुंच जायेगा। मुझे दुःख है कि अगर इस चेतावनी को देखते तो सम्भवतः इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। अकेले यह घटना नहीं है। इस घटना की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी 1991 में भी मुख्य मंत्री थे उस समय इससे बड़ा भूकम्प आया था और आज भी वैलासिटी काफी थी चूंकि नीचे 30-32 किलोमीटर तक इस भूकम्प का असर हुआ इसलिए ऊपर नहीं बढ़ पाया। दिल्ली तक के बहुमंजिली इमारतों में क्रेक आ गये हैं। सरकार ने इन चेतावनियों की तरफ कदाचित ध्यान नहीं दिया। मुझे दुःख इस बात का है कि नेता सदन ने इस बात को कहा कि भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए। भारत सरकार ने यह एलान किया होता कि 100 करोड़, 200 करोड़ रुपया तत्काल राहत के लिए दे रहे हैं तो मैं जरूर उनको अपनी ओर से बधाई देता, पूरा सदन बधाई देता लेकिन ऐसी कोई घोषणा तो हुई नहीं। इस सरकार ने जो अहेतुक सहायता की घोषणा की। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा प्रमोद कुमार जी ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका इस सदी की सबसे बड़ी विभीषिका थी लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें भी जिस तरह की सहायता सरकार की तरफ से मिली कदाचित उससे सभी परिचित हैं । मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि पता नहीं ऐसा कौन सा संयोग है कि जब-जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तब-तब प्रदेश को खासतौर से उत्तरांचल को इस तरह की त्रासदी का सामना करना पड़ता है । मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं जिनके मकान गिरे हैं उनके लिए जल्द से जल्द सहायता पहुंच सके । मेरा आग्रह है कि एक मंत्रि-मण्डल की कमेटी, इस विधान सभा की कमेटी बना दें जो तत्काल इस बात की मानीटरिंग करे कि जो लोग इसमें घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको तत्काल सहायता मिल जाए ।

भू-गर्भ वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दी है कि जिस तरह से मकानों का निर्माण हो रहा है यह मकान असुरक्षित हैं कदाचित इस बात को ध्यान में रखा गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना में इतने लोग हताहत न होते । मैं मांग करता हूं कि जो मकान का निर्माण वहां हो तो जो भू-गर्भ वैज्ञानिकों ने जो डिजाइन बताई है इस तरह के मकानों को बनाया जाए । उन मकानों में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इस तरह के झटके लगे तो वह मकान कदाचित न गिरें और लोग हताहत और घायल न हों । इसके साथ मैं एक मांग करता हूं कि जो अहेतुक सहायता आपने रखी है इसको बढ़ाने की कृपा करें । इस बात का प्रयास हो कि तत्काल भारत सरकार से और विदेश के वैज्ञानिकों को बुलाकर हिमालय क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जाए और जो काम तत्काललिक और दूरगामी करने हों उनको किया जाए । वहां पर एक सी-स्मोग्राफिक केन्द्र बनना चाहिए था वह केन्द्र नहीं बन पाया है वह केन्द्र अगर बना होता तो पहले से सूचना होती हालांकि इस तरह की घटना को टाल नहीं सकते थे लेकिन इस त्रासदी को कम कर सकते थे ।

मैं आपसे मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से एक प्रस्ताव रख रहा हूं अगर सदस्यों को मंजूर हो तो सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया जाए कि प्रत्येक सदस्य एक महीने की अपनी तनख्वाह इस त्रासदी के लिए घोषित करे । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदन पारित करे यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी, अभी उत्तराखण्ड में जो भीषण भूकम्प आया वह इस बीते वर्ष एक बहुत बड़ी त्रासदी रही । चमोली, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग सहित इन सभी जिलों में लगभग हजारों गांव प्रभावित हुए हैं । वहां से संवाद एजेसियों की जो सूचना आई है उनकी सूचना के आधार पर अब तक 103 लोगों की मृत्यु सुनिश्चित हुई है जबकि अभी लाशों का मिलना जारी है । जो इस बात का एहसास करा रहा है कि यह जो जनहानि हुई है यह सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में हुई है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके कारणों पर सरकार को गहराई से जाना पड़ेगा और सरकार पहले से ही सचेत रहे । घटना को तो टाला नहीं जा सकता है लेकिन आने वाली घटना का जो आसन्न खतरा रहता है, उनसे बचा जा सकता है और सावधानी बरती जा सकती है । भूकम्प त्रासदी से ही संबंधित यह मामला नहीं है बल्कि जो अन्य त्रासदियां होती हैं जैसे अन्य दैवी आपदायें होती हैं, हमेशा सरकार के कान तब खुलते हैं जब घटना घट जाती है । उसके पहले हम थोड़ा भी सचेत रहते और उसकी सम्भावनाओं पर गहराई से अध्ययन चलता रहता और निदान हेतु समय-समय पर उसके लिये उपचार भी करते रहते तो शायद इस प्रकार की जो बड़ी दैवी आपदायें हैं, चाहे वह बाढ़ हो, भू-स्खलन हो या भूकम्प हो और चाहे वह महामारी हो, उन सबसे बचा जा सकता है । आफ्टर डेथ दो डाक्टर के सिद्धान्त पर यह सरकार काम करती है । जब कोई भीषण हादसा हो जाता है, तब उस पर सोचने का मौका आता है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की गम्भीर आपदायें समय-समय पर आती रहती हैं, इस विषय पर अध्ययन की विशेष आवश्यता है । आज जो भूकम्प आया और जो भूकम्प मापी यंत्र है उसकी अध्ययन क्षमता मात्र 100 कि०मी० परिधि की है । इसकी समुचित

व्यवस्था पूरी तराई बेल्ट में होनी चाहिए और हिमालय की बेल्ट में होनी चाहिए । हर 100 कि०मी० की परिधि में भूकम्प मापी यंत्र की स्थापना होनी चाहिये, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में और हिमालय की तराई बेल्ट में ताकि भू-स्खलन और भूकम्प की जो इस तरह की घटनायें घटती जा रही हैं, उस पर नियंत्रण किया जा सके । जब घटना घट जाती है तब संवेदना प्रकट कर देती है लेकिन परमानेन्ट निदान के लिये चिन्तित नहीं होती है । अगर चिन्तित रहती तो प्रत्येक 100 कि०मी० की परिधि में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी । अगर ऐसा हो जाता तो जो हमारे भू-वैज्ञानिक हैं वह पहले से ही सचेत करते रहते और समय रहते उसके लिये कुछ आवश्यक कदम सरकार उठाती जिससे वहां के लोगों को यह करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति नहीं होती, जान-माल की क्षति नहीं होती और जो जानवर मरे हैं, वह नहीं मरते और जो घर ढहे हैं, उनसे हम बच सकते थे । तो हमें आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि यह भूकम्प मापी यंत्र की स्थापना हर 100 किमी० की परिधि पर करना सुनिचित करें । यह हिमालय की पूरी तराई में केवल एक जिले में, एक मण्डल में स्थापित कर देने से काम नहीं चलेगा जब तक कि पूरी तराई बेल्ट में हिमालय पहाड़ी से जुड़ी जो बेल्ट है नैपाल, आसाम, गोवाहाटी से लेकर पूरे आपके हिमालय पूर्वी क्षेत्र पर सबके लिये व्यवस्था होनी चाहिए । प्रत्येक 100 किमी० पर एक रैक्टियर स्केल की स्थापना अवश्य होनी चाहिए । मान्यवर, इसी क्रम में हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर्वतीय प्रभावी क्षेत्र में जा चुके हैं । आपके बहुत से और भी मंत्री क्षेत्रीय दौरे पर गये हैं । लेकिन जैसा कि वहां पर "आज तक" के एक रिपोर्टर से सुन रहे थे उसके मुताबिक सरकार को जितनी तन्मयता से वहां दवा और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, जो राहत व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, जो मलवा हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी वह उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी तेजी से होनी चाहिए थी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी को इस व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करना चाहिए । जो वहां पर नुकसान हो चुका है हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर है कि राहत कार्यों से वहां पर मरहम अवश्य लगा सकते हैं । तत्कालीन जो व्यवस्थाएं हैं वह उनको अपने स्तर से मुहैया करायें । वहां पर जगह-जगह पर कैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो तमाम लोग बेघर हो गये हैं, बच्चे अनाथ हो गये हैं, उनके मां बाप मर चुके हैं वही अकेले बचे हैं, किसी परिवार में कोई लड़का बचा है, किसी परिवार में कोई अबला बची है, कहीं सिर्फ बूढ़े बच्चे हैं ऐसे लोगों के लिये ऐसे कैम्प की व्यवस्था करें जहां उन्हें खाना-पीना मिल सके, बीमारों का इलाज हो सके और जब परिस्थितियां कुछ सम्भलने की बनें तब उन्हें बताने के लिये सुनियोजित तरीके से सरकार अपनी आर्थिक क्षमता को मद्देनजर रखते हुए इस पर सुचारु रूप से कार्य करे जिससे कम से कम उनको भी एहसास हो सके कि हमारे दुख में यह उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल है और बचाना चाहती है ।

मान्यवर, हम इसी के साथ ही साथ सबसे ज्यादा जैसा कि यह भूकम्प के बारे में वैज्ञानिकों ने अन्वेषण के माध्यम से समय-समय पर हमें आगाह किया है और अभी भी आगाह करते चले आ रहे हैं कि हिमालय पूर्व और तिब्बत का जो आपसी एक दूसरे के प्रति सिकुड़न है यह हिमालय तिब्बत की ओर 5 सेमी० प्रति वर्ष की रफ्तार से खिसक रहा है । इस पर भू-वैज्ञानिकों का एक विशेष दस्ता सुनियोजित तरीके से अध्ययन के लिये सुनिश्चित करें जिससे कि इन सम्भावनाओं से जो सम्भाव्य घटनाएं या आसन्न खतरे हैं, उनके बारे में सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट के माध्यम से खबर मिलती रहे ।

मान्यवर, जैसा कि हम जानते हैं और आपके माध्यम से केवल संकेत के रूप में बता देना चाहते हैं कि यह पूरी भूमि पानी पर तैर रही है और समय-समय पर महाद्वीपों का प्रवाह भी होता रहता है । खिसकाव, खिंचाव और एक दूसरे के प्रति सिकुड़न से महाद्वीप खिसकते जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका और एशिया महाद्वीप में जिससे काफी अन्तर हो गया है । यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है । जैसे कि

हिमालय 5 सेमी० प्रतिवर्ष की गति से खिसक रहा है उसी तरह से काफी लम्बे सालों में यह अन्तर पैदा हो रहा है । यह एक बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा करता है और नये भौगोलिक परिस्थितियों को जन्म देता है । इस विषय पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है । वैज्ञानिकों की ऐसी सोच है इसलिये आने वाले भूकम्प और भू-स्खलन की जो परिस्थितियां हैं उससे सरकार समय-समय पर निपट सके, बात बहुत गम्भीर है इसलिए भू-वैज्ञानिकों द्वारा शोध अध्ययन करायें, समय-समय पर वह रिपोर्ट दें ताकि निदान के लिए अच्छे और बेहतर उपचार हो सकें । साथ ही साथ उनके आर्थिक सहयोग के लिए सरकार को, केन्द्र सरकार से तात्कालिक राहत धनराशि की मांग करनी चाहिए । अब तक राहत कार्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार की ओर होना चाहिए था । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को वहां की व्यवस्था ठीक करने के लिए भारी भरकम राहत कोष देना चाहिए था अगर किसी कारण नहीं आया तो मुख्य मंत्री जी प्रयास करें और उनके स्वास्थ्य, इलाज, देखरेख और पुनर्वास की व्यवस्था को तात्कालिक रूप से सुनिश्चित करें । ताकि समय रहते उनको सारी सुविधायें पहुंचाई जा सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं । माननीय रेवती रमण जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर सदन की ओर से यह प्रस्ताव आ जाए कि सभी माननीय सदस्यों की तरफ से एक महीने का वेतन राहत कार्य के लिए जाए तो बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों के सुझाव उपयोगी होंगे लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त कर देंगे तो अच्छा रहेगा । आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हैं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कुदरती हादसा है, कुदरती हादसा कोई नहीं रोक पाता है । जब-जब कुदरत नाराज होती है तब-तब हादसात पैदा करती है । इसके बारे में गौर, फिक्र, मालुमात करना जरूरी है । सरकार का फर्ज बनता है इसके बारे में जानकारी हासिल करे, और बेहतर ढंग से सूरत अंजाम दें । 1991 के बाद 1999 में आज नौ साल के बीच में, आप समझ लें यह जो इलाका है तिब्बतन प्लैटो से लेकर शिवालय के ऊपर तथा नीची रेंज और लोअर हिमालय इस लपेट में आ गया है, जहां भूकम्प, जलजला हो रहा है । 1991 में सबसे पहले हुआ सबक तो उसी वक्त ले लेना चाहिए था । इस सदी का भीषण भूकम्प आया इतने लोग तबाह, बरबाद हुए हजारों लोगों की मृत्यु हुई, इसके फ़ौरन बाद चाहे रुद्रप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो देव प्रयाग हो नैनीताल के अन्दर या देहरादून मसूरी की पहाड़ियां हों, कुमाऊं गढ़वाल हो पूरे इलाके उस लपेट में हैं । जहां कभी भी जलजला आ सकता है इसका नतीजा यह है कि लैंडस्लाइड होता है वह कम से कम हो पहले माल्पा में लैंडस्लाइड हुआ हजारों लोग मारे गए हैलीकाप्टर भी वहां नहीं दो-तीन दिन जा सके । मान्यवर, जब यह सरकार न्यूयार्क पुलिस दल भेज सकती है कि क्राइम केस कन्ट्रोल हो ।

(श्री कौकब हमीद के भाषण के मध्य 12 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे जापान के अन्दर लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं लेकिन फिर भी वहां पर लोग रहते हैं और उनके रहने का तरीका, घर बनाने का तरीका है तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक टीम भेजी जाय और मालूमात की जाय की वहां पर लोग किस अन्दाज में रहते हैं, वहां पर घर कैसे बनाये जाते हैं जिससे कम से कम मौत हो । कुदरती दिक्कत को कोई रोक नहीं सकता है लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम नुकसान हो यह हम कर सकते हैं । मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसकी तीव्रता 6.8 थी । 7 के ऊपर वैज्ञानिक बताते हैं कि कोई खड़ा नहीं हो सकता है । तो 30-32 किलोमीटर और तेज होता तो सूरते हाल कुछ और होती ।

मान्यवर, अब प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि यह टिहरी डैम बनाना चाहिए या नहीं । यह एक विवाद का विषय हो गया है । आज इस पर टिहरी डैम पर चर्चा भी लगी है तो इससे यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि टिहरी डैम को आगे बढ़ायेंगे या नहीं । अगर टिहरी डैम बनता है और फिर भूकम्प आता है तो पानी खड़ा हो जायेगा और फिर क्रेक होगा और यह नार्दन इण्डिया तबाह हो जायेगा तो मैं यह चाहता हूं कि इस पूरे इलाके को तिब्बतन प्लेटों के तरफ और शिवालय की ऊपर नीचे रेन्ज कोइयर मार्क कर लिया जाय और फिर कार्यवाही की जाय । इससे जो भूकम्प आते हैं जो लैण्डस्लाइड होते हैं तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो वहां पर मकान बनाये जायें वह इस तरह के बनाये जायें जिससे नुकसानात कम हो ।

मान्यवर, 1991 में पहली बार आया था । आपकी सरकार को मालूम होना चाहिए । श्रीनगर में एक अस्पताल है वहां पर मरीज भर्ती हो सकते हैं औरों के लिए दूर ले जाना पड़ता है तो अस्पताल होने चाहिए । जो रेडार है उसकी सीमा 100 किलोमीटर है तो इसके लिए केन्द्र बनने चाहिए । अगर केन्द्र बनेंगे तो यह दिक्कत नहीं आयेगी । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार से मेरी बात हो गयी है और उन्होंने वायदा कर लिया है कि हम सहायता देंगे । तीन रोज हो गये हैं, 28 तारीख को यह आया था और आज 31 तारीख हो गयी है लेकिन वहां क्या हो रहा है । मान्यवर, एक तरीका होता है । पूरी दूनिया में जब तबाही आती है, जब प्रदेश में आती है तो केन्द्र सरकार सहायता देती है वह घोषणा करती है । अभी तो पत्र लिखा जायेगा । इसमें कम से कम दो तीन सौ करोड़ की सहायता तुरन्त भेजी जाती । यह कैसी संवेदनशील सरकार है । मैं सरकार को दोषी नहीं कह रहा हूं । मगर इतना जरूर है कि 91 में भी आपकी सरकार थी और यह भूकम्प आया था और तब से 8.9 साल हो गये हैं और यह फिर दोबारा आ गया है । तब भी आप मुख्य मंत्री थे और आज भी हैं आपने कौन सी योजना बनायी । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी टीम गयी है मंत्री गये हैं तो जरूर गये होंगे । मैं समझता हूं कि यह संवदेनशील सरकार है मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं जो उत्तरांचल विकास के मंत्री हैं वह वहीं होंगे उनकी देख-रेख में कार्य हो रहा होगा ।

वे यहां खुद मौजूद हैं । फैक्स टेलीफोन हैं, मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं सूचना तो आनी चाहिए कि वहां राहत कार्य हो रहे हैं कि नहीं । जब उस इलाके के मंत्री जी यहां मौजूद हैं तो वहां राहत कार्य का पर्ववेक्षण कौन कर रहा होगा यह चिन्ता का विषय है । इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको विदेश में भी टीम भेजनी पड़ेगी जो देखेंगे कि जो जलजला आता है उससे वे कैसे निपटते हैं । उसका बकायदा कोई वैज्ञानिक तरीका ढूंढना पड़ेगा । सेन्ट्रल कोष से राहत के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी आप बात करके 2-3 घण्टे के अन्दर घोषणा कराने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, 28 मार्च को आधी रात्रि के बाद जो चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जनपदों में जो भूकम्प के झटके आये उसके संबंध में तथा राहत कार्यों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विवरण प्रस्तुत किया । गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक 200 से अधिक लोगों की जानें गयी हैं । सन् 1991 में जो उत्तरकाशी में भूकम्प के झटके आये थे, वह भूकम्प रेक्टर पैमाने पर नापी गयी थी जिसकी तीव्रता 6.6 थी लेकिन वह धरती के नीचे से केवल 12 कि०मी० से उठी थी इसलिए उसने ज्यादा विनाश किया था । इस बार के भूकम्प में तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 6.8 नापी गयी लेकिन चूंकि वह धरती के नीचे से 33 कि०मी० से उठी थी इसलिए ज्यादा विनाशकारी नहीं हो पाया । अगर यह सरकार सजग रहती तो मान्यवर इसे 1991 के भूकम्प से नसीहत लेनी चाहिए थी तथा उसे ऐसा वैज्ञानिक

तरीका विकसित करना चाहिए था कि 1991-1999 के 8 वर्षों के बीच में जिससे भूकम्प से कम से कम लोगों की क्षति हो तथा कम से कम तबाही हो पिछले 8 वर्षों की अवधि में सरकार को कम से कम एक अलार्मिंग सिस्टम तो विकसित करना चाहिए था । ताकि झटकों का पूर्व ज्ञान हो सके । लोग सावधान होकर कालकलवित न होने पायें । यह सरकार का दायित्व था जो उसने नहीं किया ।

भारतीय भू-वैज्ञानिक विभाग के उपमहानिदेशक श्री रवि शंकर का एक रिपोर्ट मैं यहां आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूं । पृथ्वी जो प्लेटों से जुड़कर बनी है वह भारतीय प्लेटें तिब्बती प्लेटों से जुड़ी हैं यह सभी प्लेटें चलायमान हैं । भारतीय प्लेट 5 सेमी० प्रतिवर्ष की रफ्तार से तिब्बत की ओर से खिसक रही है । जब यह प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हिमालियन क्षेत्रों में भूकम्प आता है । चमोली जनपद के जेल में 6 विचाराधीन कैदियों की जानें चली गयीं । आज तक सेना के जवानों को छोड़कर हुकूमत की तरफ से कोई व्यक्ति घायल कैदियों का हालचाल लेने नहीं गया है ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को बधाई दी है ।

जबकि केन्द्र की तरफ से अभी तक कोई फौरी सहायता नहीं प्रदान की गई इसलिए हम मुख्य मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हैं कि केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है । मालूम नहीं कुदरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितना नाराज है कि जब-जब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में शासनारूढ़ हुए हैं तब-तब कुदरत ने प्रदेश को बेपनाह तबाह किया है । मान्यवर, प्रदेश में सबसे बड़ी बाढ़ आई पूर्वांचल में जुलाई के महीने में.. (व्यवधान)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दलवहादुर कोरी)–

थोड़ा तरीके की बात करिये । इस सरकार के समय में गेहूं कितना अच्छा पैदा हुआ है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो प्रकृति काफी नाराज हो जाती है, लगता है कि प्रकृति नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आये । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार की इस बात के लिए बधाई दी, तारीफ किया कि उन्होंने भूकम्प प्रभावित इलाके में राहत की घोषणा की, मैं बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बेपनाह तबाही हुई जुलाई महीने में और सितम्बर के महीने में मात्र प्रधान मंत्री जी, पूर्वांचल में गये । तीन माह बाद प्रधान मंत्री जी ने इस बात का रहस्योदघाटन किया कि बाढ़ के 3 माह बीतने के बाद तक मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की थी । मान्यवर, बाढ़ के संबंध में जो राहत की घोषणा की वह आज तक प्रभावित लोगों को नहीं मिली है प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है । पूर्वांचल में आयी बाढ़ के प्रति सरकार यदि सजग रही होती तो बाढ़ को रोकने के लिए पूर्व में ही कुछ की होती ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें । बाढ़ पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, प्रदेश की सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ पर कोई चिन्ता नहीं जताई है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई वैज्ञानिक तरीका इन भूकम्पों से बचाव के और इससे होने वाली विनाश से जनता को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने नहीं अख्तियार किया तो ऐसे ही भूकम्प आते रहेंगे । मान्यवर, जो राहत की धनराशि घोषित की गई है वह बहुत ही कम है उन्हें और अधिक बढ़ाना चाहिए। इस सदन की एक सर्वदलीय समिति प्रभावित क्षेत्रों में जाय और मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा दी

गयी राहत की घोषणा की वह समीक्षा करें और देखे कि केन्द्र की सरकार ने जो राहत की घोषणा की है वह राहत की धनराशि लोगों को मिल रही है या नहीं ?

राहत कार्यों की समीक्षा हेतु सदन की एक सर्वदलीय समिति तत्काल गठित की जाय ।

* श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, नेता सदन ने, 28/29 मार्च को चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल सहित उत्तराखण्ड में आये भयंकर भूकम्प के कारण जो तबाही हुई है, के संबंध में अपना बयान दिया । मान्यवर, इस पर हमारे विपक्ष के तमाम सम्मानित नेताओं के सुझाव और विचार आये । मान्यवर, यह स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में जिस ढंग से भूकम्प आ रहा है, यह दैवी आपदा है और इसका मुकाबला युद्धस्तर पर होना चाहिए । मान्यवर, 1991 में जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब भी भूकम्प आया था और भयंकर तबाही मची थी । इस बार के भूकम्प में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और घायलों की संख्या 500 से ज्यादा है । आज भूकम्प पीड़ित इलाकों में लोग पानी नहीं पा रहे हैं और दुर्गम स्थानों पर अभी भी लोग नहीं पहुंच पाये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में इस बात को छिपाया कि अभी दुर्गम स्थानों पर हमारे अधिकारीगण और सेना के लोग वहां नहीं पहुंच पाये हैं । मरने वालों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है ।

नेता सदन ने केन्द्र सरकार को सहायता के लिये बधाई दिया लेकिन हमारा मानना यह है कि 1991 में राहत के नाम पर मुख्य मंत्री जी सुर्खियों में भले ही रहे हों, लेकिन जो रिपोर्ट मिली, उससे स्पष्ट होता है कि राहत के नाम पर वहां लूट मची और अधिकारियों ने खूब पैसा खाया । साथ ही सत्ता में बैठे लोगों की कमाई का यह जरिया बना । अभी हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी, वहां भी राहत के नाम पर, जनता के जले पर नमक छिड़का गया और नहीं के बराबर सहायता की गई । यह अनुभव बताता है कि आप राहत कार्य के नाम पर भले ही जितनी लम्बी-चौड़ी स्पीच दे लें लेकिन प्रधान मंत्री के यहां आपकी सूचना तक नहीं गई और बाद में प्रधान मंत्री को बयान देना पड़ा कि राहत कार्य के नाम पर प्रदेश की ओर से कोई मांग नहीं की गई है ।

आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मंत्रि-मण्डल का कोई प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली जाकर प्रधान मंत्री से मिलता और प्रधान मंत्री फौरी तौर पर एक हजार, दो हजार करोड़ की मदद की घोषणा करते, तो मैं आपको अवश्य धन्यवाद देता । लेकिन अभी भी आपका कोई फैक्स, चिट्ठी या टेलीफोन केन्द्र सरकार के पास पहुंचा या नहीं, इसमें अभी संदेह है । मेरा सुझाव है कि भूकम्प पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर, उसकी देख-रेख में राहत कार्य होने चाहिए और जनता के सहयोग से, सभी दलों के सहयोग से राहत का कार्य किया जाय । यदि आप सत्ता में बैठे हुये मंत्रियों या अधिकारियों के द्वारा जनता की उपेक्षा करके राहत कार्य करवाना चाहते हैं तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुख्य मंत्री जी आपके दौर में चाहे बाढ़ राहत कार्य हो, चाहे भूकम्प राहत कार्य हो, जनता को कुछ नहीं मिला है, जहां तक आपने सहायता की घोषणा किया, वह इस मंहगाई के जमाने में नाकाफी है । सहायता राशि अधिक से अधिक होना चाहिये । यदि सरकार के पास ईमानदारी है तो उसे एक अलग से बैठक बुलानी चाहिये । जैसे लोग गांवों में कहते हैं कि जब आग लगती है तो कुंआ खोदते हैं, वही स्थिति हमारी सरकार की है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी । वहां के राजनीतिज्ञों, निवासियों और बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को विश्वास में लेकर राहत कार्य कराये जाने चाहिए । माननीय नेता सदन बैठे हैं मेरी उनसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रार्थना है कि वह सदन की एक बैठक बुलायें और निर्णय लेंगे जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी माननीय सम्मानित नेताओं को ध्यान पूर्वक सुना, दो-तीन बातें मैं सदन में आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करूंगा । मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से और सौरमण्डल में जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं के कारण भूकम्प आते हैं और यह कहना बड़ा मुश्किल है कि भूकम्प कब और कहां आ जायेंगे । यह किसी सरकार के हाथ में नहीं है भौगोलिक दृष्टि से जमीन में जो असंतुलन पैदा होता है और उन परिस्थितियों का वैज्ञानिक अपना आंकलन करते हैं । तो यह आरोप लगाना कि इसमें सरकार की लापरवाही रही है । किसी तरह से संगत नहीं है ।

मान्यवर, जो कंपन की स्थिति पैदा हुई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए घटना स्थल पर पहुंचे या नहीं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के दो मंत्री तुरन्त स्थल पर पहुंचे और 30 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री वहां पहुंचे और वह उस गांव तक पहुंचे जहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और राहत कार्य में जो भी कमजोरी पायी गयी उसको मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता से लिया और तत्काल मण्डल स्तर के कमिश्नर को निलम्बन का आदेश दिया। तो यह कहना कि सरकार ने शिथिलता बरती है गलत है । हमने राहत कार्यों में और मृतकों के परिवार वालों को राहत देने में कोई कमी नहीं उठा रखी है । लोगों कों पानी और राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कमी नहीं बरती गयी है । मुझे बड़ा अफसोस है कि समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा कहा जैसा कि वह मौके पर गये थे । सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव चले गये । उनमें अगर संवेदनशीलता थी तो उन्हें सदन में रहना चाहिए था । मैं कहना चाहता हूं कि क्या सुबाष जी मौके पर गये थे ? और जब वह नहीं गये तो वह यह सब कैसे कह सकते हैं । क्या उन्होंने कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किया ? जिससे यह मालूम हो सके कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने या इस सरकार ने अमुक जगह पर कमी की है, या अमुक जगह पर राहत कार्य नहीं किया गया है । मान्यवर, स्वयं मुख्य मंत्री जी ने जहां जहां कमी पाई है वहां-वहां उचित कार्यवाही के लिए निर्णय लिया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वह हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने अभिभाषण में सारी स्थिति की विवेचना की है । भारत सरकार के सामने मरने वालों की संख्या कितनी है, कितने मकान गिरे हैं, कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां की क्या भौतिक स्थिति है, इस सब की सही विवेचना प्रस्तुत की जायेगी और मान्यवर, इसके लिए समय लगेगा । बिना तहकीकात किये केवल आरोप लगा देने से ही काम नहीं चलेगा ।

इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं की गई है । मान्यवर, यदि यह जो विपक्ष के लोग है ये इस प्राकृतिक आपदा के मैटर को भी राजनीतिक मैटर बनाकर सरकार को कोसने के लिए खड़े होते हैं तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है । मैंने इस सदन को पूरे ध्यान से सुनने के बाद मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि चमोली के किस गांव में उनकी जानकारी में कितने लोग मरे । मान्यवर इन्हें स्वयं भी नहीं मालूम जो कही सुनी बातें हैं उसी पर विश्वास कर लिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जगह माननीय मुख्य मंत्री जी ने राहत कार्य नहीं किया । यह लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि यह खुद भी नहीं जानते । मान्यवर, इस मुद्दे पर हमें गम्भीरता से बात करनी होगी । इसे राजनीतिक न बनाकर इस प्राकृतिक आपदा से जूझने के लिए कौन-कौन से सुझाव देने चाहिए, वे सब देने चाहिए । यहां से जो भी तीर्थयात्री जाता है, जो भी लोग जाते हैं वे वहां पक्के मकान बनाने की बात करते हैं । यदि उन्हें पक्के मकान में रहने के लिए मना किया जाता है तो इसलिए कि पक्के मकान से जान का ज्यादा खतरा होता है, अब इसमें लोग यह कहते हैं कि यह सरकार पक्के

मकान में नहीं रहने देना चाहती है मैं मुख्य मंत्री जी के कार्य की सराहना करता हूं और उनका समर्थन करता हूं और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका दो मिनट का समय लेना चाहता हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । दिनांक 28 मार्च, की रात्रि, कालीरात में जो त्रासदी उत्तरांचल के क्षेत्रों में आई थी उससे सैकड़ों लोग खौफशुदा हो गये । इससे सारा जनमानस दुखी है, पीड़ित है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घटना के सम्बन्ध में अपना एक वक्तव्य रखा और माननीय वन मंत्री जी, जो वरिष्ठ सदस्य हैं मैं समझता था कि जब वह अपना वक्तव्य देंगे तो निश्चित रूप से कमियों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करेंगे और सरकार को भविष्य के लिए कुछ सुझाव देंगे । लेकिन श्रीमन्, केवल लचर दलीलें देकर जैसा माननीय प्रमोद जी ने कहा कि यह दुख की बात उनके सामने भी है कि आज चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी की मान्यता राष्ट्रीय पार्टी के रूप में समाप्त कर दी है । मान्यवर, यह कहना कि माननीय प्रतिपक्ष के जो सदस्य बैठें हैं, वे बिना घटना स्थल पर गये यहां पर इस तरह की चीजें कह रहे हैं । श्रीमन्, हम सदन के सदस्य है, सरकार ने कौन से राहत कार्यों के निर्णय लिए हैं । मान्यवर, पिछले दिनों पहाड़ों पर भयंकर आग लगी थी, करोड़ों रुपये की वन सम्पत्ति जल कर नष्ट हो गयी लेकिन उस पर वन मंत्री का वक्तव्य नहीं आया, वहां पर कोई राहत कार्य नहीं किया गया, उस सम्बन्ध में कोई संवेदनशीलना नहीं दिखी । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता शरद पवार गये हैं और कल तक वहां रहेंगे ।

जैसा प्रमोद तिवारी जी ने उल्लेख किया, वे उसके पहले जा चुके हैं और देहरादून तक गये हैं आज पुनः फिर गये हैं और राहत सामग्री लेकर गये हैं । उन्होंने स्वयं कहा है कि हम सब लोग एक माह का वेतन दे रहे हैं । इस दुख की घड़ी में हम सब दुखी हैं और इस सम्बन्ध में राजनीति और दलीय भावना से ऊपर उठकर अपना सहयोग देना चाहते हैं । मान्यवर, 1991 और 99 में दोनों समय हमारे शासनकाल में भूकम्प आया, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता । लेकिन 1991 में मुख्य मंत्री जी थे जब उत्तर काशी में भूकम्प आया था, उसके बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी और अगर शासन संवेदनशील था तो उन चेतावनियों के बाद क्या-क्या कदम उठाये । इस सरकार ने डेढ़ साल में उस संवेदनशील क्षेत्र के बारे में कौन-कौन से उपाय किए । सरकार इस तरह की घटनायें होने पर लाशों को इकट्ठा करने में बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है । मान्यवर, तमाम माताओं की गोदें सूनी हो गयी, तमाम बहनों के सुहाग उजड़ गये तब सरकार ने उन्हें 50 हजार, 1 लाख रुपये की राहत दी लेकिन इससे वे अपने मुखिया को वापस नहीं ला सकते । मान्यवर, सेन्ट्रल टीम जायेगी, सेन्ट्रल टीम की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री जी राहत देंगे । मैं समझता हूं यह संवेदनशीलता नहीं है । जब इस तरह की हृदयविदारक घटनायें होती हैं तो सरकार का दायित्व केवल क्या इतना है कि वह राहत कार्यों की घोषणा करके इस सदन को और प्रदेश की जनता को सूचित कर दें ।

श्रीमन्, 1991 की त्रासदी के बाद भू-वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि आज जिस तरह से कंक्रीट, पत्थर, लोहे के मकान बनते हुए चले जा रहे हैं उनसे आज 15 सौ करोड़ मीट्रिक टन का अतिरिक्त भार उन पहाड़ों पर आ गया है । आज जब 15 सौ करोड़ मीट्रिक टन का अतिरिक्त भार पहाड़ों पर आ गया है, सरकार इस दिशा में क्या कर रही हैं ? देहरादून और मंसूरी में कई-कई मंजिलों के मकान बन रहे हैं, इन मकानों का नक्शा पास करने का किसका दायित्व है, क्या मुख्य मंत्री अपने दायित्व से बरी हो सकते हैं । जहां भुकम्प से बचने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट निर्देश थे कि वहां ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकेंड फ्लोर न बने लेकिन उस पर कोई रोक नहीं हैं । वन मंत्री दलील दे रहे थे कि आज पर्यावरण बिगड़ रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वन विभाग की है । जंगलों का जिस तरीके से दोहन हो रहा है, उस पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये यह क्या उपाय कर रहे हैं । अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वन मंत्री के रूप में पर्यावरण संतुलन और जल प्रबन्धन के लिये कार्य किया होता तो मैं समझता कि तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं । लेकिन पहाड़ों पर पर्यावरण और जलप्रबन्धन की कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गयी । आज यह आरोप लगाना कि प्रतिपक्ष के लोग स्थल पर नहीं गये यह कहना बेबुनियाद है । महाराष्ट्र में कोहिमा डैम बना । वहां के जलाशय में जब तक पानी नहीं था तब तक स्थिति ठीक थी लेकिन जब जलाशय में पानी छोड़ा गया तो वहां पर भूकम्प आने शुरू हो गये । आज सुन्दरलाल बहुगुणा जी और तमाम अन्य पर्यावरणविद् टिहरी डैम के बारे में प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं और वह क्षेत्र संवेदनशील हो रहा है । आपने टिहरी डैम के बारे में कौन से उपाय किये हैं यह बता दें । अभी पूर्वांचल में बाढ़ आयी थी और मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि जिनके घर गिर गये हैं उनको 25 हजार रुपये दिये जायेंगे । मैं कहना चाहूंगा कि केवल बस्ती विधान सभा क्षेत्र की जांच करवा लें पूर्वांचल में घरगिरही का एक पैसा भी अभी बांटा नहीं गया है ।

तहसीलदार ने सर्वे कर लिया था, हम इस सम्बन्ध में कलेक्टर से जानकारी करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां बाढ़ आने से जिनके घर गिरे हैं उनको सहायता नहीं दी गयी है । मुख्य मंत्री जी सदन में घोषणायें करेंगे और प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में की गयी उनकी घोषणाओं को प्रशासनिक अधिकारी गम्भीरता से नहीं लेंगे तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है । आपका रिमोट सेंसिंग विभाग है । उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पर्वतीय क्षेत्र में भूकम्प के लिये कौन सी चेतावनी दी और उसके ऊपर प्रदेश सरकार ने कौन से उपाय किये ताकि भूकम्प से राहत मिल सके । आज उत्तर प्रदेश का रिमोट सेंसिंग विभाग निष्क्रिय पड़ा हुआ है । प्रदेश सरकार ने भू-वैज्ञानिक की चेतावनी को मानकर कोई कार्य नहीं किया । आज जब भूकम्प आया है उस पर राहत की घोषणा हो जायगी और सरकार भूकम्प से बचाने के लिये उपाय करने की अपनी जिम्मेदारी भूल जायगी । वहां पर 28 मार्च से 26 झटके आ चुके हैं । वहां पर जेल में कस्टडी में, बन्द कैदी मारे गये हैं । यह सरकार केवल घोषणायें कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपनी बात समाप्त करें । मैंने भारत सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान के मध्य) मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि 1991 की घटना में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी उसी के आधार पर सर्वदलीय समिति बनाने की मैं मांग करता हूं जो जांच करके बतायें कि कितनी क्षति हुई है और जो सहायता दी जा रही है उसमें कोई भ्रष्टाचार न किया जा सके ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 311 की नोटिस कुछ नेताओं ने दिया था और माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दिया था कि भूकम्प प्रकरण पर सभी माननीय नेता बोल लें और वह बोल चुके हैं, तो फिर जिनकी नोटिस नहीं है उनको क्यों बुलवाया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 की नोटिस की ग्राह्यता पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि यह एक तात्कालिक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए माननीय नेताओं को सुना गया और जो माननीय सदस्य पहाड़ से सम्बन्धित हैं उनको सुन रहा हूं ।

श्री भारत सिंह रावत–

अधिष्ठाता महोदय, आज भूकम्प की त्रासदी से सारा उत्तरांचल शोकाकुल है और भयाक्रान्त भी है ।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सारे दलीय नेताओं को आपने बुलवा लिया है तो फिर इन माननीय सदस्य को आप कैसे सुन रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

श्री भारत सिंह रावत पहाड़ के माननीय सदस्य हैं इसलिए इनको सुन रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि भूकम्प के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है वह किस नियम के अन्तर्गत हो रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस चर्चा में कितना समय निर्धारित किया है ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 की ग्राह्यता पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था और वह महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रस्ताव है। इसलिए उस पर उन्होंने माननीय सदस्यों के विचारों की भी अपेक्षा की थी कि माननीय नेताओं के विचार आ जायं इसलिए उनको सुना गया। यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए नेताओं को सुनने के बाद नोटिस पर जिनके हस्ताक्षर हैं उनको भी सुन रहा हूं और पहाड़ के माननीय सदस्यों के भी विचार आ जायं इसलिए उनको भी सुन रहा हूं।

* श्री भारत सिंह रावत–

अधिष्ठाता महोदय, आज भूकम्प की त्रासदी से सारा उत्तरांचल शोकाकुल और भयाक्रान्त है। आज जो त्रासदी हुई है और 1991 में उत्तरकाशी में जो भूकम्प की त्रासदी हुई थी उसके बाद भू-स्खलन द्वारा ऊखीमठ में जो त्रासदी हुई थी हम लोग उसे भूल भी नहीं पाये थे कि एक बहुत भयंकर त्रासदी उत्तरांचल के ऊपर आयी। आज वहां के लोग दबे और सहमे हुये हैं। सरकार अवश्य उन्हें सहायता देगी। मान्यवर, वह स्थान रहने योग्य है या नहीं यह आशंकायें लोगों के मन में बनी हुई हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तरांचल विकास मंत्री एवं उनके सहयोगी राज्यमंत्री वहां पर गये थे। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वह पहले मुख्य मंत्री हैं कि पहाड़ के ऊपर जो त्रासदी हुई उसमें वह गये हैं। अभी कुंवर साहब बोल रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जमाने में 1991 में वहां पर एक घटना घटित हुई और आज भी हो रही है। जब माननीय मुलायम सिंह जी 1989 में मुख्य मंत्री थे तो नीलकंठ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उसमें सैकड़ों आदमी मारे गये थे तब वह यहां से हिले तक नहीं थे। केन्द्र में भी उनके लोग थे। 1991 में भाई प्रमोद जी व पाल साहब की सरकार थी उस समय उन्होंने कितनी सहायता दिलवायी थी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो त्रासदी वहां पर हो रही है, भू-वैज्ञानिक जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। हमारे इण्डियन प्लेट्स व यूरोपियन प्लेट्स जो हिमालय से नीचे होने की वजह से उनमें टकराव होता है जिसकी वजह से भूकम्प आ रहे हैं। यह भूकम्प रुकने वाली चीज नहीं है। आगे भी भूकम्प आयेंगे यह किसी के वश की बात नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी वहां पर गये और उन्होंने बहुत सी रियायतें दी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करें। हालांकि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सांगोपांग व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उत्तरांचल में पिछले वर्ष जो भूस्खलन हुआ था उसकी भी भरपाई नहीं मिली है। सड़कें, नहरें एवं पेयजल के स्रोत टूटे हैं इसलिए एक बहुत बड़ा पैकेज दें। इस सदन के माध्यम से सदन के पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के लोगों ने दुःखी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परमनेंट व्यवस्था क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात की । मान्यवर, आज जो औद्योगिक विकास हो रहा है, पहाड़ों पर बांध और मल्टी स्टोरी भवन बन रहे हैं वह वहां के लिए व्यवहारिक नहीं है । पहले जो मकान बनते थे वह एक स्टोरी के होते थे । 1903 में भूकम्प आया था उस समय आबादी भी कम थी लेकिन 20 हजार आदमी मारे गये थे । उसके बाद से लगातार भूकम्प आये हैं । भूकम्प आये हैं और आते रहेंगे । वह आपके बस की बात नहीं हैं । 1991 में एक वायदा इसी सदन में किया गया था कि जिस तरह से जापान और दूसरे देशों में जो भूकम्प के इलाके हैं वहां एक टेकनीक विकसित की गयी है उसी तरह से एक टेकनीक विकसित की जाये और वहां पर विकास को, नियोजन को नया रूप दिया जाये । मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि यह बहुत जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए । मुझे याद है कि अभी भूस्खलन हुआ था, अभी भी बहुत से गांव के लोग बाहर हैं उनको बसाने की बात हुई थी कि उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाया जायेगा ।

ऊखीमठ में जो भूस्खलन हुआ था वहां के लोगों को अभी तक नहीं बसाया गया है । मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो सबसे पहले वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया एवं निरीक्षण किया है । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर आर्थिक पैकेज जरूर हमको दिलाया जाय । वहां जो लोग मर गए हैं उन लोगों को जिनके परिवार नष्ट हो गए हैं जो लोग बचे हैं उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं है उनको नौकरी देने की व्यवस्था करें । भारत सरकार से एवं प्रदेश सरकार ने एक-एक लाख रुपये की व्यवस्था की है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन वहां ऐसे लोगों के लिए परमानेन्ट व्यवस्था की जाए । वहां पर यह जो भूकम्प आया है उसके बारे में समूची सूचना इंटीरियर इलाकों से नहीं आई है । वहां करीब 90 प्रतिशत मकान रहने लायक नहीं रहे हैं और जो बचे हैं उनमें दरारे पड़ गई हैं जिसके कारण बरसात में वह ध्वस्त हो जाएंगे इसके लिए विशेष रूप से सर्वेक्षण कराया जाए और बरसात के पहले ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए । इसके साथ मैं उत्तरांचल के लोगों की ओर से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

अधिष्ठाता जी, यह गम्भीर प्राकृतिक आपदा इस प्रदेश के सम्मुख है और मैं इस तथ्य की ओर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जब से मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया मानव ने अपने परिश्रम से, बुद्धि से कौशल से लगातार प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध मानव जीवन को निरापद बनाने का संघर्ष अनवरत जारी रखा है और आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हुए है जहां विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययन से इन मानवीय प्राकृतिक आपदाओं से न केवल हमको चेतावनी भी दी है और अपने अध्ययन से यह बताने का प्रयास भी किया है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं चाहे सरकार किसी की भी रही हो लेकिन निश्चित रूप से हमने उन सुझावों को जो उन अध्ययनों के जो निष्कर्ष हैं उनकी उपेक्षा की है । अगर हम उपेक्षा नहीं करते तो यह तो निश्चित बात है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते लेकिन हम प्राकृतिक अपदाओं से होने वाली हानि न्यूनतम स्तर पर कर सकते थे । अभी पिछले भूकम्प की चर्चा हुई यह हिमालय वाला क्षेत्र जो है यह भूकम्प की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । आज 6.8 तीव्रता का अगर भूकम्प आया उसके पहले 6.3 या 4 तीव्रता का भूकम्प आया था जिसके कारण विनाश लीला हुई जो हम सबको दिखाई पड़ रही है । इन पर्वतीय श्रृंखलाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप रिअक्टर पैमाने पर 4 डिग्री की तीव्रता के भूकम्प इस क्षेत्र में निरन्तर आते रहते हैं उनका पता इसलिए नहीं चलता उनकी नोटिस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनसे धन और जन की हानि नहीं होती । 1991 में जब भूकम्प आया तब भी सर्वेक्षण हुआ केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की जो भारत सरकार का संस्थान है रुड़की जो इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है उसके विशेषज्ञों ने पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बुरी अनुसंशाऐं की थीं यह पर्वतीय क्षेत्र जो भूकम्प से संवेदनशील है वहां किस प्रकार के मकान होने चाहिए, किस प्रकार की तकनीक अपनाई जानी चाहिए ।

किस स्थायित्व कला के आधार पर उन मकानों का निर्माण होना चाहिये । बड़ा अध्ययन भी हुआ, बार-बार हमने और श्री मुन्ना चौहान जी ने जब उत्तरांचल विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ था, आप कार्यवाही उठाकर देख लें, इन तथ्यों के बारे में इस बजट में और इससे पूर्व में भी हमने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से, भूकम्प और भूस्खलन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र बन गया है । 1991 के भूकम्प के बाद विशेषज्ञों की जो रिकमन्डेशन्स आयी थीं चाहे वह सी०बी०आर०आई० की हों या रुड़की विश्वविद्यालय की हों, उन रिकमन्डेशन्स को कहीं रद्दी की टोकरी में तो नहीं डाल दिया, कहीं उनकी उपेक्षा तो नहीं की गई अगर यदि शासन स्तर पर उनके बारे में कोई निर्णय लिया गया होता तो यह पूरा सदन महसूस करता कि वास्तव में यह सरकार आपदाओं से होने वाले विनाश को रोकना चाहती है और उसके बारे में गम्भीर है । परन्तु बड़े दुःख की बात है कि सरकार की ओर से मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने उन बिन्दुओं का कोई जिक्र तक नहीं किया । आज जब हम 100 से अधिक अमूल्य माननीय जीवनों को खो चुके हैं लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और अपना सब कुछ प्राकृतिक आपदाओं को सौंप चुके हैं, इस गम्भीर स्थिति में निश्चित रूप से आकलन करना चाहिये और आत्मालोचन करना चाहिये कि क्या हमने उन रिकमन्डेशन्स की ओर ध्यान दिया । अगर ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से हानि को मिनिमाइज किया जा सकता था ।

मान्यवर, मैं भी उस क्षेत्र का रहने वाला हूं–पहाड़ और हम लोगों का पड़ौसी रिश्ता है, हरिद्वार में भी हजारों लोग जब 12 बजकर 35 मिनट पर यह झटका आया, लाखों लोग सड़कों पर आ गये । उस समय जितनी तीव्रता उसकी महसूस की गई, लग रहा था कि हम लोगों का जीवन अस्तित्व क्षणिक है और सारे हरिद्वार के लोग भयाक्रान्त थे । हरिद्वार के जयराम आश्रम में क्रैक्स आ गये हैं और एक आश्रम पूरा ध्वस्त हो गया है और एक सैनिक का मकान नष्ट हो गया है । आज जो यह त्रास्दी पहाड़ की है यह मानवीय रिश्तों को महसूस कराती हैं । यह त्रास्दी केवल पहाड़ की ही नहीं बल्कि संवेदनशील इन्सानों के लिये यह त्रासदी पूरे मानवीय समाज की त्रासदी है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन उपायों की ओर और दीर्घकालिक नीतियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो उस समय यह जरूर बताने का कष्ट करें कि 1991 के बाद जो रिकमन्डेशन्स आयी थीं, इन 8-9 वर्षों में शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की । 1994 में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक कोष बनाने का निश्चय सरकार ने किया था, उस कोष का क्या हुआ और वह क्यों नहीं बना ? इनफारमेशन टैक्नालोजी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रत्येक विभाग के बजट में से एक निश्चित प्रतिशत अंश टैक्नोलोजी के लिये रखेंगे ताकि जो ये प्राकृतिक आपदायें इस प्रदेश में भूकम्प के रूप में स्थायी रूप से आ रही हैं, यदि हर विभाग के बजट से एक निश्चित अंश लेकर इस कोष को बना दिया जायेगा तो केन्द्र सरकार से तात्कालिक सहायता हेतु उनका मुंह देखना पड़ता है और वहां से सहायता मिलने में हमें जो कठिनाई महसूस होती है, इस कोष के बन जाने से निश्चित रूप से हम उन मुसीबतों से बच सकते हैं और समय आने पर और लोगों की भी मदद कर सकेंगे कि यदि हम यह समझते हैं कि यह पार्टी की राजनीति से ऊपर का विषय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में घोषणा करें । सभी दलों के नेताओं की बैठक आज बुलायें और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये एक संवेदनशील रणनीति तैयार करें । एक हाउस की भी कमेटी बनाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे जिससे पूरे प्रदेश में 16 करोड़ की आबादी के सामने इस बात का सन्देश जाये कि इस प्राकृतिक आपदा के समय सब मिलकर एक हैं और मात्र सांत्वना और सन्तोष देने का ही काम नहीं कर रहे हैं जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं, उनकी सही मायने में सेवा भी कर पायेंगे । दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । हमारे साथियों ने भी सुझाव दिये हैं । मैं राजस्व के बारे में कहना चाहता हूं कि जो पहाड़ के लोगों

से राजस्व की वसूली है, उन पर जो सरकारी ऋण है, कम से कम इस प्राकृतिक आपदा से त्रस्त लोगों से ऋण की वसूली को निरस्त कर दें। जो राजस्व की वसूली है उसको स्थगित करने का काम कर दें। मैं समझता हूं कि यह उन लोगों पर उपकार भी होगा और सही अर्थ में हम अपने सहयोग की भावना भी प्रदर्शित कर सकेंगे।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज एक ऐसे विषय पर यह सदन विचार-विमर्श कर रहा है, चर्चा कर रहा है जो अपने आप में न केवल पर्वतीय क्षेत्रों में न केवल उत्तर प्रदेश के लिये बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये एक त्रासदी है। श्रीमन्, जो भूकम्प, एक जलजला पर्वतीय क्षेत्रों में आया यह अपने आप में सन् 1991 के बाद 7-8 वर्षों के अन्दर में जिस तरीके से इसकी पुनरावृत्ति हुई वह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ या सिलसिला था उससे यह अग्रवेट हुआ कुप्रभाव पड़ा। यह अपने आप में सत्य है और कई माननीय सदस्यों ने कहा भी है। जहां तक भूकम्प का सवाल है,. भूकम्प कोई मानव निर्मित अव्यवस्था नहीं है, जिसका हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर के अपने दायित्व से मुक्ति लेने का काम करें। यह प्राकृतिक विपदा है। यह बात ठीक है लेकिन यह बात भी अपने आप में सत्य है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं को मानव गतिविधियों के द्वारा या तो मिनिमाइज किया जाता है या मानव गतिविधियों के द्वारा इसको ज्यादा खराब किया जा सकता है। श्रीमन्, दुर्भाग्य इस बात का है कि विगत कई वर्षों से तमाम संकेत, तमाम चेतावनियों के बावजूद भी जो प्रयास इस बात के लिये होने चाहिए थे कि मानव गतिविधियों के कारण इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना बढ़ रही है उसको कम करने के लिये कोई अरेंजमेंट या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस तरह का अपनाना चाहिए था जिससे इसके प्रभावों को कम किया जा सकता।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं वैसे तो हमारा दुर्भाग्य है, मेरे जैसे पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों का दुर्भाग्य है कि जब कभी पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जो ईकोलोजिकल सिस्टम है उसके बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं तो बहुधा हंसी मजाक में उसे दायें, बायें कर दिया जाता है। चन्द दिनों पहले का संस्मरण बताना चाहता हूं माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी लोक निर्माण और पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने गम्भीरतापूर्वक शायद 10 दिन भी व्यतीत नहीं हुए होंगे, बहुत गम्भीरतापूर्वक कहा था कि श्रीमन्, आपने ठीक कहा है कि आप पर्यटन नीति की घोषणा करने जा रहे हैं। आपने पर्यटन नीति की घोषणा भी की। वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को सब जानते हैं कि हिमालय शिस्मिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह अपने आप में भूकम्प की दृष्टि से एक स्प्रिंग बोर्ड जैसा है। जैसा माननीय अम्बरीष जी ने कहा कई सदस्यों ने कहा, यहां छोटी-छोटी तीव्रता के भूकम्प आ रहे हैं, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इस सदन में चर्चा का मकसद यह है कि किसी कारगर सुझाव तक पहुंच सकते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, ताकि त्रासदी कम हो या भविष्य में न हो। निर्माण की बात आई सड़क और भवनों का निर्माण कराया जायेगा लेकिन निर्माण कराने का ही दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि इतना निर्माण करा दिया, तय यह होना चाहिए कि किस तरह की संवेदनशील एप्रोच वहां के लिये निर्धारित हो। किस तरह का निर्माण वहां होना चाहिए।

मान्यवर, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पर्वतीय क्षेत्रों की जनता का यह दुर्भाग्य है कि 1991 में जब प्रलयकारी गढ़वाल मण्डल में भूकम्प आया, ऐसी त्रासदी हुई, मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर कह रहा हूं, आरोप-प्रत्यारोप की भावना से नहीं रखना चाहता हूं उस वक्त तमाम एक्सपर्ट कमेटी ने संस्तुति

---

* वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

कीं लेकिन किसी सरकार ने तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको अमली जामा पहुचाने की कोशिश नहीं की, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, जानकारी के हिसाब से कहना चाहता हूं उत्तर काशी में भूकम्प आया एक्सपर्ट लोगों के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला, उत्तर काशी में भूकम्प आया तो जैपनीज एक्सपर्ट की कमेटी आई उन्होंने कहा कि भवनों का निर्माण जो कराने जा रहे हैं वह इस तरह का होना चाहिए उसको भूकम्परोधी कह लें या यह कह लें कि झटके आदि बर्दाश्त करने की क्षमता हो, लेकिन जो संस्तुति हुई वह वहीं विलुप्त हो गयी साल छः महीने रोना चलता रहा, त्रासदी की बात कहकर घड़ियाली आंसू बहाये जाते रहे, तो इस तरह से तो कुछ नहीं होने वाला है । मान्यवर, सरकार की तरफ से चमोली आदि जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है वहां जो राहत कार्यक्रम चल रहे हैं वह अच्छे हैं लेकिन उसमें ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है जो राहत कार्यक्रम हैं उसमें पैसे देने राहत देने के नाम पर लूट-खसोट होती है उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की ही नहीं जनप्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी मिली है । जिससे प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिल पायी है ।

दैवी आपदायें आती हैं उसमें देश की नहीं विदेश से भी राहत की बात होती है, लेकिन उसमें वेस्टेज होते हैं, भ्रष्ट लोग कुंडली जमाकर बैठ जाते हैं और लूट खसोट करते हैं तो इसमें भी आप मानीटरिंग का काम करायें । यह पर्वतीय क्षेत्रों के अस्तित्व का सवाल है । सवा सौ डेढ़ सौ लोगों की जानें चली गई सदन में संवेदनायें व्यक्त की गयी हम सबको दुख है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया हम उम्मीद कर रहे थे खुलासा वक्तव्य में होगा लेकिन कुछ चीजों का उसमें जिक्र नहीं था । तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां आशंकायें हैं तो उनको डिस्प्लेस करें पुनर्वास का जिक्र होना चाहिए था, वह नहीं है । एक व्यवस्था इस बात के लिये होनी चाहिए थी कि जो प्रभावित गांव हैं उनको दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये कोई योजना होनी चाहिए थी । अहेतुक राशि का जिक्र किया गया कि 1500 रुपया दिया जाएगा । जो परिवार खुले आसमान के नीचे शरण लेने के लिये मजबूर हो गया है उसके लिये 1500 रुपये अपर्याप्त है । जो सुविधाएं दी वह अपर्याप्त हैं यह कहना गलता होगा सीमित संसाधनों के अन्तर्गत योजनायें चलानी पड़ती हैं । श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब त्रासदी आती है तो उन प्रभावित लोगों के प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास होते हैं । लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उनको कितनी दूर तक इसको झेलना पड़ता है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर काशी के अन्दर जब भूकम्प आया था तो उन्हें हुडको से लोन देकर मकान बनाने का काम किया गया था । लेकिन छः महीने के अन्दर वह वेदना समाप्त हो गयी और उन ऋणों की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया तो इस बात का प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के अमानवीय कार्य न किये जायें । इसका ख्याल रखा जाय जिससे मानवीय संवेदनायें न टूटें । अभी माननीय वन मंत्री जी कह रहे थे, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य है इन्होंने इकोलोजिकल रिस्टोरेशन के लिये कहा लेकिन उन्होंने खुद उस निगाह से नहीं देखा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, जब मैंने यह गम्भीर सवाल उठाया था तो उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और यह कहा था कि वहां पर जो डिग्री आफ सेन्सीवीटी है वह किस तरह से होनी चाहिए ।

मान्यवर, देहरादून में हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ जियोलोजी तथा नैनीताल में रिमोट सेन्सिंग की लैब है । वैसे तो भूकम्प का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि भूकम्प के क्षेत्रों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है । जिन्हें डिफेक्ट जोन कहा जाता है उसका अध्ययन किया जा सकता है । उदाहरण के लिये मैं कहना चाहूंगा कि कैलीफोर्निया डिफेक्ट जोने के अन्तर्गत आता है लेकिन वहां पर भवन किस तरह से बनने चाहिए, वहां विकास कार्य किस तरह से होना चाहिए जो कि भूकम्प रोधी हो उसके लिये अध्ययन किया गया । आज इस पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से गम्भीर वातवरण में सिलसिला प्रारम्भ हुआ है इससे हमको पीड़ा पहुंची है । यह हमारे सदस्य कितने

संवेदनशील हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हिमालय के संरक्षण की बात करते, कोई गलत बात नहीं है, अगर केवल उत्तरांचल की बात करते हैं, इनको मालूम है उसका संरक्षण हिन्दुस्तान का संरक्षण और मानवता का संरक्षण है यदि उसमें हम संवेदनशीलता लाकर नहीं चलेंगे, जब गिलेशियर रिसीड करने की बात हो तो चुपचाप हो जायें, इकोलाजी को डिस्टर्ब करने की बात करें तो हम चुपचाप हो जायें, फारेस्ट कवर आज खत्म होकर के इस तरह से परेशानी पैदा हो रही है। जो तमाम सारे इंतजामात हैं कुछ आपने किये हैं और कुछ सख्त कदम उठाये हैं, उससे प्रसन्नता भी हुई । लेकिन जब यह झूठी दिलासा का सिलसिला खत्म हो जायेगा और वास्तविक राहत की बात आयेगी जो प्रभावित हैं उनको वापस लौटने में 2-3 साल लग जायेंगे मूल अवस्था में। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो अनाथ हो गये हैं उनके जीवन यापन का इंतजाम कैसे होगा। जब आप उत्तर भाषण देंगे तो दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में बतायेंगे।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, 28/29 की रात्रि को चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिलों में भूकंप का जो प्रभाव रहा है और उससे हुई जनहानि के प्रति हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं।

जहां तक राहत की बात है, 29 तारीख को ही उस क्षेत्र के माननीय सांसद मेजर जनरल खंडूरी जी, पर्वतीय विकास मंत्री जी, राज्य मंत्री जी उस क्षेत्र में गये। उसके पश्चात मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर उच्च अधिकारियों की कैबिनेट सदस्यों की एक बैठक बुलायी और उसमें स्थिति की समीक्षा की। मान्यवर, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल स्वयं उस क्षेत्र में उपस्थित होकर के अन्य मंत्रियों के साथ ऐसे-ऐसे गांव में गये जहां पर पैदल चलना मैदानी क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के लिये सम्भव नहीं है। वे अपने आप ऐसे क्षेत्रों में गये और उन परिवारों से भेंट की और राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल का वह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील है। गत कई वर्षों से जो निरन्तर वहां भूकम्प के झटके महसूस किये जा रहे हैं। मान्यवर, जो वर्ष 1991 में भूकम्प उत्तरकाशी में आया था उसकी तीव्रता 6.6 थी, उसके पश्चात् माल्पा और रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की जो त्रासदी हुई और आज यह भूकम्प आया है इसकी तीव्रता 6.8 है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राहत कार्यों की ओर ध्यान दें और संवेदनशील क्षेत्र में है हिमालियन इंस्टीट्यूट, रिमोट सेन्सिंग, रुड़की यूनिवर्सिटी और सी० बी० आर० आई० के विशेषज्ञों ने ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करके इस संबंध में जो अनुशंसायें दी हैं वह किस प्रकार से लागू हों, इस पर विचार करना है। मान्यवर, हम जब क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब विशेषज्ञों की समितियों ने और एजेन्सियों ने समय-समय पर यह राय व्यक्त की है कि ऐसे क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतें नहीं बननी चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में स्टील और सीमेंट पर आधारित भवन नहीं खड़े किये जाने चाहिए तो निश्चित रूप से हमें इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उस क्षेत्र में ऐसे मकानों का निर्माण हो, उस क्षेत्र में किस प्रकार से सड़कों और अन्य विकास के कार्य हों, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के साथ-साथ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह अनुशंसायें किस प्रकार से लागू की जायं, हमें सख्ती से इस पर विचार करना होगा, इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस भूकम्प पर बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। मैं केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। इस भूकम्प के विषय में जैसा कि बताया गया कि इस तरह की

---

* वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

दैवी आपदा को कैसे रोका जा सकता है, यह मानव के बस में नहीं है लेकिन इस तरह की दैवी आपदाओं से जो नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है इसके लिये दीर्घगामी योजना बनाने की आवश्यकता है वैसे तो हिमालय पहाड़ की संरचना किस प्रकार से हुई इसी तरह से दुनिया के अन्य मुल्कों में पहाड़ की संरचना हुई, कोलम्बिया में,जापान में भूकम्प आते रहते हैं तो इस तरह से दीर्घगामी व्यवस्था लागू करने के लिए दुनिया के भू-वैज्ञानिकों का एक सेमिनार किया जाय जो दीर्घगामी योजनाओं के लिये विचार कर सकें। इसके लिये केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सहमत हों तभी यह सम्भव है। जब इस क्षेत्र में दैवी आपदा आती है तो प्रदेश में ऐसे गलत इंसान हुआ करते हैं जो लाशों के ढेर पर भी अपने जेबें भरने का काम करते हैं मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये बड़े गम्भीर कदम उठाये हैं लेकिन इस पर और कठोर कदम उठाये जायं ताकि लोग ऐसा न कर सकें। यह त्रासदी बहुत खतरनाक है और इसमें समुचित कदम उठाये जाने चाहिए।

* उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस बिन्दु पर काफी लम्बे समय से यहां पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही दुखपूर्ण और मानवीय संवेदनाओं को हिला देने वाला बिन्दु है। श्रीमन्, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस भीषण त्रासदी में जिस सजगता और प्रखरता का उन्होंने परिचय दिया और अनेक लोगों की जानों को बचवाया है मैं पूरे उत्तरांचल की जनता की ओर से उसके लिये निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह 28 तारीख की रात 12.35 बजे की घटना है और एक बजे रात से ही यहां पर मुख्य सचिव के स्तर पर सचिवों की एक नहीं अनेक बैठकें हो जाती हैं, सारी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। रात में ही सेना को सचेत कर दिया जाता है, आई० टी० बी० पी० को सचेत कर दिया जाता है, सुबह ही सारे विमान उपलब्ध हो जाते हैं। श्रीमन्, यह पहला अवसर होगा, जब इतनी बड़ी त्रासदी में इस सरकार की इतने कम समय में संवेदनशीलता और सक्रियता सामने आयी है। मेरे तमाम मित्रों ने कहा कि ऐसे विषय पर राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर काम होना चाहिए लेकिन इस बात को सन्दर्भित जरूर करना चाहता हूं कि न जाने क्या बात है कि लोगों द्वारा लाशों पर भी राजनीति करने की कोशिश की जाती है, यह ठीक नहीं है। आज यह दुख भरा अवसर है और वहां पर लोगों को बढ़-चढ़कर मदद करने की जरूरत है, लोगों को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। 28 तारीख की रात में ही सारी व्यवस्थायें हो जाती हैं, भूकम्प के क्षेत्रों में लोग दबे हुए थे, चीख-चिल्लाहट मची हुई थी, रुद्रप्रयाग, चमोली पूरी तरह प्रभावित था।

चमोली में तो कोई घर सुरक्षित नहीं बचा हैं, कौन उस समय सहायता करता यदि तत्काल प्रशासनिक स्तर पर सहायता न की गयी होती और आई० टी० बी० पी० चन्द घण्टों में वहां नहीं पहुंच जाती। चारों ओर दहशत का वातावरण था। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोग दबे हुए जिन्दा थे, उनको सबसे पहले बचाया गया अन्यथा मरने वालों की संख्या 400–500 से ज्यादा हो सकती थी इसलिये जो लोग यह कह रहे हैं कि वहां सक्रियता नहीं बरती गयी, संवेदना नहीं दिखाई गई, इसको मैं राजनीति प्रेरित मानता हूं। ऐसे दुखद अवसर पर यदि कोई सरकार कुछ करती है तो उसको स्वीकार करने का माद्दा होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुबह ही मुझे निर्देश दे दिया था और मैं रात भर पूरे उत्तरांचल के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों से सम्पर्क करता रहा और प्रातः ही राज्य मंत्री श्री मातवर सिंह कण्डारी के साथ चमोली पहुंच गया था। रात से ही दबे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया, जिन्हें बचाया जा सकता था, सबसे पहले उन्हें बचाया गया, यह कोई कम सराहनीय कार्य नहीं है। एयरफोर्स के हेलीकाप्टर भी सुबह वहां पहुंच गये थे। वहां यह भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोशिश की गयी कि दूरदराज के क्षेत्रों में जहां लोग घायल हैं, और फंसे हुए हैं, उनको भी हेलीकाप्टर के माध्यम से उठाकर लाया जाय लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चारों ओर से सड़कें बन्द हो गयी थीं । पहाड़ लगातार गिर रहे थे और हेलीकाप्टर उतारने के लिये कोई स्थान नहीं था । सहायता के लिये कोई उपाय नहीं था लेकिन फिर भी सेना के जवानों ने, एयर फोर्स के लोगों ने और आई० टी० बी० पी० ने बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया और वहां पर राहत का कार्य किया और चिकित्सालय तक लोगों को पहुंचाया । मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हों तो वहां पर पेय जल की समस्या खड़ी होनी स्वाभाविक है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में भी वहां पर बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से कर दी गयी है । पेय जल के लिये वहां पर केवल टैंकर ही एक विकल्प था । 29 तारीख तक सभी स्थानों में सूचना चली गयी थी ।

पहाड़ की भौगोलिक स्थिति का जिन लोगों को पता नहीं है उन्होंने लम्बे-लम्बे भाषण दे दिये । मैं कहना चाहता हूं कि ऋषिकेश से अगर कोई टैंकर चलता है तो उसको चमोली या रुद्रप्रयाग पहुंचने में 7-8 घंटे लग जायेंगे, इससे पहले नहीं पहुंच सकता है । देहरादून से जो सामग्री जायेगी उसको पहुंचने में समय लगेगा और यहां नहीं स्थान-स्थान पर सड़के अवरुद्ध हो गयी थीं । मैं बताना चाहता हूं कि 10 टैंकर वहां पर पहुंच गये हैं । पेयजल की समस्या का जो तात्कालिक समस्या थी, काफी कुछ समाधान निकला है । जहां तक इस बात की चिन्ता की गयी है कि पिछले बजट भाषण में माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा, तो उन्होंने बजट भाषण को पढ़ा होगा और उन्हें स्मरण होगा कि एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो 2100 करोड़ रुपये की योजना है और चार चरणों में वह पूरी होगी, विश्व बैंक की सहायता से की जा रही है । इससे पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखला योजना भी इसी योजना का हिस्सा है ।

मान्यवर, यह तो दैवी आपदा है । जो यह प्राकृतिक असंतुलन है वह केवल उत्तरांचल में नहीं है । पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा है और यह दुनियां के लिए चिन्ता का विषय है । इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए । हमारे राज्य मंत्री नारायण रामदास आज भी वहां पर लगे हुए हैं और राहत काम कर रहे हैं । मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से सजग है । वहां पर लोग पूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो सहायता 50 हजार रुपये थी उसको बढ़ाकर इस सरकार ने 1 लाख रुपये कर दिया है । मान्यवर, मानकों के अनुसार मृतकों को 25 हजार तथा 50 हजार रुपये ही देय है किन्तु भयंकर त्रासदी और विपदा को देखते हुए सहायता की धनराशि दुगनी अर्थात 50 हजार तथा एक लाख रुपये कर दी गयी है । मान्यवर, इसी प्रकार से आवासों की क्षति के लिए मानकों के अनुसार अधिकतम 7500 रुपये का प्राविधान है, लेकिन सहायता की राशि बढ़ाकर 25 हजार तथा 15 हजार रुपये की गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये और चमोली जाकर स्थान-स्थान पर एक-एक घर को देखा और एक-एक व्यक्ति से बात की ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अवगत कराना चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त मुनि के आगे भटवाड़ी ग्राम के लोगों ने जीवन में कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार त्रासदी की घड़ी में उनके प्रदेश का मुख्य मंत्री खड़ी चढ़ाई पार करके जो कि एक-डेढ़ किलोमीटर की है पार करके एक-एक गांवों में पहुंच जायेंगे । मान्यवर, उस समय का दृश्य देखने लायक था । वहां के लोगों की आंखों में आंसू आ गये थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर एक को सान्त्वना दी थी । पूरा गांव गमगीन था । श्रीमन् जिस तरह से वहां के लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने ढाढस बंधाया और प्रशासन को सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिये सराहनीय है और मान्यवर, इस क्रम में वहां के कमिश्नर को निलम्बित किया गया । श्रीमन् वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य हुआ है । श्रीमन् मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब नीलकण्ठ की त्रासदी हुई थी, तमाम लोगों की जानें गई थीं, रेवती रमण जी हंस रहे हैं उन्हें मालूम है उस समय की संवेदनहीन सरकार ने क्या किया था ? कांग्रेस का शासन था तो

भेलाकूची की बाढ़ आई थी तब वहां कोई नहीं पहुंचा था । श्रीमन् इस सब से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर इस सदन में विचार किया जाना चाहिए । श्रीमन् यदि मैंने कुछ बात कही है तो श्रीमन् मैं उस पर अपना जवाब देना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं पुनः विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़कर हम सब को चर्चा करनी चाहिए । अन्त में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप वातावरण खराब न करें । माननीय नेता विपक्ष ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामतेज जी यह तरीका ठीक नहीं है मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें । यह लिखा नहीं जा रहा है । यह अंकित नहीं होगा ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भूकम्प की त्रासदी पर माननीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । श्रीमन् यह अवसर आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है और न मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह अवश्य है कि जो अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 21 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तराखण्ड के लिए या एक और बहुत बड़ी धनराशि उत्तराखण्ड को दे रखी है, जो बहुत सहायक होगी । इस भूकम्प के सम्बन्ध में श्रीमन्, यह तो निर्मूल है, भूकम्प के सम्बन्ध में अगर कुछ करना है तो हमें जापान, केलिफोर्निया, इटली और सिसली जो भूकम्प और ज्वालामुखी की एक बहुत बड़ी बेल्ट है और जिसमें ज्यादा लोग प्रभावित होते रहे हैं और आज वहां भूकम्प जब आता है तो भूकम्प से कोई ज्यादा विनाश इन इलाकों में नहीं होता है, हां इतना अवश्य ज्वालामुखी का कोई विस्फोट होता है तो वह तो इसी कथन के तहत आ जाता है "मनुष्य भौगोलिक परिस्थितियों का दास है" तो ज्वालामुखी को तो नहीं रोका जा सकता है लेकिन भूकम्प के झटकों से जो विनाश वहां होता रहा है, उसको रोका गया है या फिर रोका जा सकता है, अगर हम लोग उन स्थानों से थोड़ा भी सबक लिए होते, वहां अध्ययन दल भेज करके या वहां के वैज्ञानिकों को यहां ला करके केवल मकानों की बनावट में ही बदलाव लाये होते ।

जापान में, भूकम्प आते हैं लेकिन कोई नहीं टूटता, बहुत बढ़िया मकान बनें हैं, कंक्रीट के ही नहीं लकड़ी के मकान, दफ्ती के मकान और दूसरी चीजों को वैज्ञानिकों ने खोज रखा है जिससे हम अच्छे-अच्छे आलीशान मकान बना सकते हैं । दुनिया के बहुत से इलाकों में ऐसे मकान बने हैं जिन पर भूकम्प का असर नहीं होता, हमारे साथियों ने भी देखा होगा । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं । मकानों के लिए पैसा यह सरकार दे रही है, 15 हजार रुपये या 25 हजार रुपये जो मकान टूटे हैं उनको पैसा न

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देकर उस जापानी टेक्नीक के आधार पर उन मकानों को बनवाने के लिए कोशिश की जाय या प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, नक्शा दे दिया जाये कि इस तरीके से और इस सामग्री से ही मकान बनायें यदि रुपया दे दिया गया और कंक्रीट के मकान फिर बन गये तो वही त्रासदी फिर घटित होगी जो आज हुई है। श्रीमन्, मैं यहीं पर यह भी कह देना चाहता हूं कि जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, इस भूकम्प की त्रासदी से उनमें से कैटेगरी बनानी चाहिए कि जो बच्चे ऐसे हैं, जो असहाय हो गये हैं, जिनके मां-बाप नहीं रहे या सभी सामान नष्ट हो गया, उनकी पूरी तरह से पढ़ने-लिखने की व्यवस्था करें। सहायता अगर दे भी दी गयी तो थोड़े समय में खा–पीकर के बराबर हो जायेगी।

ऐसा विचार होना चाहिए कि दीर्घकालीन सहायता उन्हें दी जाये और पढ़ने-लिखने की उनकी व्यवस्था की जाये और ऐसे लोग जिनकी रोजी-रोटी नष्ट हो गयी है, जैसे किसी की दुकान नष्ट हो गयी है, सारा सामान नष्ट हो गया है, जो 15–20 हजार रुपया उन्हें दे दिया जायेगा उससे उनका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, उनको दुकान की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजी-रोटी जो वह कमा रहे थे जिससे वह अपना काम चला रहे थे, उनका काम फिर शुरू हो सके और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। श्रीमन्, इसको हल्के-फुल्के मन से नहीं लेना है और जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि लगान की माफी या स्थगित कर देने के लिए। हमारी सरकार के मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, 10 हजार का कर्ज माफ किया था, इस त्रासदी में 20 हजार का कर्ज माफ कर दीजिए। वहां पर प्रभावित लोगों की आबपाशी व लगान माफ किया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वसूलियों को स्थगित किया जाय लेकिन मेरा यह कहना है कि जिन लोगों का रोजी-रोटी का जरिया खत्म हो गया है वह कर्ज और ब्याज नहीं दे पायेंगे इसलिये उनका कर्ज स्थगित न करके, उसको माफ किया जाना चाहिये नहीं तो वह कर्ज चुका नहीं पायेंगे। इसके अलावा वहां का एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये वैज्ञानिकों से एक सर्वेक्षण कराना चाहिये, वहां पर मकान पहाड़ों पर न बनाकर जो समतल जगहें हैं वहां पर बनाने चाहिये ताकि भूकम्प का असर मकानों पर कम हो सके। पूरा हिमालय सेडीमेंटरी राक्स, परतदार चट्टानों से बना हुआ है इसीलिये झटकों से वहां की भूमि टूटने लगती है। जो वहां पर तलहटियां हैं जहां बाढ़ नहीं आती है वहां पर मकान बनाने चाहिये। यह जो मकान बनाये जायं वह इटली, सिसली, जापान, कैलीफोर्निया में जिस ढंग से मकान बनाये जाते हैं उस तरह के बनाये जायं और कंकरीट के न बनाये जायं। वैसे तो हमारी पार्टी का सर्वेक्षण दल वहां जायेगा और सर्वेक्षण करेगा और अपनी राय सरकार को देगा। हमारी पार्टी के माननीय सदस्य आज यह घोषणा करते हैं कि एक-एक महीने का वेतन हम मुख्य मंत्री राहत कोष में देंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

हमारे मुख्य मंत्री जी और सम्बन्धित मंत्रीगण जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके इस त्रासदी में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सहायता पहुंचाने का काम करें और अच्छा हो कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाये जो मौके पर जाकर सर्वेक्षण करे और राहत सामग्री का भी वितरण करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसा किया जायेगा तो फिर नुक्ताचीनी करने का मौका विपक्ष को नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो जिक्र किया, उस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब उत्तरकाशी में भूकम्प आया था तो मेरा क्षेत्र उत्तरकाशी से लगा हुआ है, जिससे कम्प्रेटिव रूप से जब देखा गया तो जितनी तबाही उत्तरकाशी के अन्दर हुई थी उतनी मेरे क्षेत्र में नहीं हुई इसका एक बड़ा कारण यह था कि जो हमारे यहां मकान बने हैं वह ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी के

बने हैं और इन मकानों को बनाने के लिए लकड़ी वन विभाग द्वारा दी जाती थी । इसके अलावा वहां पर सरकारी मकान हैं जिनको ब्रिटिशर्स लाग हाउस कहा जाता है, इन मकानों पर भी भूकम्प से कोई क्षति नहीं हुई तो आज इस समस्या पर जब सदन में और पूरे देश में चर्चा हो रही है तो हम इस इंतजाम से वहां शुरूआत क्यों नहीं करते और वहां पर लाग हाउस की तरह लकड़ी से मकान बनाना आरम्भ क्यों नहीं करते यदि यह बात वहां अनिवार्य कर दी जाये और वन विभाग रियायत देकर लकड़ी दे तो मैं समझता हूं कि मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है, यह प्रार्थना मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र में जो भूकम्प की त्रासदी हुई है उसके सम्बन्ध में यहां माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । श्रीमन्,, जरूर इस बात का कष्ट हुआ है जब यह कहा गया कि जब-जब हम मुख्य मंत्री बनते हैं तो बाढ़ आती है, ओला वृष्टि होती है और भूकम्प आते हैं, मान्यवर, जैसे कि मानो हम मुख्य मंत्री बनते हैं तो इन आपदाओं को हम निमंत्रण देते हैं । काश मैं बहुत पहले नहीं जाता हूं, वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ, विधान सभा तो नयी नहीं बैठी है, आजादी के बाद के कई सरकारों का गठन होता रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यह दैवी आपदायें आती रहती हैं । लेकिन इस समय यह कहना कि हमारे मुख्य मंत्री बनते ही बाढ़ आ गयी और भूकम्प आ गया तो इस दुखपूर्ण अवसर पर यह कहना कि जब-जब हम मुख्य मंत्री बनते हैं तब-तब दैवी आपदायें आतीं हैं, इसे मैं अनुचित मानता हूं ।

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस त्रासदी को सरकार ने बहुत ही गम्भीरता से लिया है । श्रीमन्, 28 तारीख की रात्रि में 12.35 बजे पर पहला झटका लगता है और प्रातःकाल तक फिर राहत के कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं । मैंने अपने मंत्रि-मण्डल के दो सहयोगियों को प्रातःकाल वहां रवाना कर दिया था । उत्तरांचल मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल और दूसरे राज्य मंत्री, श्री मातवर सिंह कण्डारी को रवाना कर दिया था इसके बाद 30 तारीख को मैं वहां जाकर सभी के बीच में जाकर जानकारी करता हूं और उसके बाद वहां पर हमने श्री नारायण राम दास, उत्तरांचल के राज्य मंत्री हैं, उनको वहां पर भेजा है कि वह राहत कार्यों को देखें और समन्वय भी स्थापित करें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इसकी भी चेकिंग करते रहें । मैं उत्तरांचल के सभी मंत्रियों और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस दैवी त्रासदी के मौके पर वहां पहुंचे और राहत कार्यों में अपना हाथ बंटाये ।

श्रीमन्, अभी जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं हम उनपर विचार करेंगे और जो सम्भव हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे । श्रीमन्, अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो केन्द्र की सरकार है उसके आश्वासन के बारे में कहा, मैं बताना चाहता हूं कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और आज ही केन्द्र सरकार की ओर से वहां दल पहुंच रहा है, अपनी जानकारी हम देंगे और केन्द्र सरकार का दल उनको जानकारी देगा जिसके आधार पर राहत कार्य कराये जायेंगे । श्रीमन्, कल केन्द्र सरकार के मंत्री का बयान टेलीविजन पर सुना होगा कि वहां दल जा रहा है और उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके अनुसार उत्तरांचल में आये हुये भूकम्प की त्रासदी के लिए जो कुछ भी सहायता देनी होगी उसे दी जायेगी ।

श्रीमन्, केन्द्र सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करना उचित नहीं है । मैं आश्वस्त हूं, प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, वह वहां दल भेज रहे हैं जो अपनी रिपोर्ट देगा । केन्द्र सरकार ने हमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और हमें विश्वास है कि पूरा सहयोग मिलेगा । एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि हम केन्द्र की सरकार से मिल करके इसे राष्ट्रीय संकट निरूपित करायें । मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार की ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जायेगी कि पर्वतीय

अंचल के नाम पर आयी हुई भूकम्प की त्रासदी को हम राष्ट्रीय संकट के रूप में केन्द्र से निरूपित करायें । क्योंकि मैं स्वयं मानता हूं कि यह प्रश्न दो-तीन जिलों का नहीं है, उत्तरांचल के ही जनपदों का नहीं है यह प्रश्न राष्ट्रीय संकट का है । मैं आशा करता हूं कि केन्द्र की सरकार से राष्ट्रीय संकट घोषित कराने में हमको कामयाबी मिल सकेगी ।

एक बात और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कही है जो राहत के कार्य हैं यह दलगत भावनाओं से प्रेरित हो करके न कराये जायं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राहत के कार्यों में किसी प्रकार से दलगत नीति नहीं अपनायी जायेगी, दलगत आधार पर राहत के कार्य नहीं होंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है । मैंने यह भी निवेदन किया है कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करें । राहत के कार्यों में कोई दलगत भावना नहीं रहने दी जायेगी । यहां मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य, माननीय नेतागण मौके पर जा करके सारी स्थिति-परिस्थिति का जायजा लें और आपको वहां जाकर यह लगता है कि राहत कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है और गड़बड़ी हो रही है तो मैं आपका आभारी हूंगा उसकी जानकारी आप अवश्य दे दें, राहत कार्यों में गड़बड़ी को यह सरकार सहन नहीं करेगी । राहत कार्यों में समन्वय स्थापित न करने और शिथिलता के कारण मण्डलायुक्त जैसे सीनियर अफसर को सस्पेंड किया गया है । यह सन्देश निश्चित तौर पर राहत कार्यों में लगे हुए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में जरूर जायेगा । मैं पुनः दोहराना चाहता हूं आप में से जितने लोग जा सकें, माननीय नेतागण, माननीय नेता विरोधी दल जा सकें वह जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

सदन की एक कमेटी बना दें और वह कमेटी वहां चली जाये ।

श्री कल्याण सिंह–

इससे बड़ी समिति कौन सी होगी । पूरा सदन आज इस पर विचार कर रहा है । मैं तो आपको इन्वाइट कर रहा हूं आप वहां जाकर हमको बताइयेगा । श्रीमन्, कई बातें आयीं, विश्व में कहीं ऐसी पद्धति विकसित नहीं हुई है जिससे भूकम्प आने का पूर्वानुमान लगाया जा सके । इसीलिये बहुत पहले से जनता को सचेत करना, अलार्म करना उससे जनता सावधान हो जाये कि अब भूकम्प आने वाला है सम्भव नहीं है । कोई टेकनीक नहीं है । विश्व में कही भी यह टेकनीक विकसित नहीं हुई है । दैवी आपदा है, अचानक आयी और त्राहि-त्राहि मचाकर चली गयी । जहां तक अहेतुक सहायता की बात कही है । पहले यहां पर वर्षों से 250 रुपये से 500 रुपये तक की अहेतुक सहायता दी जाती रही है, कई सरकारों के जमाने में, पहली बार इस सरकार ने इस अहेतुक सहायता को एक हजार पांच सौ रुपये किया है और जो भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र हैं हम उनका आंकलन करायेंगे । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर अहेतुक सहायता की दूसरी किश्त भी जरूर दे दी जायेगी और यहां पर जो मानक रहे थे अपनी-अपनी सरकारों के दिन याद करिये । पूरी तरह से ध्वस्त मकान होते थे उनके लिये 7,500 रुपये और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होते थे उनके लिये 600 रुपये से 800 रुपये दिये जाते थे ।

श्री धनीराम वर्मा–

महंगाई कितनी बढ़ गयी है । कितने प्रतिशत बढ़ी है यह भी बता दें ।

श्री कल्याण सिंह–

जो पूरी तरह से ध्वस्त मकान हो जाते हैं उनके लिये 25,000 रुपये एवं जिन मकानों में दरारें पड़ गयी हैं उनके लिये अलग से 15,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

एक भी मकान 25,000 रुपये में नहीं बनेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

कुछ बातें आई थीं कि शीघ्रगामी और कुछ दूरगामी योजनाओं की । जो मेरा पहले का वक्तव्य है उसके कुछ अंश मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाता हूं । भूकम्प की समस्या के समाधान के दीर्घकालीन उपाय प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि उत्तरांचल के समस्त जनपदों के प्रत्येक नगर और गांव का रिमोट सेन्सिंग द्वारा गहन सर्वेक्षण कराया जाए ताकि संवेदनशील स्थल चिन्हित हो सकें । दूसरा इन संवेदनशील स्थलों के चिन्हित होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि मकानों का निर्माण किन स्थानों पर किया जाना सुरक्षित है । इसी प्रकार हमने कहा है कि भूकम्प एक प्राकृतिक विपदा है यह तो आती रहेगी और आती रहती है इसको रोकने की कोई गारन्टी कोई सरकार नहीं दे सकती है । लेकिन हमने जो दो योजनायें बनाई हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण के लिये इको रेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेंट आफ हिल्स एरियाज । यह विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्वीकृति मिली हुई है । जिस पर 21.00 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा । दूरगामी उपायों की दृष्टि से एक और योजना इन्टीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इससे भी वहां के क्षेत्रीय पर्यावरण का असंतुलन और जल प्रबन्धन असंतुलन दूर होगा । अभी टिहरी डैम की बात चली थी इन भूकम्पों का टिहरी डैम से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार सड़क निर्माण व भूकम्प का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भूकम्प तो जमीन के नीचे जो परतें हैं उनके खिसकने से पैदा होता है । इस बार यह भूकम्प धरती से 30 कि०मी० की गहराई पर आया है । अगर यह भूकम्प जितनी तीव्रता का था यह अगर ऊपर आया होता तो विप्लव हो गया होता । मैं श्री पोखरियाल जी जो वहां के हैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता । मैं भूकम्प से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों के लगान और आबपासी के माफी की घोषणा करता हूं । सरकार में जो शामिल दल हैं, हम पहले भी विचार कर चुके हैं, माननीय मंत्रियों के बारे में बताया कि 31 मार्च तक आधा वेतन ले रहे थे और आधा बाढ़ग्रस्त में जा रहा था । अब वह मार्च का पूरा का पूरा वेतन एक प्रकार से भूकम्प राहत कोष में जायेगा । हमने यह भी निर्णय लिया है कि भूकम्प राहत कोष का गठन कर दिया जायेगा ताकि विभिन्न संस्थाओं से जो धनराशि मिल सके वह उसमें जा सके । सरकार में शामिल दल के माननीय विधायकगण भी अपना एक-एक महीने का वेतन भूकम्प राहत कोष में देंगे । माननीय नेता विरोधी दल जी ने अपनी बात पहले ही कह दी थी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने भी अपनी बात कह दी थी । मैं यह अपेक्षा करूंगा कि सभी दलों के माननीय विधायक मिल करके एक-एक महीने का वेतन भूकम्प राहत कोष में प्रदान करेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

हम एक-एक महीने का वेतन मुख्य मंत्री राहत कोष में देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

हम भी देंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय नेताओं के काफी सुझाव आये हैं उन पर हम विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक राहत अपने भाइयों और बहिनों को पहुंचायेंगे । जो त्रासदी हुई है, कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक योजनाओं का जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया, इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्य योजना बना करके अमल करने की कोशिश की जायेगी ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–16 पुकारे जाने पर)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा मंत्रिपरिषद् से त्याग-पत्र तथा उनके द्वारा वक्तव्य दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य ने अत्याचार, अनाचार आदि जैसे आरोप लगाये हैं और सी० बी० आई० से जांच की बात कही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अपनी व्यवस्था दे चुके हैं । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अच्छा हुआ अध्यक्ष जी आप आ गये । एक मंत्री ने लिखकर आरोप लगाया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ गया है । सारी चर्चा हो गई है । सुझाव भी आप लोगों ने दिये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप नियम 300 को पढ़ें । एक मंत्रिपरिषद् के सदस्य ने आपके समक्ष और आपकी अनुमति से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है और मुख्य मंत्री जी को दिया है । मुख्य मंत्री जी ने उसे जेब में रख लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मंत्री मंत्रिमण्डल में मौजूद हैं या उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है । उन्होंने अपने पत्र में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं मुख्य मंत्री जी के ऊपर ।

श्री अध्यक्ष–

आपने क्या वह पढ़ लिया है । बंद लिफाफे में क्या लिखा है, हमें क्या मालूम । यह तो मुख्य मंत्री के ऊपर है कि वह त्याग-पत्र स्वीकार करें या न करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

पत्र में क्या लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन का अधिकार नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रिमण्डल से किसी के त्याग-पत्र दे देने से कैसे इस सदन के कार्य का विनिश्चय हो रहा है । आप इसके उप नियम (6) को देखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप उठा नहीं सकते । उप नियम (6) देखिये । कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये औचित्य का प्रश्न नहीं.....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम तो यह कह रहे हैं कि मंत्री जी ने अपना त्याग-पत्र दिया है उसमें कई आरोप भी माननीय मुख्य मंत्री जी पर लगाये हैं । तो मान्यवर, उन आरोपों की सी० बी० आई० से जांच करा लें । हम तो नैतिकता के रूप में बहुमत सिद्ध करने की बात कह रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह कुछ नहीं । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जिस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी उस समय यह सहमति हुई थी कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् का एक चयनित प्रतिनिधि गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का सदस्य होगा परन्तु इसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में सम्मिलित नहीं किया गया । माननीय उच्च न्यायालय की इच्छा को दृष्टि में रखकर संशोधन को विधेयक के रूप में लाया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्रिमण्डल में इस तरह से मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं । मुख्य मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए । मैं और मेरे दल के सदस्य सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(प्रमोद कुमार व उनके दल के सदस्य सदन त्याग-कर चले गये)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

1973 में उच्च न्यायालय में यह शिक्षा परिषद् गया था । शिक्षा को समान करने के लिये यह विधेयक के रूप में संशोधन लाया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह सरकार से कहना चाहते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय हों, अन्य संस्थान हों नामकरण का एक संक्रामक रोग हो गया है और दूसरे वहीं पर आप जो संशोधन लाये हैं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहभागिता की जाय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में

कोई रिट याचिका प्रस्तुत की है उसमें विश्वविद्यालय की तरफ से काउन्टर एफिडेविट लगा होगा और सरकार ने भी लगाया होगा । मेरी निश्चित जानकारी है कि उसमें विरोध किया है । यदि कोई फाइंडिंग अपरेबिल कोर्ट की तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं जाते । सरकार को जाना चाहिए ।

आज महाराणा शिक्षा परिषद् क्या है, इसकी क्या संविदा विश्वविद्यालय गोरखपुर से हुई थी ? यह कोई स्पष्ट नहीं है । आपके माध्यम से कहना है कि इस तरह से जो यह प्रतिनिधि आयेगा और यह जो प्रक्रिया इस तरह की है यह स्लो प्वाइजन है । इससे देश और प्रदेश में वातावरण गलत होगा । यद्यपि यह बात विषय से हटकर हो सकती है पंडित दीन दयाल के नाम से कोई ऐतराज नहीं है, वीर बहादुर सिंह के नाम से कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन जैसा कि नामकरण एक संक्रामक रोग हो गया है । एक सरकार आती है नाम बदलती है, दूसरी आती है वह उसे बदल देती है । इस बारे में कोई स्थाई व्यवस्था हो, इसका चिन्तन होना चाहिए जिससे प्रदेश और देश एक हो जायेगा । जाति धर्म सम्प्रदाय के आधार पर अगर हम करेंगे तो एक अच्छा आदर्श नहीं प्रस्तुत करेंगे । इस तरह से आपको इतिहास के पन्नों पर जाना पड़ेगा कि किन कारणों से हम गुलाम हुए थे । जाति और सम्प्रदाय ने अहम भूमिका निभाई थी । क्या हम जाति और सम्प्रदाय के आधार पर निर्णय लेंगे । यह अच्छी शुरुआत नहीं होगी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं स्पष्ट होना चाहिए महाराणा शिक्षा परिषद् क्या है, कौन लोग हैं क्या बायलाज हैं, जो सदस्य हैं वह किस स्तर के हैं शिक्षाविद हैं या नहीं । इनके और महराणा शिक्षा परिषद् के बीच में क्या संविदा है । हाईकोर्ट ने विचार व्यक्त किया है अन्तिम फाइंडिंग नहीं दी है । तो जब तक अन्तिम फाइन्डिंग न आ जाए तब तक यह विधेयक लाना उचित नहीं है । यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है । इसमें पहले विचार करने की जरूरत है इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पास करने के पहले प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वह एक माह में चिन्तन मनन करके अपनी रिपोर्ट दे उसके बाद विधेयक लायें ।

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है आप स्वयं भिज्ञ हैं किसी विश्वविद्यालय के कोर्ट में किसी प्राइवेट संस्था के प्रतिनिधि को शामिल किया जाना उचित है या नहीं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था है उस संस्था का मान्यवर, उस विश्वविद्यालय के कोर्ट में चेतक संगठन है, विश्वविद्यालय के कोर्ट में एक सदस्य को जबर्दस्ती शामिल किया जा रहा है । 1973 का कोई मसौदा था । 1999 में यह विधेयक लाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही यह न्याय संगत है । आप स्वयं भिज्ञ हैं इसलिये अनुरोध करूंगा शाक्य जी ने जो प्रस्ताव किया है उसको प्रवर समिति के सामने भेजें इससे अच्छा विषय प्रवर समिति के सामने जाने का नहीं है । हाईकोर्ट का सहारा लिया गया है हाईकोर्ट में जो विषय था उसमें प्रदेश सरकार ने क्या रुख अपनाया, इस मामले को सरकार ने, जो न्याय संगत नहीं है, इसको उच्चतम न्यायालय में ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की । यह प्रवर समिति में भेजना बहुत आवश्यक है ताकि एक विवेचना हो जाए । यह विश्वविद्यालय के हित में होगा । आज इस तरह से एक सदस्य को शामिल किया जा रहा है अन्य विश्वविद्यालय में भी ऐसी परिस्थिति आयेगी किसी प्राइवेट संस्था के लोगों को शामिल करने के लिये अधिनियम लाया जायेगा । प्राइवेट संस्था के चन्द लोगों के हाथ गिरवी रखने के लिये ऐसा किया जा रहा है इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, शाक्य जी ने कहा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कोई नामकरण की बात नहीं है गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के मध्य एक द्विपक्षीय संविदा हुई थी, जिसके तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर) के अधिनियम 1956 की धारा 20(1) (x) में यह व्यवस्था थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रशासकीय परिषद् में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् का एक चयनित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेगा । विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में बनाया गया उस समय जो आपस में समझौता हुआ था उसको अधिनियम में नहीं रखा गया । उच्च न्यायालय की द्विखंडीय पीठ द्वारा दिनांक 15-1-97 को निर्णय पारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 1974 तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के बीच अधिनियम बनने के पूर्व हुए संविदा को दृष्टिगत रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कार्य परिषद् में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में न रखा जाना विधि के अनुसार नहीं है । इसलिए विधिक दृष्टि से इस विधेयक को लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शक्य जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह विधेयक हित में नहीं है इसलिए इस संशोधन पर बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 तथा 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधि-नियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 20 में उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(घ) कुमायूं और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों तथा डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की स्थिति में,—

(I) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायेगा ;

(II) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा ;

और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा खण्ड (ग) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की स्थिति में ,—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा ;

(ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर का एक प्रतिनिधि जिसे उक्त परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा ;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा,"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 तथा 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद सं०–18 पुकारे जाने तथा श्री अनीस खां के खड़े होकर बोलने पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष–

पहले मद संख्या–18 हो जाने दीजिये । मैंने यह मद पुकार ली है ।

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मानयवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें किंग जार्ज मेडिकल कालेज के कतिपय शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने के लिये यह 11 अप्रैल, 97 को शासनादेश निकाला गया था । उसको विधिक की दृष्टि से करने के लिये विश्वविद्यालय अधिनियम–73 में संशोधन किया गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, जो विश्वविद्यालय में लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं, एक आयोग के तहत इनकी नियुक्ति होती है । इसमें के० जी० एम० सी० लखनऊ में कतिपय शिक्षकों की पदोन्नति की गयी है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कुछ नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो एडहाक होती हैं और इनका रेग्युल्राइज करने के लिये यह विधेयक लाये हैं । अगर इस तरह से जो प्रोफेसर हैं, जो रीडर हैं को रेग्युल्राइज करेंगे तो इससे आपका इन्टेरेस्ट इन्वाल्वमेंट दिखायी देता है । इनको जो वेतनमान मिलेगा वह एक वरिष्ठता क्रम में मिलेगा और एक सिक्योरिटी उसमें हो जाती है तो यह उचित नहीं है । इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे । आप इसको जल्दबाजी में लाये हैं जो ठीक नहीं है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसमें रेग्युल्राइज करने का प्रश्न नहीं है । जो के० जी० एम० सी० में शिक्षक कार्य कर रहे थे उनको पदोन्नति करने के लिये उन्हें विनियमित करने की दृष्टि से संशोधन लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

नहीं मैं बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा–संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31–कक का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, धारा 31–कक में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

"(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) या उपधारा (2) या किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 842/15–10–97–11 (7)/96, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट संकाय में सह-आचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक को इस रूप में सेवा में सेवारत हों, ऐसे पदोन्नति के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया समझा जायगा ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया औरर स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा विधायकों को प्रोटोकाल उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

(व्यवधान)

श्री अनीस खां–

मान्यवर, जनता की कुछ समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत से समय लेकर उनके आवास पर गये, उन्होंने पौन घंटे मुझे बिठाये रखा।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी सुसंगत नियमों के अन्तर्गत लिखित सूचना दे दीजिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, समय देने के बाद पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ने माननीय सदस्य को पौन घंटे बिठाये रखा। पुनः समय लेकर वे गये। मान्यवर, यह तो शिष्टाचार के नियमों की खुली अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी उत्तर मंगा लेंगे।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, विधान सभा की कार्य सूची 11 बजे से प्रारम्भ हुई इसमें साढ़े 17 घंटे की चर्चायें आदि लगी हुई हैं। तो मेरा निवेदन है कि सदन की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकतम समय है यह माननीय सदस्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने संक्षेप में और कितने सूत्र में अपनी बात कहेंगे।

प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जनसंख्या की बढ़ती गति से विकास की गति रोकने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम 52 पर आपने चर्चा स्वीकार की है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, इटली में नेपल्स की पहाड़ियों के पास यूनानियों का एक बड़ा सुन्दर नगर पोम्पी बसा हुआ था, जिसे ईसा की आठवीं शताब्दी पूर्व यूनानियों ने बसाया था। लेकिन 79 ए०डी० में जब विसूबियस का ज्वालामुखी फटा, तो क्षण मात्र में पूरा पोम्पी नगर उसके लावे और राख के नीचे दब गया। मान्यवर, जैसे उन निवासियों को यह नहीं पता था कि वे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर रह रहे हैं और कई सौ वर्षों से रहते चले आ रहे थे, शायद इसी तरह हम लोगो को नहीं पता कि मान्यवर, आज हम जनसंख्या वृद्धि के लावे पर बैठे हुए हैं। हमारे विकास के सारे संसाधन इस जनसंख्या वृद्धि के कारण सिमटते चले जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं। विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० इस्माइल सेरागेल्डिन ने विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अमेरिकन पत्रिका न्यूज वीक में कहा था, इण्टरव्यू में कहा था–इस समय दुनिया मे 840 मिलियन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, दो अरब लोग ऐसे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं।

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा था, पृथ्वी पर जब तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता आयेगी, तब तक भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में तीन अरब और लोगों की वृद्धि हो जायेगी । इतने लोगों के खाने के लिए हम रोटी की व्यवस्था कहां से कर पायेंगे ।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुये)

मान्यवर, इस भयावह स्थिति पर ज्वालामुखी की कगार पर जनसंख्या की वृद्धि के कारण बैठे हुए हैं । हमारा विकास अवरुद्ध है । इस विषय पर हम चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी पक्षों के सदस्यों के विचार आये, दलगत, जातिगत, लिंगभेद से ऊपर उठकर विचार आयें ताकि इस भीषण समस्या पर सदन निर्णय कर सके और इस निर्णय के आधार पर सरकार कार्रवाई कर सके जिससे जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके । आज इसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, परिवारवाद टूट रहा है । शहरों के बाद दूर गांवों में जनसंख्या बढ़ रही है, सबको शिक्षा देना एक सपना हो गया है । पार्टी चुनाव में झुग्गी-झोपड़ी तक विकास की चर्चा होती है लेकिन विकास को करना आज एक दुरुह कार्य हो गया है ।

आज जनसंख्या के कारण प्राकृतिक मनोरम दृश्य भी सिमट रहे हैं शहरों का सुन्दर विकास अपनी गति को अवरुद्ध कर रहा है । पहले एक विधान सभा क्षेत्र 80,000 मतदाताओं का हुआ करता था अब साढ़े तीन लाख का एक विधान सभा क्षेत्र है । कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के साथ अगर चाहे भी तो भी न्याय नहीं कर सकता । मान्यवर, गांव में लोग जाया करते थे तो गांव में मक्का की रोटी और चने का साग, सरसों का साग इसकी इच्छा लेकर जाते थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का जो दबाव है उसके कारण वह एक सपना हो गया है । मान्यवर, गोधुली बेला से जब गांव में जानवर वापिस आते थे तो वह भी अब गांव में समाप्त हो गया है, खेत, खलिहान सब सिकुड़ रहे हैं, चारागाह समाप्त हो रहे हैं ।

प्राकृतिक सम्पदा, मूल संस्कृति पराक्रम अब म्यूजियम की सम्पत्ति रह जायेगी । हम सब की स्थिति इस जनसंख्या के कारण संसाधनों के अभाव के कारण किंकर्तव्यविमूढ़ की हो गयी है । निरीहता की स्थिति आज होती चली जा रही है । हम कबूतर की तरह जो बिल्ली को आता देखकर बचाव करने का प्रयास न कर आंख मूंदकर बैठ जाता है, वही स्थिति आज हमारी है । यदि भारत के मानचित्र में हम केवल उत्तर प्रदेश को निकाल दें तो भारत विकास के स्तर में 10 गुना ऊपर उठकर आ जायेगा । हम हिन्दुस्तान के विकास को 10 बिन्दु नीचे लाकर रखे हैं ।

मान्यवर, आज अगर हम जनसंख्या के प्रतिशत पर विचार करके देखें तो शायद हमको लगे कि विकास के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, वह ऐसे ही है जैसे बालू के ऊपर मकान खड़ा कर रहे हों और पता नहीं कब नीचे से बालू खिसक जाये और मकान ढह जाय । आज दुनिया के बहुत से देशों में आबादी का तूफान थम रहा है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी का तूफान लगातार बढ़ रहा है । हम खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत पिछड़ चुके हैं । आबादी और खाद्य उत्पादन के बीच में एक कांटे की स्थिति आ गई है, हम और अधिक अन्न उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

यह दुनिया नई शताब्दी को दस्तक देने की दहलीज पर पहुंच गई है, दस्तक देने के समय इस प्रदेश और देश की बढ़ती आबादी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है । जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यदि देखें तो पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी० 274 है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 473 व्यक्ति हैं । यदि प्रति वर्ग किमी० के हिसाब से अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की तुलना कर विचार करें तो कर्नाटक में 235, राजस्थान में 129, मध्य प्रदेश में 149 और हमारे उत्तर प्रदेश में 473 है ।

इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दर के अनुसार विचार करें तो 81-91 में केरल में 14.32, गोवा में 16.07, तामिलनाडु में 15.39 और उत्तर प्रदेश में 25.48 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है, इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी सबसे आगे है और सभी दृष्टिकोणों से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। इस बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के रूप में सामने आ रहा है, जो इस समय सुरसा की तरह से बढ़ रही है। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में वर्ष 1994 तथा 1998 में मलिन बस्तियों की संख्या का क्या अन्तर रहा है, यह इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा। वर्ष 1994 में लखनऊ महानगर में 128 मलिन बस्तियां थी, जो 98 में 752 हो गई हैं। इसी प्रकार कानपुर में 1994 में 98 थीं, जो 97-98 में 450 हो गई। इलाहाबाद में 94 में 90 मलिन बस्तियां थी, जो 97-98 में 225 हो गईं। वाराणसी में 94 में 55 थी, अब 97-98 में 258 हो गई हैं। गोरखपुर में 94 में 25 मलिन बस्तियां थी, अब 97-98 में 85 हो गई हैं। गाजियाबाद में 94 में 23 थीं, अब 98 में 65 हो गईं।

आगरा में 94 में 225 थीं, अब 98 में 400 हो गई हैं, अलीगढ़ में 94 में 85 थी अब 97-98 में 150 हो गई हैं। इसी प्रकार मेरठ में 94 में 175 थीं, अब 97-98 में 300 हो गई हैं। बरेली में 94 में 27 थीं, अब 97-98 में 80 हो गई हैं, मुरादाबाद में 94 में 19 थीं, अब 97-98 में 32 हो गई हैं। इस प्रकार पूरी स्थिति पर नजर डालें तो विकास के नाम पर, संसाधनों के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे की स्थिति है। मलिन बस्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और जनसंख्या का दावानल हमारे देश और प्रदेश को खाने को तैयार बैठा है। यदि यह सदन आज इस गम्भीर समस्या पर विचार नहीं करेगा तो आने वाला समय आज के जन प्रतिनिधियों को माफ नहीं करेगा। आज [illegible] हैपेटाईटिस, एड्स जैसे रोगों का विस्तार हो रहा है, जिनकी चिकित्सा सामान्यजन के बाहर है। [illegible] जीवन स्तर नीचे गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बराबर गिरती जा रही है, परिवहन [illegible] बिजली जैसी आवश्यकताओं को हम जरूरत के हिसाब से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और यह [illegible] ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई हैं, भुखमरी बढ़ रही है, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण अपराध और झगड़े बढ़ रहे हैं, लोगों में बेरोजगारी, भूख, निराशा बढ़ रही है और ऐसे व्यक्तियों की आज एक लम्बी फौज खड़ी है और जब बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, तो वह आर्थिक और सामाजिक ढांचे को हिला कर रख देगी। जो हमारे उपलब्ध साधन हैं, वह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त नहीं होंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कुछ नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रति घंटे में 10 मानसिक विक्षिप्त बच्चे पैदा हो रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन पर उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में 325 मिलियन डालर, 20 हजार करोड़ रुपया परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण पर खर्च किये जा चुके हैं और उपलब्धि केवल 16 प्रतिशत की है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया है। मान्यवर, यह सारे सदन के लिये चिन्ता का विषय है। मान्यवर, अब आप फर्टिलिटी पर गौर करें, केरल में महिलायें 2 गर्भ धारण करती हैं और बिहार में 6 गर्भ धारण करती हैं।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, इसमें उत्तर प्रदेश मान्यवर बहुत पीछे हैं। लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, जिससे उनका वंश चले, इन्हीं सब चीजों के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मान्यवर आप यहीं दक्षिण भारत में देखें, महिलाओं का शैक्षिक और सामाजिक स्तर ऊंचा है और इसी कारण वहां पर जनसंख्या का नियंत्रण है। आप विदेश की बात को छोड़ दें, मैं कहना चाहता हूं कि केरल से उत्तर प्रदेश 120 वर्ष पीछे है, केरल में महिलाओं की फर्टिलिटी कम है और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। मान्यवर, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण नष्ट हो रहा है। यूनाइटेड नेशन्स का पापुलेशन

फण्ड कार्य कर रहा है और 1996 में इसने 46 अफ्रीकी देशों में और 37 लैटिन देशों में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कार्य किया है । पाकिस्तान के निवासी, नफीस साहब इसके डाइरेक्टर हैं । मान्यवर, दक्षिण में एम० पी० और एम० एल० ए० की सीटें कम हो रही हैं और हरिणाणा में एम० पी० की एक सीट, उत्तर प्रदेश में 8 और पंजाब में 2 एम० पी० की सीटें बढ़ाने की मांग की जा रही हैं, तो आज दक्षिण भारत जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी योगदान दिया है, उसे इस बात पर पुनः सोचना होगा । मान्यवर, देश में और प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ धार्मिक बाधायें भी हैं । यू० एन० ओ० में इसके लिये निदेशक जो हैं वह पाकिस्तान के हैं और वह बंगला देश और पाकिस्तान में परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रहे हैं । 1995-96 में बंगला देश में 4100 मिलियन टका खर्च किया जा चुका है, जब कि वहां की आबादी 12 करोड़ है । पाकिस्तान में 1137 मिलियन रुपया वर्ष 1995-96 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च किया गया । वर्ष 96-97 में 1061 मिलियन रुपया, वर्ष 97-98 में 2188 मिलियन रुपया खर्च किया गया । मान्यवर यह सोच का विषय है कि उत्तर प्रदेश में अब तक अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर परन्तु आज स्थिति ज्यों कि त्यों है । इसके लिये पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की जन चेतना की आवश्यकता है । और इसके लिये जनान्दोलन का सहयोग लेना चाहिये, निजी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिये । जनसंख्या की वास्तविक नीति यथार्थ पर आधारित होनी चाहिये । सरकार को जन चेतना जगाने के लिये जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिये, संगठनों का सहयोग लेना चाहिये, धार्मिक संगठनों का सहयोग लेना चाहिये । पंचायत स्तर पर इसकी जिम्मेदारी को सौंपना होगा । यदि किसी क्षेत्र विशेष में जिला विशेष में, कस्बा विशेष में, मोहल्ला विशेष में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वहां पर कुछ नियम बना देने चाहिये और उनका कार्यान्वयन सुदृढ़ ढंग से होना चाहिये ।

मान्यवर, यदि जनसंख्या वृद्धि इसी तरह होती रही तो न यह प्रदेश बचेगा और न यह देश । जब यह देश-प्रदेश नहीं बचेगा तो राजनीतिक दल भी नहीं बचेगे और फिर रह जायेंगे तो बस हम और आप। मान्यवर चीन का उदाहरण ले लीजिये वहां 1970 से इस दिशा में सोच प्रारम्भ हो गई । इसके लिये विशेष कार्यक्रम बनाये गये जैसे एक बच्चा एक परिवार, देर से शादी, प्रथम बच्चा लड़की हो तो चार वर्ष तक कोई अन्य बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा । यदि वह प्रथम लड़की के बाद लड़का करना चाहता है तो उसे चार वर्ष तक इन्तजार करना पड़ेगा । जो इन नियमों का पालन करेगा उसे पढ़ाई, चिकित्सा, मासिक भत्ते की सुविधा । मान्यवर, इसे वहां पर 80 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वीकारा गया है । मान्यवर, चीन में लड़कियों की संख्या घट रही है । भविष्य में शादी हेतु लड़कियों की उपलब्धता कहां से होगी । मान्यवर, जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके दूसरे बच्चे को अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता, सामाजिक सुविधा से वंचित किया जाता है, प्रशासनिक दण्ड आर्थिक प्रतिबन्ध बाध्य गर्भपात, नसबन्दी और औसत वार्षिक आय का दुगना आर्थिक दण्ड, 6 वर्ष की आय का 30 से 50 प्रतिशत तक का दण्ड दिया जाता है । मान्यवर मेरा निवेदन है कि परिवार नियोजन के लिये एन० जी० ओज का उपयोग किया जाये । ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाये जो कि बस्तियों तक पहुंच सकें । अगर ये एन० जी० ओज आई० ए० एस० की पलियों तक ही सीमित होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता । कानून बनाकर स्त्री के अधिकार सुरक्षित किये जाने चाहिये । स्त्रियों के सुधार की ओर ध्यान देना चाहिये उनको पुरुषों के समान अधिकार अनुमन्य किये जाने चाहिये । मान्यवर परिवार नियोजन सूचना, शिक्षा, संचार के माध्यम से किया जाना चाहिये और वह भी बड़ी सुदृढ़ता के साथ । मैं इस सदन में समस्त माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भविष्य को दृष्टि में रखते हुये इस जनसंख्या वृद्धि जैसी गम्भीर समस्या पर सबको विचार करना चाहिये । इसके लिये सरकारी मिशनरी को छोड़कर अपने स्तर पर इसमें सहयोग देना होगा । इसी के साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चर्चा के अन्त में मुझे कुछ समय और दिया जाये ताकि मैं इस समस्या पर अपने कछ विचार और रख सकूं । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

पहले सबकी बात को सुन लें फिर मंत्री जी को अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर और चर्चा होगी, पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन लें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे सुना जाये ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, सभी के विचार आ जाने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिये ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि डा० साहब ने जनसंख्या की वस्तुस्थिति को लेकर बयान दिया, अपने विचार रखे... । मान्यवर पूरी बात तो सुन लें । यह इसलिये व्यवस्था की बात मैंने रखी है कि स्वास्थ्य मंत्री जब तक सभी लोगों की बात नहीं सुन लेते हैं वे कौन सी बात अधूरी कह देंगे। हम लोग पहले सुझाव देंगे और मंत्री जी बाद में उत्तर भाषण देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, आप नियम–54 देख लें, सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी । विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री का अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिन माननीय सदस्यों के दो से अधिक सन्तानें हों, वह जनसंख्या के बारे में न बोलें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेई जी ने जो बात सदन के समक्ष रखी, उसके विषय मे मंत्री जी सदन को जानकारी देंगे, उत्तर भाषण बाद में होगा । मंत्री जी आपको जानकारी देने के बाद अन्तिम उत्तर भाषण बाद में देंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा० सरजीत सिंह डंग–

चाहे यह पहले बोलें या बाद में । माननीय अधिष्ठाता जी ने यह कह दिया है कि मंत्री जी की जानकारी के बाद हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का मौका देंगे, उसके बाद मंत्री जी फिर बोलेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप उसका अर्थ देखें, मंत्री जी का उत्तर भाषण होगा । मान्यवर, यदि मंत्री जी का पहले भाषण हो जायेगा तो जिन सदस्यों को उसमें सम्मिलित होना है, उनकी बात सुन कर मंत्री जी उत्तर दें, उसमें यह व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण नहीं देंगे, मंत्री जी पहले जानकारी देंगे इससे माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने में आसानी होगी ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठायी । उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुयी जनसंख्या एक बड़ी समस्या है । देश की आजादी के समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6-7 करोड़ की बीच में थी और यह जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.58 करोड़ हो गयी है । सन् 2000 तक यह जनसंख्या 19 करोड़ 41 लाख हो जायेगी । 2021 में यह जनसंख्या 27.17 करोड़ हो जायेगी । यह एक बड़ी समस्या है और इसके बहुत से कारण हैं । एक कारण है कम आयु में लड़कियों का विवाह । महिलाओं का समाज में अपेक्षित सम्मान और स्थान का अभाव, महिलाओं में साक्षरता का अभाव, महिलाओं में पुत्र प्राप्ति की लालसा, परिवार नियोजन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव, गैर सरकारी संस्थाओं की अपेक्षित सहभागिता का अभाव, अपेक्षित राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी, यह कुछ मुख्य कारण हैं ।

यह बढ़ती जनसंख्या आज की समस्या नहीं है सन् 52 से लेकर अब तक परिवार नियोजन की अनेक योजनायें चलायी गयी हैं । जैसा कि माननीय बाजपेई जी ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं लेकित ऐसा नहीं है, अब तक 14461.30 करोड़ रुपये पूरे देश में खर्च हुये हैं जिसमें से 2003.44 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में खर्च हुये हैं । यह जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनायी है और हम जनसंख्या नियंत्रण नीति तुरन्त इस सदन में लाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण नीति देने वाले हैं । उसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण किया जायगा । यह समस्या किसी दल, किसी व्यक्ति या किसी विभाग की या पक्ष या विपक्ष की नहीं है यह पूरे समाज की समस्या है । हम चाहेंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मत, मजहब, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में हम अपना सहयोग करें । हमारे माननीय सदस्य जनसंख्या नियंत्रण के तहत कैसे सरकार इस कार्यक्रम को प्रभावी कर सकती है, ऐसे सुझाव दें ताकि हम इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से लागू कर सकें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर जो न केवल इस सदन तक सीमित है बल्कि इस प्रदेश और देश की आज यह सबसे बड़ी समस्या है ।

मान्यवर, यदि हम अपने प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह प्रदेश इतनी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है कि यदि तत्काल प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी तो आबादी नियंत्रण से बाहर हो

जायेगी और फिर कोई भी प्रभावी कार्यवाही हम नहीं कर पायेंगे । मान्यवर 2050 में भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है और हम चीन से भी आगे हो जायेंगे । मान्यवर, जहां तमाम आंकड़े श्री बाजपेई जी ने दिया है लेकिन मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को जिस गम्भीरता से आपको लेना चाहिए था, बजट सत्र बीत गया, बजट आपने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बारे में आप कोई विधेयक नहीं लाये हैं और न प्रभावी नीति की घोषणा ही किया है ।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में 5 बच्चों की संख्या आ रही है । जो हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं जैसे–उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ रही है । मान्यवर, आप देखें तो केरल में 1.6 की संख्या और तमिलनाडु मे 2 की संख्या तथा अन्य दक्षिण प्रान्तों मे यही संख्या आ रही है । विदेश की बात छोड़ दें, केरल, गोवा, तमिलनाडु के अनुरूप ही हमारा प्रदेश क्यों नहीं आ पा रहा है । इसलिए इसमें यह कहना कि धर्म-सम्प्रदाय आड़े आता है तो यह बात उचित नहीं मालूम पड़ती है क्यो कि इण्डोनेशिया और मलेशिया दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य देश हैं किन्तु वहां जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया है । केरल में भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र न होते हुये भी वहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन वहां पर भी जनसंख्या नियंत्रण हो गया है । इसलिए जो चेष्ठा हमको करनी चाहिए थी वह हमारे प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रही है । अब सवाल यह है कि इसका नियंत्रण कैसे हो जिसका तत्काल प्रभाव दिखायी पड़े । इसके दो विकल्प हैं– एक दीर्घकालीन और दूसरा अल्पकालीन विकल्प है ।

दीर्घकालीन मे जनसंख्या के लिए एक से अधिक संतान नहीं होगी जैसा कि चीन में है । अपने प्रदेश में आप फार्मूला बनायें कि दो सन्तानों से अधिक सन्ताने किसी दम्पति के नहीं होंगी फिर वह चाहे लड़का हो या लड़की हो अन्यथा जनसंख्या बढ़ती रहेगी ।

मानयवर, दूसरा विकल्प यह है कि आप बिल लायें कि गांव सभा, पंचायत और ब्लाकों मे; विधायक, सांसद में दो बच्चों से अधिक सन्ताने यदि पैदा होंगी तो उन्हें चुनाव मे खड़े होने का अधिकार नहीं होगा । यदि इतना आप कर सकते हैं तो इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे । इसके अलावा आपको यह भी करना होगा कि जैसे आप मकान, जमीन का आवंटन चाहते हैं, गैस एजेन्सी, पेट्रोल एजेन्सी और सरकारी नौकरियों में आप यह कर दें कि जिनके दो बच्चे अथवा एक बच्चा होगा उन्हें इन चीजों के आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, तो इसका परिणाम अच्छा आने लगेगा ।

मान्यवर, दूसरा पहलू यह है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में और हमारे प्रदेश में शिक्षा का अभाव है । अशिक्षित लोग तमाम सन्ताने पैदा करते हैं जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है, इस सम्बन्ध में जब सवाल उठाते हैं, यहां सदन में कि बालिकाओं के विद्यालय खोले जायं तो सरकार उत्तर देती है कि संसाधनों की कमी है । इस सम्बन्ध में हम लोगों का कहना है कि सरकार शिक्षण शुल्क लगा दे जैसे कि रोड फन्ड्स के लिए जब आप शुल्क लगा सकते हैं तो शिक्षण शुल्क क्यों नहीं लगा सकते हैं । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केरल और तमिलनाडु में जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई है क्योंकि 70–80 फीसदी महिलाओं का वहां शिक्षित होना है । आप देखें तो हमारे यहां 16–18 प्रतिशत बालिकायें शिक्षित हो रही हैं इसलिए इसमें व्यापक तरीके से आपको विचार करना होगा । मान्यवर, दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन दोनों योजनाओं को प्रदेश की जनता और सदन के सामने आपको लाना चाहिए था ।

मान्यवर, 1947 में इस प्रदेश की आबादी 6 करोड़ थी जो 2000 तक 17.45 करोड़ हो जायेगी । मान्यवर, हमारे प्रदेश के संसाधन सीमित हैं और नेच्युरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है जिससे आने वाले 10 सालों में हम सबको शुद्ध पेयजल नहीं दे पायेंगे । इसलिए तत्काल गम्भीर होकर, आज नहीं तो अगस्त के महीने में आप सत्र बुला लें और उसमें दो-तीन दिन जनसंख्या के प्रश्न पर चर्चा हो जाना चाहिए और उसके बाद आप कोई कारगर कदम उठायें जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग सके ।

आपका कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल का बजट चार आना प्रति व्यक्ति आता है जो बहुत ही कम है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में मृत्यु दर सबसे अधिक है । गांवों में लोगों में संशय रहता है कि यदि एक दम्पति के एक बच्चा होगा तो पता नहीं वह कब मर जायेगा इसलिए वह एक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहता है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आपने जो स्वास्थ्य सेवायें गांव में खोल रखी हैं वहां कोई डाक्टर नहीं रहता है । इसलिए सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से सुविधा दें और मेडिकल सेवाओं में इन्सेटिव, प्रमोशन आदि की सुविधा दें जैसे कि केरल में प्रत्येक पी० एच० सी० में चाहे मेल डाक्टर हो या महिला डाक्टर हों कोई न कोई वहां रहता अवश्य है । इसलिए आपसे आग्रह है कि मंत्री जी इसे गम्भीरता से लें और तत्काल इस पर प्रभावी कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ मैं बाजपेई जी को बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ऐसे विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, एक बड़े वैज्ञानिक ने लिखा है कि आने वाले वर्षों में होने वाला जनसंख्या विस्फोट हाइड्रोजन के बम के विस्फोट से अधिक शक्तिशाली साबित होगा । यह बात आज नहीं 8 वर्षों पहले उन्होंने कहा था । आज प्रत्येक सदस्य जो यहां पर बैठा है वह इससे सहमत होगा । मान्यवर, मैं साधुवाद देना चाहता हूं डा० बाजपेयी जी को कि उन्होंने एक ऐसा विषय जो प्रदेश और देश की अगली पीढ़ी से सीधा-सीधा सम्बन्ध रखता है । उन्होंने सदन में चर्चा के माध्यम से उठाया । मान्यवर, कुछ मूलभूत बातें हैं संसाधन और जनसंख्या का अनुपात । जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन सीमित हैं । जनसंख्या पर यदि प्रभावी रोक न लगायी गयी तो असीमित जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच में तालमेल बैठाने में बहुत बड़ी कठिनाई आयेगी । यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, अभी पेयजल की चर्चा, स्वास्थ्य की चर्चा, शिक्षा की चर्चा आयी । मानव जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो बढ़ती हुई जनसंख्या से कुप्रभावित नहीं होता । मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई वर्षों के वैज्ञानिक शोध किये जाने का पुरुषार्थ, विभिन्न सरकारों की नीतियों के कारण आज अन्न के मामले में हम किसी प्रकार आत्मनिर्भर हो सके हैं और यह सहज नैसर्गिक तथ्य है कि जमीन जिस पर हम अन्न उगा सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं वह सीमित है । आने वाले वर्षों में अन्न के लिए, पेयजल के लिए आने वाली पीढ़ी तरसेगी । आज अगर हमने गम्भीरतापूर्वक और जहां कठोर निर्णय लेना है कठोरतापूर्वक निर्णय नहीं लिये गये तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी ।

यूरोप के देश, आज उनकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि की दर पर प्रभावी नियंत्रण है । हमारे बगल का देश चीन, हमारा पड़ोसी, डा० बाजपेयी ने अपनी बात कहते समय इस बात की चर्चा भी की कि चीन की जनसंख्या हमसे भी ज्यादा है । अगर उनकी जनसंख्या की बढ़ती हुई दर और हमारे देश की जनसंख्या की बढ़ती हुई दर अगर आज की स्थिति से बढ़ती रही तो आने वाले 20 वर्षों में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश विश्व मे हो जायेगा । यहां पर दो-तीन बातों की चर्चा की गयी । शिक्षा को कही विशेषकर महिलाओं में, पुत्र होने का मोह, कन्या को हेय दृष्टि से देखा जाना और कहीं-कहीं कुछ बातों को लोग मजहब से जोड़ लेते हैं । अभी कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो मलेशिया और इण्डोनेशिया की बात की । मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सद्बुद्धि हमारे लोगों को मिले कि जनसंख्या का सम्बन्ध मजहब से न हो । संकीर्ण दायरे से बाहर निकल करके

जनसंख्या विस्फोट को रोकने की चेष्टा करना हम सबका पवित्र धर्म है । इससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता । लोकतंत्र मे जो निर्णय लिये जाते हैं वह लोकहित मे लिये जाने हैं और इतिहास साक्षी है जब तक लोकतंत्र लोकहित में कठोर निर्णय लेने में पीछे हटा है तब-तब लोकतंत्र असफल हो गया है । लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वच्छंदता दे दी जाये । एक नारा शासन ने दिया एक-दो-बस । उसका अर्थ था एक अथवा दो सन्तान हों उसके बाद नहीं । मैं एक स्थान पर खड़ा था लोग यह बात कह रहे थे कि जब सरकार ही कह रही है कि एक-दो नहीं बस भरके होना चाहिए । ऐसे नारों का मखौल उड़ाया जाता है । स्वयंसेवी संस्थाओं को आज जब तक जोड़ेंगे नहीं स्क्रीनिंग करके, तो आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हो गया है । स्वयंसेवी संस्थायें उससे अछूती नहीं बची हैं लेकिन वास्तव में जो समाज कल्याण करने वाली संस्थायें हैं उनको साथ जोड़कर शासन चलेगा तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे जायेंगे । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने सार्थक सुझाव दिया है मगर उन्होंने उसके साथ विधान सभा और लोक सभा में लागू करने की बात जानबूझ कर नहीं कही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैंने कहा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

ग्राम से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा तक इसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश स्तर पर, चाहे निर्वाचन आयोग स्तर पर चाहे केन्द्र सरकार के स्तर पर कठोर निर्णय लेना पड़े । प्रदेश सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भेजा जाए तो इतिहास का निर्माण करेंगें । इसके लिए उत्तर प्रदेश को पहल करनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है । सरकारी सेवाओं के लिए यह नियम बनाया जा सकता है । कहीं कोई कठिनाई नहीं है । जब तक आप जनमानस के मन में जनसंख्या के कारण अगले 20–25 वर्षों में क्या होने वाला है इसकी जानकारी नहीं देंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है । इसके लिए रेडियो, टेलीविजन, पाठ्यपुस्तकों फिल्मों का सहारा लिया जा सकता है । इससे यह बताया जा सकता है कि कैसे इसके कारण रोजी-रोटी के लाले हैं, इस कारण कितनी महामारी फैल रही है इस तरह के दृश्य अगर दूरदर्शन पर दिखायी देंगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन में प्रभाव पड़ेगा । इसमें हमारी भी कहीं न कहीं सहभागिता होनी चाहिए । आज सबसे बड़ी बात है स्वानुशासन की हम माननीय सदस्य जहां-जहां रहते हैं वहां पर जहां भी अवसर मिले इस पर चर्चा करनी चाहिए । इस पर कहीं राजनीतिक दल में जाने की आवश्यकता नहीं है । यह राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करने का मुद्दा है । दूसरी बात जनसंख्या बढ़ने के कारण लड़खड़ाते नियोजन जब तब सरकार की ओर से विकास की बात की जाए इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा उत्पादन लड़खड़ा रहा है, हमारा वितरण ढांचा गड़बड़ा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं डा० बाजपेयी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उनके कारण इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया । मैं आभारी हूं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का जिन्होंने

भयंकर जनसंख्या विस्फोट की तरफ ध्यान आकर्षित किया । मान्यवर, जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार के क्या दुष्परिणाम होंगे इस सम्बन्ध में डा० बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह एवं डा० डंग ने अपने विचार रखे हैं । सर्वविदित है और सभी बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से प्रदेश का ढांचा चरमरा जायेगा और प्रदेश की स्थिति विस्फोटक हो जायेगी । हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इस पर विचार करना है । प्रदेश सरकारों ने और देश की सरकारों ने परिवार कल्याण के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण हेतु बहुत बड़ा पैसा खर्च करने का प्रयास किया तो क्या पैसा खर्च कर देने मात्र से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं । चीन जैसे देश का उदाहरण दिया गया, निश्चित रूप से उनकी अच्छी सोच बनी है और चीन ने जनसंख्या नियंत्रण का काम किया वह शायद अद्वितीय है । परन्तु चीन की राजनीतिक व्यवस्था और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर है और हमें इससे अलग हटकर सोचना होगा ।

माननीय कुंवर साहब ने एक सुझाव दिया और डंग साहब ने भी उसका समर्थन किया, मैं उस सुझाव का पुरजोर समर्थन करता हूं । हमारे यहां लोकतन्त्र है, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह सत्ता के निर्धारण में हिस्सा ले और जब उसकी चाहत है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण पर । इसलिए लोकतान्त्रिक देश में सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए । चाहे जैसा भी निर्वाचन का कार्य हो इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चाहे वह पंचायत, सरपंच, को-आपरेटिव, ग्राम सभा, जिला पंचायत, विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा, यद्यपि विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के लिए तथा राज्य सभा के लिए हम यहां पर नियम नहीं बना सकते हैं लेकिन हमें संकल्प लेना है और उस संकल्प को भारत सरकार को भेजने का काम करें कि वह देश की पंचायत में इस तरह की नियमावली बनाये कि आज की तारीख के बाद जिस भी व्यक्ति का एक या दो बच्चे से अधिक बच्चे पैदा होंगे वह चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे । हम अपने स्तर पर विधान सभा में जो कर सकते हैं चाहे जिला पंचायत, ग्राम सभा, सहकारिता और जिन-जिन निर्वाचनों को हम यहां तय कर सकते हैं उनके बारे में विधान सभा में संकल्प लेकर इस तरह के प्रस्ताव का संशोधन करना चाहिए और उन नियमावलियों में यह प्राविधान करना चाहिए कि इन निर्वाचनों के लिए ऐसे व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे जिनका अमुख तारीख के बाद एक या दो बच्चे से ज्यादा बच्चे हो गये हैं । निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक कारगर कदम हो सकता है । पहले चरण में हम निर्वाचनों तक सीमित रखें और दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बनायें तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर बहुत बड़ा नियंत्रण हो सकेगा । साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया और कहा गया कि यहां पर जनसंख्या में नियंत्रण हुआ है । महिलाओं के शिक्षित होने का ही परिणाम है कि इन प्रदेशों में जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ । इसलिए हमारे प्रदेश में भी महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा । मेरा यह भी सुझाव है कि नौकरी पेशे में जो महिलायें शरीक हैं, निश्चित रूप से जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार का जो प्रतिशत है उनमें कम है । इसलिए हमें इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि सरकार नौकरियों में 30 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें । अगर इस पेशे में महिलायें कमाने लग जायेंगी तो सरकारती नौकरियों में निश्चित रूप से जनसंख्या में नियंत्रण हो सकेगा ।

शिक्षा की तरफ ध्यान देने की बात है। खास तौर से महिलाओं के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात है। यदि हम उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। बढ़ती हुई मृत्यु दर को घटाकर भी जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज जिसके एक लड़का होता है वह सोचता है न जाने कब क्या हो जाय इस डर के कारण वह दो तीन बच्चे अवश्य पैदा करता है। गांव में कहावत भी है कि एक लड़के को क्या लड़का माना जाय। एक आंख को क्या आंख माना जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बढ़ती हुई मृत्यु दर है उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये जो सुविधाएं हैं उनको प्रभावी ढंग से उपलब्ध करायें। तो हम निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकेंगे।

मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें, इस तरह का कानून बनायें कि चुनाव में पहले स्तर पर ऐसे लोगों को भाग लेने पर पाबन्दी लगेगी जिनको 1/2 से अधिक बच्चे होंगे। ऐसी योजना बनायें कि जहां गांव और पंचायतों में जनसंख्या नियंत्रण कर लिया जायेगा उनको विशेष रूप से अनुग्रह धनराशि अलग से मिलेगी। अभी तक यह होता है कि जहां पर जितनी जनसंख्या होती है उसके अनुसार अनुदान दिया जाता है। आप ऐसी योजना बनायें कि पांच साल बाद जिन गांव सभाओं ने जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया होगा उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। मैं वर्तमान सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने इस बढ़ती हुई जनसंख्या के रोग को ठीक करने के लिये पूरी गम्भीरता के साथ लिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा इस सदन के अन्तर्गत की थी कि शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण नीति यहां सरकार के द्वारा लाई जायेगी। मान्यवर, सर जूलियन हक्सले ने कहा–"मैन इज फास्ट बिकमिंग द कैन्सर आफ द होल अर्थप्लेनेट।" इस धरती के ऊपर मनुष्य जाति कैंसर की तरह बढ़ती चली जा रही है। यदि हम बीसवीं सदी की शुरुआत में जायं तो उस समय 25 करोड़ की जनसंख्या थी। 1600 वर्षों बाद 50 करोड़ जनसंख्या हो गई। 1800 सदी में 100 करोड़ हो गई। 1930 में 200 करोड़ हो गई। 1960 में 300 करोड़ हो गई, 1970 में 360 करोड़ हो गई, 1975 में 396.70 करोड़ हो गई, 2000 तक यह 620 करोड़ होने जा रही है और 2020 तक यह लगभग 12 अरब हो जायेगी सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है कि हमारी पृथ्वी 10 अरब से ज्यादा मनुष्यों को संरक्षण नहीं दे सकेगी। आज भारतवर्ष की आबादी 100 करोड़ की है। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतवर्ष की आबादी का छठवां हिस्सा उत्तर प्रदेश है और 473 प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आने जा रही है वह यह है कि 1991 की जब हम जनगणना का अनुपात देखना चाहते हैं तो एक हजार पुरुष पर 887 महिलायें थीं अब 1998 में एक हजार पुरुष पर 879 महिलायें रह गई हैं, यह स्थिति है। भारत सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार नियोजन हेतु धन आवंटित किया जाता है उस पर एक नजर डालें। 1993-94 में मान्यवर, 243 करोड़ 24 लाख 37 हजार नगद दिया गया, 30 करोड़ 19 लाख 71 हजार की सामग्री वितरित की गई, उस समय जनसंख्या 14 करोड़ 28 लाख की थी। 1994-95 में मान्यवर 165 करोड़ 62 लाख 29 हजार नगद राशि दी गई, तथा 72 करोड़ 21 लाख 23 हजार की सामग्री वितरित की गई उस वक्त 14 करोड़ 88 लाख जनसंख्या थी। 1995-96 में 158 करोड़ 25 लाख 86 हजार की नगद राशि दी गई तथा 59 करोड़ 54 लाख 75 हजार की सामग्री वितरित की गई, उस समय जनसंख्या थी 15 करोड़ 55 लाख, 1996-97 में 114 करोड़ 36 लाख 91 हजार नगद राशि मिली और 77 करोड़ 21 लाख 73 हजार की सामग्री वितरित की गई उस समय जनसंख्या थी 16 करोड़ 12 लाख। 1997-98 में 188 करोड़ 71 लाख 40 हजार नगद

राशि मिली और 57 करोड़ 97 लाख 10 हजार की सामग्री वितरित की गई, जनसंख्या थी 16 करोड़ 55 लाख । 1998-99 में केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि 253 करोड़ नगद थी जबकि और 75 करोड़ 80 लाख की सामग्री आवंटित थी परन्तु इस पूरी राशि का सदुपयोग सरकार नहीं कर पायी अगर केन्द्र द्वारा जो धनराशि आवंटित की जाती है उसका ठीक तरह से उपयोग कर लिया जाए तो अच्छे परिणाम हों ।

इस पवित्र कार्य में जो व्यक्ति लगे हैं वह सही कार्यनिष्ठा से कर्तव्यनिष्ठा से लगें, सही रूप में कार्य को अंजाम दें, भ्रष्टाचार से दूर रहें तो अच्छे परिणाम आयेंगे । मान्यवर, जन सेवक के रूप में हम यहां बैठते हैं हमारा परम कर्तव्य बन जाता है किसी विषय पर हम क्षेत्र में बोलें तो ग्रामीण जनता जो भोली-भाली जनता है, जो बिना पढ़ी लिखी है, उससे यह भी कहें कि जनसंख्या पर रोक लगाई जाए जनसंख्या पर रोक लगाने के बारे में हम बतायें । हमारे मुखारविन्दु से जब वह इस बारे में सुनेंगे तो उनके मन मानस पर असर पड़ेगा । कि जन सेवक सही कह रहे हैं और जनसंख्या पर कन्ट्रोल होगा । जब मेडिकल साइंस व विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था तो महामारी, संक्रमण बीमारियों, युद्ध, दैवी आपदाओं, जैसे भूचाल, बाढ़, भूकम्प द्वारा विनाश लीला होकर जनसंख्या कन्ट्रोल हो जाती थी । अभी हमने आज इस सदन में गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल के संदर्भ में शोक प्रस्ताव पास किया तो आने वाले समय में यही स्थिति आ सकती है कि कोई व्यक्ति यहां निन्दा प्रस्ताव लाने की स्थिति में ही न रह जाए । उत्तर प्रदेश में कानपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश में भी भूकम्प के झटके लगे । पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मण्डल में बाढ़ ने पिछले दिनों भीषण तबाही मचाई । जनसंख्या का सीधा संबंध प्रदूषण से होता है, गर्मी बढ़ती है गर्मी बढ़ने से हिमालय की चट्टान पिघलती हैं ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । अन्त में मैं माननीय बाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी संसाधन हैं उनको सही ढंग से कार्यान्वित किया जाय और जो लोगों के सुझाव आये हैं उनको जोड़ा जाय और उससे एक रास्ता निकाला जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, यह पूरा सदन आज माननीय बाजपेयी जी को धन्यवाद दे रहा है लेकिन इनके धन्यवाद से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी यह समझ नहीं पा रहे हैं । इस गम्भीर विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने दो घन्टे की कृपा पूर्वक चर्चा मन्जूर की । बीच में हस्तक्षेप करके परम्परागत कुछ विचार रखे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद् ने उप समिति का गठन कर दिया और उस उप समिति के गठन के उपरान्त हम शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने जा रहे हैं, यह कहा गया। आज बाजपेयी जी की चिन्ता पूरे सदन की चिन्ता है । पूरे प्रदेश में जनसंख्या के कारण विकास कार्यों पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है । इस सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए एक उप समिति का गठन किया तो उस उप समिति का भविष्य क्या होगा ? आज इस सदन में एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कल दूसरा देगा और फिर 50 सदस्य इस्तीफा देंगे यह इस सरकार का भविष्य है ।

अगर यह सरकार वाकई चिन्तित होती, अगर उनमें वाकई इच्छा शक्ति होती तो डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में आज परिवार कल्याण, परिवार नियोजन यह सारी चीजें प्राथमिकता की दृष्टि में होती ।आज पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में इस दिशा में कोई कारगर कदम या प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देंगे तो इस सम्बन्ध में बतायेंगे कि जो सभी

की चिन्ता है बढ़ती जनसंख्या की और जो बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी आ रही है जिस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, आज हर विभागों में छटनी का कार्य हो रहा है और जो विकराल परिस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में पैदा हो गयी है उसके निराकरण के लिए वह कोई कोर्यवाही करने जा रहे हैं ? मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वास्थ्य विभाग का बजट था तो उन्होंने जो भाषण दिया था वह मेरे पास है । उसमें बहुत संक्षेप में अपनी बात कही थी । मान्यवर, यह परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1951 में प्रारम्भ किया गया था । इसमें भारत सरकार से पैसा आता है । यह विभाग की संवेदन शून्यता इस बात से हो गयी है कि इस परिवार कल्याण में जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है । आज जिस तरह से वातावरण बनाना चाहिए सभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय सदस्यगण भी इस बात के लिए प्रेरित करें और दूसरा यह कहा कि उन्हीं को टिकट दिया जाय जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को करें । श्रीमन्, आज इच्छा शक्ति की जरूरत है सरकार के लिए । जब तक यह नहीं होगा संकल्प रख कर हम पारित कर लें बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता है । यह कहा गया कि सन् 2000 तक हम सबको स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया करायेंगे । अगर कहीं आज 500 बेड का कैंसर अस्पताल बन गया है तो वह अपनी किस्मत का रोना रो रहा है, उसमें ब्लाक बनाने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को आज अस्पतालों के अन्दर कितनी दवा उपलब्ध हो पा रही है । आज कोई भी व्यक्ति जिला अस्पतालों में नहीं जा रहा है । भर्ती होने के बाद बाजारों से दवायें लोगों को लानी होती हैं । जो पी०एच०सी० हैं, सब सेन्टर हैं, वहां डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं । डाक्टरों की कमी है । जो ए०एन०एम० और दूसरी स्वास्थ्य कार्यकत्री लगी हुई हैं वह ग्रामीण अंचलों में जाती नहीं हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने क्षेत्र का पता लगवा लें । काग्रेस के शासन काल में, संजय गांधी जी के समय में एक इच्छा शक्ति दिखायी गयी थी । अगर आप जनसंख्या नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण शक्ति बनना चाहते हैं तो उस दिशा में इच्छा शक्ति दिखानी होगी । माननीय बाजपेयी जी एक अच्छा प्रस्ताव लाये हैं, इसलिए मंत्री जी एक बना बनाया वक्तव्य आ जायेगा तो फिर हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं । यह दायित्व हम सबका बनता है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा यह पहल कर रही है, सरकार के लिए तो यह आई-ओपनर होना चहिए, सरकार को कार्य योजना बनाकर काम करना चाहिए । इसमें सभी एसोसियेशन बार एसोसियेशन आदि सभी की भागीदारी होनी चाहिए ।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा रखे गये जनसंख्या वृद्धि से महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया तथा आज मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पूर्व वक्ताओं ने बड़े गम्भीर एवं महत्वपूर्ण ढंग से सूची दिखायी है । इस विषय में यू०एन० के असेस्मेंट के हिसाब से हमारे देश की सन् 2025 तक जनसंख्या 156.7 करोड़ हो जायेगी । टाइम जनरल ने भी सन् 2035 तक 150 करोड़ जनसंख्या होने का दावा किया है । हमारे देश की जनसंख्या कुल संसार की जनसंख्या का 16 प्रतिशत है जबकि क्षेत्रफल 2.4 प्रतिशत है । हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा बताया गया है । 1991 के सर्वेक्षण के हिसाब से लगभग 13.91 करोड़ जनसंख्या थी, जो 1998 में 16.48 करोड़ हो गयी है । कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या कोई परेशानी नहीं है, अनाज का पर्याप्त भण्डार है अतः कोई राजनैतिक एवं आर्थिक दबाव नहीं है लेकिन यह किस कीमत पर । अनाज पैदा करने के लिए कितने केमिकल लगाने पड़ रहे हैं, कितनी दवायें एवं खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाज कितना प्रदूषित हो रहा है उसका आने वाले समय में कितने भयावह परिणाम होंगे इसके बारे में किसी ने सोचा है । सन् 1975-77 के बीच में इमरजेंसी के दौरान जिस तरह परिवार नियोजन का कार्यक्रम लागू किया गया था । उसके बाद कोई भी राजनैतिक दल या नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया कि परिवार नियोजन की बात भी कर सके । जनसंख्या नियंत्रण के लिए न तो कोई कारगर कदम उठाये गये हैं और न ही कोई

नीतिगत निर्णय लिया गया है । मान्यवर, आज हमें खुशी है कि माननीय मुन्ना चौहान जी ने, अम्बरीष कुमार जी ने और कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने, सबने जो बात कही कि जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण के विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब एक साथ हो जाते है उसी तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें सभी दलों के लोग कन्सर्न दिखा रहे हैं । यह बहुत खुशी की बात है अच्छा सिगनल है सबको मिलाकर इस समस्या का हल निकालना होगा । मान्यवर, मैं एक सर्जन हूं मुझे मालूम है कि जब कोई मर्ज बढ़ जाता है तो गोली या सिरप व कैप्सूल इंजेक्शन से काम नहीं चलता, आपरेशन से भी कभी-कभी काम नहीं बन पाता उसमें पूरे रिश्तेदारों को ढ़ाढ़स बधाना पड़ता है, सारे संबंधियों को लगाव दिखाना पड़ता है ठीक इसी तरह जनसंख्या वृद्धि की जैसी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे और इन उपायों मे कुछ विस्तृत उपाय हैं और कुछ संक्षिप्त एवं सख्त उपाय हैं । स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिक्र किया है कि जनसंख्या नीति लाने जा रहे हैं तो उसमें यह विचार सम्मिलित हो इसी से मैं कुछेक महत्वपूर्ण सुझाव बताना चाहता हूं । अनेक स्थानों व गोष्ठियों में इस बात की चर्चा की गयी है कि विकास सबसे बड़ा गर्भनिरोधक है जीवन का स्तर बेहतर हो, सब लोगों की अच्छी स्थिति हो ।

एक यूनाइटेड नेशन की बैठक में यह कहा गया है कि कम आमदनी से भी लोगों की स्थिति अच्छी हो सकती है । जीवन स्तर अच्छा किया जा सकता है । इसके लिए महिलाओं को इसमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है । उनका स्वस्थ होना जरूरी है और उनको रोजगार मुहैया हो यह बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु की मृत्युदर कम होना बहुत आवश्यक है । हमारे देश में माता के लिए बच्चे का बड़ा महत्व होता है । प्रत्येक माता चाहती है कि उसका शिशु स्वस्थ एवं ठीक ढ़ंग से रहे उसके लिए यह आवश्यक है । हमारे अर्थ शास्त्रियों का मायोपिक वीजन हो गया हैं, हमारी जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं वह थोड़ी सी धूमिल हो गयी हैं और हमारा सारा विजन मायोपिक वीजन हो गया है । जो हमारी दीर्घकालीन योजनाएं हैं उनके अन्तर्गत चिल्ड्रेन हास्पिटल, पीडियाट्रिक हास्पिटल व नर्सरी वार्ड आदि खुलने चाहिए और सारी सुविधाएं होनी चाहिए, बड़े पापुलेशन अनुपात बेहतर होना चाहिए । तुरन्त की आवश्यकताएं दूरगामी उद्देश्यों की जगह ले रही हैं ।

जब प्रत्येक महिला को यह विश्वास हो जायेगा कि उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित रहेगा तो वह अपना परिवार न बढ़ाकर उसी को स्वस्थ और ठीक ढ़ंग से रखने का प्रयास करेगी । इस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढ़ंग से लिया जाना चाहिए । श्री जे० आर० डी० टाटा ने इस विषय पर अपने विचार दिये थे, प्रथम महिलाओं की शिक्षा और रोजगार एवं जानकारी इन हाउस फैमिली प्लानिंग की भी बात कही थी, जो सरकारी संस्थान और पब्लिक सेक्टर की कम्पनियां हैं उन सबको फैमिली प्लानिंग अपनाने की बात कही थी, और दूसरे संचार माध्यम की बात कही थी जिससे पूर्व जो दूरदराज का व्यक्ति है, जो कि फेमिली प्लानिंग फाउन्डेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे ने दो बातों पर अत्यधिक जोर दिया था । स्लम में रहने वाला, गांव के अंधेरे में रहने वाला व अनपढ़ व्यक्ति है उस तक सारे प्रचार प्रसार द्वारा परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त जानकारी पहुंच सके । जनसंख्या नियंत्रण के लिये परिवार नियोजन की नई तकनीकों की ईजाद होना चाहिये तथा जो कन्वेन्शनल तकनीक हैं वह तो अपनी जगह चलती ही रहे जैसे सेफ पीरियड है, पिल्स हैं इन्ट्रायूटेराईन डिवाइसेज तथा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं । इसके साथ ही नये अन्वेषणों के लिये अलग से फंड निश्चित होना चाहिये और यह अन्वेषण शोध का कार्य लगातार होना चाहिये वर्ष 1983 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई थी और छोटे परिवार का लक्ष्य रखकर नुक्कड़ सभाओं आदि पर अनाप सनाप बहुत अधिक धन खर्च किया था, उसके परिणाम काफी अच्छे, नहीं निकले और वह नीति बिल्कुल असफल रही । 1995 में बनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है अतः शीघ्र ही केन्द्र को जनसंख्या नीति घोषित करनी चाहिए । मेरा सुझाव है कि ग्राम को एक ईकाई मानकर और सामाजिक

ईकाइयों को समूह बनाकर कार्यकर्ताओं को, लोगों को प्रोत्साहन देकर (सामूहिक प्रोत्साहन) यह बताना चाहिये कि उन्हें इस वर्ष के अन्दर जनसंख्या वृद्धि दर को शून्य प्रतिशत पर लाना है, निगेटिव पर लाना है, तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये जनसंख्या एवं सामाजिक विकास कोष की स्थापना की जानी चाहिये, उसमें जितने भी इन्टरनेशनल एजेन्सीज हैं, राष्ट्रीय एजेन्सीज हैं, स्वयंसेवी संस्थायें हैं, सभी द्वारा किया जाने वाला धन को इस कोष के अन्तर्गत आना चाहिये और यह धन जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति खर्च होना चाहिए।

इसके अलावा हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा वर्ग को जो आज भटका हुआ है, को पारिवारिक स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा देनी चाहिये जिसको सही जानकारी नहीं होती और कुछ लोग उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनको मिसगाइड करते हैं, इस प्रकार उनको शिक्षा देकर हम ज्यादा उत्तरदाई बना सकते हैं तथा सुरक्षित यौन व पेरेन्टहुड की शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के लिये हमें कुछ कठोर कदम भी उठाने होंगे जैसा कि टी० एन० शेषन जी ने भी सुझाव दिया था कि मल्टीपरपज कार्ड बनना चाहिये, जिसके दो बच्चे हैं, उसके लिये दूसरा और जिसके दो से अधिक हैं, उसके लिये दूसरा। इस कार्ड पर परिवार के मुखिया का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम तथा आय आदि का विवरण अंकित हो और राशन सुविधा, लाइसेंस सुविधा बस या रेल में फ्री पास सुविधा आदि जो हम उसे दे रहे हैं, उनको कार्ड को मानक बनाकर उसके आधार पर बांट देना चाहिये। यदि दो से ज्यादा हैं तो उन्हें डार्क एरिया में लिखे तथा कार्डधारक को मिलने वाली प्रत्येक छूट, सुविधा जैसे राजस्व वसूली की छूट, अनुदान अथवा ऋण अथवा नौकरी आदि सब कुछ मल्टीपरपज कार्ड के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा।

आजकल जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत, गरीबों व वांछितों को जो सुविधायें एकतरफा हो जाती हैं, उनको दोतरफा बनाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसके परिवार की जो भी स्थिति हों, हम उसको सुविधा देते जा रहे हैं, उसको यह भी अहसास कराना चाहिये कि जो सुविधा हम आपको दे रहे हैं, उसके बदले देश के लिये, समाज के लिये आपको यह काम करना होगा, इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह कार्ड सिस्टम एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

मान्यवर, विधायिका पर परिवार नियोजन की बात कही गई है कि जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिये, जिससे लगे कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति वह पूर्ण सजग हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों को ही यह उदाहरण पेश करना चाहिए कि जनता यह समझे कि यह लोग इसे अपना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है। संसद के सामने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेंडिंग है। इसके अलावा जन्म, मृत्यु तथा विवाह का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाय। सभी व्यक्तियों को चाहे महिला हो या पुरुष हो, परिवार नियोजन की जानकारी टी० वी०, रेडियो, समाचार-पत्रों, पोस्टर्स आदि के माध्यम से दी जानी चाहिये।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये)

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी राष्ट्रीय विपदा आती है तो हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हो जाते हैं, अमीर, गरीब, ऊंच-नीच, जाति व धर्म से ऊपर उठकर सब जुट जाते हैं। ठीक उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम हैं उनको सफल बनाने में हमें एकजुट हो जाना चाहिए। इस तरह से जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है वह समाप्त की जा सकती है। हम लोगों को इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा और इस समस्या से निपटना होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनसंख्या नीति गलत हुई तो कुछ भी सही नहीं हो सकता है और आने वाली प्रीढ़ी हमें कोसेगी। मान्यवर, मैं आशावादी हूं और मैं यह आशा करता हूं कि अगर जनसंख्या नीति सही बनेगी तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। जनसंख्या की जो समस्या है इस पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहुत चिन्तन किया है। मान्यवर, प्रदेश की आबादी 16 करोड़ हो गयी है और इसी के कारण हमारे प्रदेश में गरीबी, परेशानी बीमारी और तमाम तरह की कठिनाइयां अपने आपमें खड़ी होती जा रही हैं। मान्यवर, जनसंख्या का जहां तक प्रश्न है, जहा पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर बेरोजगारी है। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण यह भी है कि जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम हैं उनका प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। वह शिक्षा जो परिवार नियोजन को बढ़ावा दे, उसका ठीक से प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। मान्यवर, अभी आपने भी अपने विचार रखे थे और आपने बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सुझाव भी दिये थे। अभी जब जनसंख्या नीति के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था तो उससे ऐसा लगता है कि वह कोई ठोस कार्यक्रम चलाने वाले नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी शहरों में या देहातों में अस्पताल हैं उनके अन्दर प्रचार और प्रसार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं या सामुदायिक विकास केन्द्र हैं वहां पर परिवार नियोजन के बारे में समुचित प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता है वहां पर अगर डाक्टर हैं तो महिला डाक्टर नहीं हैं, वार्ड ब्याय नहीं हैं। आप किसी भी अस्पताल को ले लें सभी जगह यही स्थिति है। शहरों में जिनकी संख्या 5-6 लाख होगी वहां पर तो कुछ काम होता है लेकिन पूरे प्रदेश में गांव की आबादी 85 प्रतिशत है लेकिन गांवों के लोगों में परिवार नियोजन के प्रचार और प्रसार के लिए कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं अभी तक परिवार नियोजन का काम दूसरे मंत्री जी के पास था लेकिन यह काम भी माननीय मंत्री जी के कन्धे पर आ गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि प्रत्येक प्राथमिक स्वा० केन्द्र पर पुरुष डाक्टर और महिला डाक्टर की व्यवस्था करायें और परिवार नियोजन कार्यक्रम को आगे बढ़ायें। केवल आंकड़ों के आधार पर कार्यक्रम न चलायें, जिससे लोगों की गरीबी और बेकारी दूर हो सके।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी बहुत से लोगों ने कहा था कि महिलाओं के पास शिक्षा नहीं है इसलिए हम संकट में फंसे हैं तो जो शिक्षित पुरुष हैं वह कितना समझते हैं परिवार नियोजन के बारे में। जो 60–70 वर्ष के हैं उनको भी हम पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो अगर पढ़ते भी हैं तो वह परिवार नियोजन के बारे में क्या जानते हैं ? मान्यवर, अभी आप ही ने कहा था कि हिन्दुस्तान में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आबादी कन्ट्रोल करने के लिए कुछ योजनायें तैयार की गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योजनायें तैयार की गई हैं उन पर ठीक प्रकार से काम नहीं हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ रही है लोग बेकार बैठे हैं। मान्यवर, इस समस्या पर अभी इसी सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने गम्भीर रूप से चर्चा की है आप भी इसमें शामिल थे। मान्यवर, इस चर्चा को साकार रूप दिया जाना चाहिए जिससे देश और प्रदेश की तरक्की हो सके। इसके लिए इसी सदन में बैठक को बुलाना चाहिए इसमें जिम्मेदार अधिकारी जो हैं इस विभाग से सम्बन्धित उनको इसमें शामिल रहना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। जनपद बहराइच और गोण्डा के बारे में मैं कहना चाहता हूं ये जो जिले हैं यह हमारे क्षेत्र हैं और मंत्री जी के क्षेत्र से लगे हुए हैं। अगर मंत्री जी चाहें तो अपने साथ-साथ हमारे क्षेत्र की भी जिम्मेदारी ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, अभी डा० साहब ने काफी समय लेकर इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा की ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा हम अपने देश और प्रदेश को कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं ला सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी कृपया आप अपनी बात दो मिनट में कह दें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है । लगातार हमारे देश और प्रदेश में जनसंख्या की दर बढ़ती चली जा रही है । मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम बच्चे पैदा हों तो वह हरिजनों और मुसलमानों की जरूरत है इसलिए कि उन्हीं के सबसे ज्यादा बच्चे हैं और उन्हीं की सबसे ज्यादा दुर्दशा है जिससे उनके बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके कारणों का यदि पता लगाया जाये । पता लगाया जाये कि गांवों में जनसंख्या वृद्धि क्यों ज्यादा है क्योंकि वहां इण्टरटेन (मनोरंजन) की कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है । सरकार इस विषय पर यदि गम्भीर रूप से विचार करे तो इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है । मान्यवर, जो नसबन्दी का कार्यक्रम है वह बड़े जोरों पर चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अभी जो मनोरंजन की बात कही तो मुझे एक कहावत स्मरण आई "इन इंडियन विलेज प्रोक्रियेशन इज दि बेस्ट रिक्रियेशन ।"

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आपने इसे अंग्रेजी में कहा मैं हिन्दी में कह रहा हूं ।

(हंसी)

मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से नसबन्दी योजना चल रही है । मान्यवर, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं और उसने आपरेशन करा लिया और किसी कारण से एक बच्चे या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो इस सम्बन्ध में सरकार को व्यापक पैमाने पर प्रचार करना चाहिए कि उसकी नसबन्दी पुनः खुल सकती है, और वह दोबारा बच्चा पैदा करने में सक्षम हो सकता है । इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार होना चाहिए । लोगों में आम धारणा यह है कि अगर एक बार नसबन्दी करा ली तो दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकते । इस बात की लोगों में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुनः आपरेशन किया जा सकता है ।

दूसरी बात मान्यवर, जिनके कम बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके, चाहे शिक्षा में या समाज में उनको इस तरह से प्रोत्साहन मिल सके जिससे

जो पैसा अनाप-सनाप योजनाओं में खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग हो सके । तो दो मेरे सुझाव हैं जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर गम्भीरता से सोचे ताकि इससे आने वाले दिनों में इससे लाभ उठाया जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी । अब मैं मद सं०–21 लेता हूं । मैंने इसलिए कहा कि चर्चा जारी रहेगी ताकि पर्याप्त समय मिल सके और सदस्यों के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनके अनुभव का लाभ सदन उठाये ।

बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम ललित चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राम ललित चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में दिसम्बर के बाद से लेकर अब किसी भी चीनी मिल ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया है । मान्यवर, खलीलाबाद की चीनी मिल ने तो 3 साल से गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया और चीनी मिल भी बन्द करके चीनी मिल भाग गयी । इसी प्रकार बस्ती और वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर गन्ना मूल्य भुगतान न करने के लिए रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हुआ था, उसका कलेक्शन चार्ज गन्ना मिल से लेना चाहिए था, गन्ना मिल देनदार थी और किसान लेनदार था । किसानों पर कलेक्शन चार्ज मढ़ दिया गया तो यह सरकार की गलती थी, उस समय के जिलाधिकारी ने गलती से ऐसा किया था । मान्यवर, 7 साल हो गया और आज तक कलेक्शन चार्ज का पैसा वापस नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में तमाम पत्र लिखे जा चुके हैं । अब जिलाधिकारी को आदेश गया है कि कलेक्शन चार्ज का कटा हुआ पैसा किसानों को वापस कर दिया जाये, समितियों को वापस कर दिया जाये । लेकिन ऐसा आदेश किस काम का कि उसका कोई पालन ही न करे । ऐसे आदेश कई बार गये हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है । अगर किसी किसान का पैसा उसके पास होता तो अब तक वह दो गुना हो गया होता मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो एक करोड़ रुपया काटा गया है यह सरकार की गलती से काटा गया है इसलिए ब्याज सहित यह पैसा किसानों को वापस होना चाहिये । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इसकी वापसी की कोई डेट फिक्स करनी चाहिये एक समयबद्ध तरीके से, स्पष्ट बता दें कि यह कलेक्शन चार्जेज कब तक वापस होगा और इसको ब्याज सहित वापस किया जायेगा या नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलें मेरे विधान सभा क्षेत्र में है । चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है । इसी सदन में मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि इस साल 8 सौ करोड़ रुपया बकाया है । इसी तरह से पिछले साल का पैसा कुछ मिलों पर बकाया है और कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जिन पर 3 वर्षों से किसानों का गन्ना मूल्य बाकी है । यह किसान रोज गन्ना समितियों का चक्कर लगाते हैं और उसके बावजूद भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता है । यह किसकी जिम्मेदारी है गन्ना किसानों को आज कहीं उधार नहीं मिल सकता है । वह खाद बीज आदि के लिये को-आपरेटिव बैंकों से कर्ज लेता है अगर किसान का भुगतान समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

से नहीं किया जायगा तो गरीब किसान का काम कैसे चलेगा ? आज पूरे प्रदेश में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है । जिलों और तहसीलों में लाकअप में अगर कोई बन्द है तो वह प्रदेश का किसान है । आप बतायें कि किसी चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार किया गया है या उसके नाम वारंट जारी किया गया है, आप यह बतायें तो मैं आपका आभारी हूंगा ।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए)

जैसा कि माननीय राम ललित चौधरी ने कहा गन्ने के मूल्य मे से कलेक्शन चार्जेज काट लिये गये । यह नियम है कि जिसके ऊपर बकाया होता है और जिला प्रशासन जिसके विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी करता है उसी से कलेक्शन चार्जेज वसूल किये जाते हैं । लेकिन यह विचित्र विडम्बना है कि गन्ना समितियों के अन्तर्गत आने वाले किसानों के गन्ना मूल्य से कलेक्शन चार्जेज वसूल किये गये हैं । इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कैबिनेट डिसीजन हो गया है हम उनका पैसा वापस करायेंगे । इस आदेश को गये हुये एक महीना हो गया है लेकिन सरकार में यह क्षमता नहीं है कि वह अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये । श्रीमन्, यह आदेश उन किसानों के लिए भेजा गया है जिन्होंने 1991-92 में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति किया था । श्रीमन्, मंत्रिपरिषद का स्पष्ट निर्णय है । लेकिन एक फरवरी, 99 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ लखनऊ ने स्पष्ट आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है कि प्रदेश के गन्ना किसानों के 1997-98 के गन्ना मूल्यों में जो विसंगतियां थीं वह पैसा और ब्याज का पैसा 6-7 महीनो में किसानों को दें । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गन्ना मूल्य का पैसा और ब्याज किसानों को दिलवायेंगे ? श्रीमन्, कलेक्शन चार्जेज के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश गये हैं तो किसानों को कलेक्शन चार्जेज के संबंध में जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश गये हैं तो किसानों को कलेक्शन चार्जेज कब तक सरकार वापस दिला देगी ?

*गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री (श्री मंगल सिंह सैनी)–

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि डी० एम० द्वारा कलेक्शन चार्जेज काट लिये गये थे और कहा गया कि मिलों से वसूला जाय । इसलिए निजी मिल मालिक इस आदेश के खिलाफ कोर्ट चले गये और फैसला उनके पक्ष में हो गया और कहा गया कि राजस्व विभाग को कलेक्शन चार्जेज लेने का अधिकार नहीं है । इसलिए गन्ना समितियों को वापस कर दिया जाय तो कलेक्शन चार्जेज वापस करवाने का प्रयास किया गया है और राजस्व विभाग ने डी० एम० को 6 मार्च को आदेश भेज दिये हैं कि गन्ना समितियों को कलेक्शन चार्जेज वापस कर दिये जायं और फिर वह धन किसानों को पेमेन्ट कर दिया जायेगा ।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो समय सीमा की बात कहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन डी० एम० ने प्रमुख सचिव राजस्व से मालूम किया है कि भुगतान के लिए किस खाते से आहरण करें, तो जैसे ही इस सम्बन्ध में राय चली जायेगी तो भुगतान गन्ना समितियों को कर दिया जायेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी से हमने दो निवेदन किये थे । एक तो 7 वर्षों से किसानों का पैसा इस सरकार ने रोक रखा है, इसलिए सरकारी खजाने में जो पैसा है वह मंत्री जी ब्याज सहित किसानों को कब तक दिलवायेंगे ?

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह किया था कि समयबद्ध तरीके से जो आदेश डी० एम० को भेजा है वह कब तक लागू हो जायेगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कलेक्शन चार्जेज, आर० सी० के अगेंस्ट जो काटा गया है जब कि इसे मिल मालिकों से काटा जाना चाहिए अथवा किसानों से, यह मुझे मंत्री जी बता दें ? कलेक्शन चार्जेज सरकारी अधिकारियों ने जो किसानों से काटा है उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी और शीघ्रातिशीघ्र कब तक कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, इसमें जो पेमेण्ट काटा गया था पहले ही बता चुके हैं । जहां तक समय-सीमा की बात है यह भी कहा गया कि 7 साल लग गये । यह मामला हाई कोर्ट में चला गया था वहां से जल्दी डिसाइड नहीं हुआ । कुछ दिन पहले ही डिसाइड हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

राम ललित चौधरी जी का यह कहना है कि राजस्व विभाग ने किसानों के पैसे का कलेक्शन चार्ज के रूप में काट लिया है उसको राजस्व विभाग से कब तक वापस करा देंगे ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, राजस्व विभाग को कलेक्शन चार्ज का पैसा वापस करने के लिए आदेश कर दिया गया है । राजस्व विभाग ने सारे जिलाधिकारियों को आदेश कर दिया है । सारे जिलाधिकारियों ने 30 तारीख को पत्र भेजकर यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व से चाही कि किसानों को पैसा किस एकाउण्ट से दिया जाये ? जैसे ही उत्तर चला जायेगा पेमेण्ट होने लगेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय मंत्री जी का उत्तर टालू-मिक्चर पिलाने वाला है । सरकार की गलती की वजह से पैसा काटा गया । जो इनके नट-वोल्ट जिलाधिकारी हैं उन्होंने पैसा काटा । अगर किसानो का पैसा किसी बैंक में जमा होता तो वह पैसा दो गुना हो जाता । तो मैं माननीय मंत्री जी से दो चीजें जानना चाहता हूं कि किसानों का जो पैसा बकाया है उस पर किसानों को ब्याज देंगे दूसरे क्या यह पैसा समयबद्ध तरीके से देंगे ? दोनों चीजों का उत्तर मंत्री जी दे सकते हों तो बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि राजस्व विभाग को आदेश कर दिये गये । जिलाधिकारियों ने प्रमुख सचिव से जानकारी चाही है कि क्या टी० आर०–27 से इसका पेमेण्ट किया जायेगा । जवाब जैसे ही चला जायेगा तो उसका पेमेण्ट हो जायेगा । अब यह चर्चा समाप्त हुई ।

श्री राम ललित चौधरी–

मैं आपके माध्यम से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह किसानों का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे ?

(माननीय मंत्री द्वारा कुछ कहने पर)

अब यह चर्चा समाप्त हुई अब मद संख्या–22 ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गन्ना सचिव भी मौजूद नहीं है न इनके मंत्री जी हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर,यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है । 14 तारीख से लगन शुरू हो जायेगा, शादी-ब्याह का समय आ रहा है यह पैसा नहीं दिला सकेंगे इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वाकआउट करता हूं ।

(श्री राम ललित चौधरी सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों द्वारा एन०सी०आर० तथा हुडकों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रलोभन दिखाकर जनता को अप्रत्यक्ष रूप से ऋणा ग्रस्त किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश के प्राधिकरणों द्वारा नगरों के सुनियोजित विकास के मार्ग में एन० सी० आर० तथा हुडको द्वारा अच्छे ऋणदाता की भूमिका निभाकर सूदखोर की भूमिका निभाकर कई प्राधिकरणों को ऋणग्रस्त कर दिया । मान्यवर, आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । 1951 के मुकाबले दिल्ली की जनसंख्या 300 गुनी है । दिल्ली का मास्टर प्लान जब बना तो दिल्ली को प्रशासनिक केन्द्र मान करके बना । उस समय साढ़े चौदह लाख जनसंख्या थी । दिल्ली औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित होगी यह कल्पना मास्टर प्लान के निर्माताओं को नहीं थी । 1959 में दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार किया गया । 1962 में सिफारिश की गयी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना के रूप में बोर्ड का गठन किया गया । 1962 की सिफारिश पर 1983 में एक्ट बना । 1987-88 में एक्ट के अधीन योजना बनाकार लागू की गयी और 3-11-88 को एन० सी० आर० को लागू किया गया यह 2001 के लिए प्रथम फेज था उसे लागू किया गया । इसका उद्देश्य था दिल्ली को अतिरिक्त दबाव से मुक्ति दिलाना तथा शहरी क्षेत्र के ढांचे को नया रूप देना जिससे कि बढ़ती हुई आबादी के अतिरिक्त दबाव को वहन कर सके । यह एन०सी०आर० ने योजना बनायी । एन०सी०आर० बोर्ड ने गाजियाबाद नोयडा को तो उन्होंने प्रमुख टाउन बनाने का प्रस्ताव किया एवं हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, खुर्जा को उन्होंने पीरियारिटी टाउन विकसित करने का निर्णय लिया । यह निर्णय हुआ था कि इस क्षेत्र में यातायात और संचार के बेहतर संसाधन जुटाएं जाऐंगे । इस क्षेत्र में दिल्ली से लोकल स्तर पर यातायात लाया जायेगा ! यह उस समय का निर्णय था लेकिन आज तक यह नहीं हुआ । दिल्ली मेरठ के बीच एक्सप्रेस हाइवे बनाने, मेरठ दिल्ली के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने, दिल्ली गाजियाबाद के बीच चार रेलवे लाइन बनाने, मेरठ को अच्छी सर्विस देकर 17 दफ्तरों को मेरठ में पीरियारिटी टाउन में स्थानान्तरित करने की बात थी ।

इस तरह से एन०सी०आर० ने योजना बनाकर मेरठ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हापुड़, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को सब्ज बाग दिखाया । उनसे कहा गया कि इतनी आबादी तुम्हारे यहां आयेगी एवं दिल्ली पर बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव को इन शहरों में स्थानान्तरित करने की बात थी । बाकायदा उन्होंने नोटीफिकेशन में अपने प्रकाशित किया था । उसके बाद इन प्राधिकरणों से यह कहा गया कि आप जमीन खरीदिये, जमीन खरीदकर उसको विकसित करने का काम कीजिये । इन विकास प्राधिकरणों ने अरबों रुपया कर्ज लेकर मकानों का जंगल खड़ा किया हजारों एकड़ जमीन लेकर उसको विकसित किया । एन०सी०आर० बोर्ड ने 17 दफ्तर तो क्या स्थानान्तरित किये पब्लिक सेक्टर के दफ्तर तो क्या स्थानान्तरित किये, मेरठ में जो एन०सी०आर० का दफ्तर था उसे भी स्थानान्तरित करके गाजियाबाद में कर दिया । चार बी०एम०ओ०ए०एम०यू० रेलवे लाइन बनेगी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योग लगाये जायेंगे, दिल्ली को औद्योगिक राजधानी बनने से बचाया जाये, उसको प्रदूषण से बचाया जाए इसके लिए 24 घण्टे बिजली देने की बात एन०सी०आर०

के लोगों ने की थी । आज मेरठ की स्थिति यह है कि 6 घण्टे बिजली कट रोज हो रही है । कैसे उद्योगों की स्थापना होगी ? फिर बोर्ड के इस निर्णय का उल्लंघन करके नोयडा के बाद ग्रेटर नोयडा की स्थापना कर दी गयी ।

12 लाख की आबादी का दबाव का वहन अकेले मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर और खुर्जा को करना था । इसके लिए पेयजल सेनीटेशन की व्यवस्था के लिए कोई बजट नहीं दिया गया । कर्जदाता बनाकर इन्होंने इन प्राधिकरणों के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को छल लिया । एन०सी०आर० बोर्ड ने निम्न संस्तुतियां की थीं । "द कोर इकोनामिक एक्टिविटी इन ईच आफ द 10 न्यू प्रप्रोज्ड टाउनशिप ए सेट आफ इनसेंटिव एण्ड गाइडलाइन्स व्हिच कुड बी एडाप्टेड टु हेल्थ आपरेशनलाइज दीज कोर इकोनामिक एक्टीविटीज ।" एन०सी०आर० ने जिन आफिसों को दिल्ली से ट्रान्सफर करने की बात की थी । उनमें कोस्ट गार्ड हेड क्वार्टर, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर पोस्टल डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्ट आफ इंसपेक्शन नार्दन इन्सपेक्शन सर्किल , डिपार्टमेन्ट आफ सप्लाई, पब्लिकेशन डिवीजन फिल्म्स डिवीजन, सांग एण्ड ड्रामा डिवीजन एण्ड द डायरेक्टोरेट आफ फील्ड पब्लिसिटी, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, डिपार्टमेन्ट आफ लाइट हाउस एण्ड लाइट शिप, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन इम्प्लाइमेन्ट सर्विसेज, कमिश्नर आफ पेमेन्ट आफ डिपार्टमेन्ट आफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट, डिपार्टमेन्ट आफ पब्लिकेशन्स, सी०पी०डब्लू०डी० ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट, नेशनल एकेडमी आफ कस्टम्स, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स, आल इण्डिया सोयल एण्ड लैण्ड यूज सर्वे डिपार्टमेन्ट आफ एग्रीकल्चर एण्ड को-आपरेटिव्स, बोर्ड आफ इण्डस्ट्रियल एण्ड इन फाइनेन्सियल कन्सट्रक्शन इस प्रकार 17 दफ्तरों को स्थानान्तरित करने की बात कही गयी थी । इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर के दफ्तरों को भी स्थानान्तरित करने की बात थी । एन०सी०आर० और हुडको ने अच्छे सूदखोर की भूमिका का निर्वाह किया और प्राधिकरण ने 313.22 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और इससे 26712 भवनों का निर्माण कराया और 11793 भूखण्डों को विकसित किया गया अभी भी प्राधिकरण के पास 114 करोड़ रुपये के भवन अभी भी आवंटित होने शेष हैं और 237 करोड़ रुपये की विकसित और अविकसित भूमि अभी भी मेरठ प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, जिनका निस्तारण मेरठ विकास प्राधिकरण नहीं कर पा रहा है । जो कर्जा 313.22 करोड़ रुपये लिया गया था उसके सापेक्ष संस्थाओं को मूलधन व ब्याज सहित 209.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है । इसके बावजूद भी 332.33 करोड़ रुपये की देनदारी प्राधिकरण पर शेष है ।

एन०सी०आर० ने जो वायदे किये थे, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें किया जाय । दिल्ली और मेरठ के बीच एक्प्रेस हाइवे के निर्माण की बात थी, अब जापान टीम द्वारा उसका सर्वे किया गया है और उसको बनने में लगभग 10 वर्ष की सम्भावना है, दिल्ली मेरठ के मध्य सिंगल रेलवे ट्रैक को डबल रेलवे ट्रैक में परिवर्तित किये जाने की बात है । मेरा निवेदन है कि सरकार बैठ कर अधिकारियों के साथ वार्ता कर वास्तविक धरातल पर कार्य योजना का निर्माण करे, ऐसा न हो कि निर्माण के लिए कर्ज और फिर भुगतान के लिए कर्ज और फिर कर्ज के लिए कर्ज । इस प्रकार जो-जो चक्कर कर्जों का है, उससे सरकार इस प्राधिकरण को निकालने का काम करे । आज भी मेरठ प्राधिकरण एक अरब रूपये से अधिक के घाटे में है । एन०सी०आर० 17 दफ्तरों को स्थानान्तरित करे और पब्लिक सेक्टर के दफ्तरों को भी स्थानान्तरित किया जाय और एक अच्छा औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए 24 घण्टे बिजली दी जाय । मूल भावना के रूप में इस प्राधिकरण का विकास हो सके इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । नये संस्थान अब दिल्ली में न खोले जायं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नये संस्थान खोलने के बारे में नोएडा से अपनी आखें घुमा लें और उन्हें मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर और खुर्जा में खोलें और शासन इन प्राधिकरणों के अधिकारी बैठ कर ओ०टी०एस० कराकर इन कर्जों को एकमुश्त समाधान करने का प्रयास किया जाय । तो एक बार कर्ज से मुक्त हो जायेंगे तो विकास की तरफ बढ़ पायेंगे । इनकी जो जमीन पड़ी है उसको एन०सी०आर० ले और स्वयं

सरकारी दफ्तरों को या अन्य प्राइवेट दफ्तरों को उस पर स्थानान्तरित करे और अपने कर्जे का भुगतान करे और वहां पर दफ्तरों की स्थापना कराये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन प्राधिकरणों ने बहकावे में आकर बहुत गलतियां की हैं । लाखों हेक्टेयर जमीन लेकर उसको विकसित करके छोड़ दिया है । अगर इसको सेक्टरवाइज करते, फेजेज में विकसित करते तो उचित दर पर यह जमीन जाती और यह कर्जे में भी न होते । आज इन्होंने इस तरह के भूखण्डों और भवनों का जंगल इक्ट्ठा कर रखा है । जब तक यह इनको फेजेज और चरणों में विकसित नहीं करेंगे यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे । जो यह जमीन और मकान की कीमत तय करते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट तरीका और नहीं है । 10 प्रतिशत कन्टिजेन्सी चार्जेज लेते हैं । मकान का यह निर्माण 450 का लेते हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति 300-350 वर्ग मीटर में कर सकता है । एक हजार रुपये विकसित भूमि पड़ती है । इतना ज्यादा यह हिसाब से लेते हैं जिसके कारण से विकास की गति अवरुद्ध हो रही है ।

इसी के साथ मैं यह मांग और करना चाहूंगा और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली, मेरठ रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाय । इसको डबल ट्रेक करना है । इस सबके लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए । कुल 30 करोड़ रुपये का खर्चा है जिसमें से 15 करोड़ भारत सरकार देगी और 15 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को लगाना है । यदि उत्तर प्रदेश सरकार 15 करोड़ में से साढ़े सात करोड़ की व्यवस्था कर दे तो बाकी साढ़े सात करोड़ रुपये स्वयं वहां के द्वारा हो जायेगी और आप उस कल्पना को साकार रूप दे सकेंगे । कर्ज के बचने के लिए सम्पत्ति का समय से निस्तारण प्राधिकरणों को करना चाहिए । दिल्ली बुलन्दशहर की दूरी कम हो जायेगी । अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जनसंख्या का जो घनत्व दिल्ली में बढ़ा है उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड योजना के तहत जो निर्णय लिया था इन निर्णयों को लागू करने के लिए 25 वर्षों का विलम्ब हो चुका है और अधिक विलम्ब अब न हो । सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ जो नारा दिया जाता है वह थोथा सिद्ध होगा और जनता के साथ धोखा सिद्ध होगा । जनता को लूटने वाला सिद्ध होगा । इन लांछनों से बचने के लिए कार्य कराये जायं । ओ०टी०एस० इनके कर्जे को माफ कराने में सहायता करे । इनकी जमीन को सेल कराकर, किसानों की जमीन को वापस कराकर, उन किसानों के कर्जे को कम करने का निर्णय सरकार को लेना चाहिए अन्यथा विकास की गति अवरूद्ध हो रही है । आने वाला समय इन जन प्रतिनिधियों को माफ नहीं करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

आवास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय बाजपेयी जी ने काफी विस्तार से इस सम्बन्ध में अपनी बात रखी और उस पर प्रकाश डाला । एन०सी०आर० बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वह उद्देश्य अपने आप में बहुत अच्छा था । उद्देश्य था कि दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी के बोझ को कम करना । इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास करना लेकिन जब नियम बने, बोर्ड का गठन हुआ तो उसमें किसी कार का फोर्स नहीं था जिसके आधार पर मैनडेटरी प्रोविजन होता और वह उनके ऊपर बाइन्डिंग होता कि इस क्षेत्र को इसलिए मांगना है । इसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने नहीं आ पाये । यही कारण रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन हुआ था, उस उद्देश्य की अभी तक पूर्ति नहीं हो सकी । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो रोल होना चाहिए वह पाजिटिव है । जितनी बातें बाजपेयी जी ने सुझाव के रूप मे कहीं वह मैं बता दूं एन० सी० आर० की बैठक में उत्तर प्रदेश के तीन सदस्य हैं एक तो मुख्य मंत्री जी हैं एक नगर विकास मंत्री जी हैं, एक सचिव आवास उसमें समय-समय पर उठाते रहे हैं । 23 मार्च, 1999 को इस बोर्ड की 24वीं आखिरी बैठक हुई उसमें भी इस बात पर विशेष चिन्ता व्यक्त की गयी कि एन०सी०आर० बोर्ड अपेक्षित परिणामों की तरफ नहीं बढ़ रहा है । जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया, दिल्ली में बढ़ती पापुलेशन को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर दें ताकि दिल्ली का आर्कषण खत्म हो जाए । मंत्री जी ने सुझाव रखा था कि धीमी गति को देखते हुए अलग से

चर्चा की जाए । शहरी विकास मंत्री ने इसको स्वीकार कर लिया है । इसमें एक बैठक होगी कि धीमी गति को तेज करने के लिए और किस तरह से अपेक्षित परिणाम निकलें, किस तरह से उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पक्ष रखा किन कारणों से सफलता नहीं मिल पाई है इसमें मुख्य बात यह है कि दिल्ली औद्योगिक व व्यापार का केन्द्र रहा है उसमें टैक्स की जो पालिसी है वह लोगों को आकर्षित करती है । जब तक वह आकर्षण समाप्त नहीं होता है तब तक किसी प्रकार से डिफलेक्शन संभव नहीं है कि वहां से पापुलेशन को डिफ्लैक्ट किया जा सके तो टैक्स की पालिसी पर पुनर्विचार करने को कहा गया है, 134 ऐसी वस्तुएं हैं इसमें टैक्स कम है हमारी ऐसी पालिसी होनी चाहिए जो पड़ोसी राज्य हैं उनके समकक्ष कर हो । जब तक उस आकर्षण को समाप्त नहीं करेंगे तब तक अपेक्षित परिणाम की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे । जैसा बाजपेयी जी ने कहा एन०सी०आर० का गठन कर दिया संसाधन जुटा नहीं पाये 12 से 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया गया । इसमें यह होना चाहिए कि 75 परसेंट केन्द्र और 25 परसेंट वह राज्य खर्चा करेगा जिसमें विकास होना है इसमें सुझाव यह है कि या तो अनुदान दे अगर अनुदान देना संभव नहीं है तो लोन ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाए । यह लम्बे समय के लिये हो । आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सके ताकि पापुलेशन डिफलैक्ट करने मे मदद मिले ।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्लानिंग में पैसा देता है उसमें निर्धारित पैसा हो ताकि परमानेंट एकाउन्ट बन सके और उस क्षेत्र का विकास हो सके । जो बातें बाजपेयी जी ने कहीं रेल लाइन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध मे कहा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है हम भी यह चाहते हैं कि विद्युतीकरण हो जो मार्गों को चौड़ा करने की बात है उसमें सहमति दी जा चुकी है उसके लिए लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति दी जा चुकी है, मार्गों को चौड़ा करने की बात जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है जापान की कम्पनी के द्वारा सर्वे हो चुका है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साथ ही साथ कार्यालय शिफ्ट करने की बात है, एन० सी० आर० की बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि कार्यालय शिफ्ट होने चाहिए यह पहली सीढ़ी है जिस सपने को लेकर चलें उसको साकार कर सकते हैं । मान्यवर, विल पावर हो और संसाधन हो तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं । लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वह इसके लिए पहल करे और उत्तर प्रदेश का सजेस्टिव रोल है, जो एन० सी० आर० में पार्टीसिपेशन हो वह सुझाव देने का है और सहयोग देने का है । हम यह प्रयास करेंगे जो भी आसपास के क्षेत्र है जैसे हापुड़, मेरठ बुलन्दशहर, खुर्जा उसको डेवलप करें जिससे लोगों का आकर्षण दिल्ली के प्रति कम हो और वहां की पापुलेशन का दबाव कम हो । उद्योगों को स्थापित करने की बात है राज्य सरकार के संसाधन सीमित है हमको जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उसमें ही डेवलेपमेन्ट के कार्य करने हैं, उसमें ही हमें कमी पड़ जाती है इसलिए हम पूरी तरह से अकेले अपने आप विकास कार्य करने में सक्षम नहीं हैं । हमारा यह प्रयास है कि बोर्ड की बैठक में प्रभावी तरीके से इसे उठायें और हर हालत में मनवायें ताकि 85 में जिस उद्देश्य से एन० सी० आर० का गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, उसकी पूर्ति के लिए तीव्रता की जाय । तो टैक्स पालिसी है उस पर विचार किया जाय, साफ्ट लोन दिया जाय । इस पर शहरी विकास मंत्री जी ने अपनी सहमति दी है और उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिस समस्या की ओर अपनी गम्भीरता दिखायी है उससे तो मैं सहमत हूं और यह आशा करता हूं कि इस विषय में प्रगति सकारात्मक होगी । मान्यवर, दिल्ली सरकार की बात कही गयी । आज से चार महीने से पिछले पांच साल तक दिल्ली में सरकार रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ इस बारे में जब भी मामले को उठाया गया और

आज दिल्ली की बात कहकर मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं । एक बात और कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार की बात छोड़ दीजिये । हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशी लाल ने जब एन० सी० आर० की बैठक हुई थी जब 30 हजार 240 वर्ग कि० मी० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास किया जाना था, जिसमें राजस्थान दिल्ली का क्षेत्र था, लेकिन उसका विकास नहीं कर पाये । बाद में 24 हजार वर्ग का इलाका और बढ़ा दिया । लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा बंशी लाल जी को उन्होंने उस बैठक का बहिष्कार किया।

उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भी यह कहे कि जो सब्ज बाग हमें दिखाये गये हैं जितने क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए वह नहीं हो पाया है, वह भी उस बैठक का बहिष्कार करे, उसका साहस जुटाये । वह यह कहे कि जो पैसा दिया गया है वह हमें दे दें हम उत्तर प्रदेश का विकास स्वयं कर लेगे । अगर दण्डात्मक कार्यवाही की बात होती तो शायद यह स्थिति आज नहीं आती । अभी माननीय सदस्य ने बहिष्कार की बात कही । हमने तो बैठकर के स्पेशल मीटिंग का प्राविजन किया है । इसकी गति को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी संभव कदम होंगे उसको उठायेंगे । बाकी सब मेम्बरान से भी हम अपनी बात मनवायेंगे और जो सुझाव दिये हैं, वह माने जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा समाप्त हुई । मद संख्या–23 लेता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, भारत सरकार के पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां राज्य कर्मचारियों पर लागू हुई हैं, यह संस्तुतियां शिक्षकों पर भी लागू हों, इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

''यस्यास्ति वित्तं सः नरः कुलीनः
सः पंडितः सः नीतिमान गुणज्ञः''

संस्कृत के इस श्लोक का भाव है जिस व्यक्ति के पास वित्त (धन) है वही कुलीन है वह पंडित (विद्वान) है नीतिज्ञ है तथा गुणवान है । मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां जो शिक्षकों के स्तर तक पहुंचनी चाहिए थीं, अभी नहीं पहुंच पायी हैं । मान्यवर, देश में शिक्षकों को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है । लेकिन, आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो जो लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिलना चाहिए था वेतन आदि के माध्यम से वह नहीं मिल पा रहा है । जहां उन्हें स्वावलम्बी बनाने की बात है, निश्चित तौर पर जहां अन्य राज्य कर्मचारियों को वेतन दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को उ० प्र० में लागू किया और राज्य कर्मचारी उससे लाभान्वित हुए वहीं शिक्षक उससे वंचित रह गये हैं । शिक्षक इस देश और समाज के निर्माता हैं लेकिन उन्हीं शिक्षकों को जो वेतनमान मिलना चाहिए था पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वह अभी नहीं मिल पा रहा है । उनके वेतनमान को भी सुधारना होगा । मान्यवर, जो प्रारम्भिक वेतनमान पुराना था वह 1100–1520 था । सरकार ने 3600–4625 कर दिया 4500–7000 पंचम वेतन आयोग की सिफारिश में है । इसी तरह से चयनित वेतनमान पुराना 1350–2070 था अभी नया घोषित नहीं हुआ है । 5500–9000 वेतन आयोग की सिफारिश है । मान्यवर, प्रशिक्षित स्नातक का वेतनमान केन्द्रीय शिक्षक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

का 1400–2600 था और प्रान्तीय शिक्षकों का 1400–2300 इसमें अन्तर 300 रुपये का है । आज सरकार ने वेतनमान दिया है 5500–9000 केन्द्रीय शिक्षकों को और प्रान्तीय शिक्षक जो हैं वह 4500–7000 रूपये में हैं इसमें एक हजार से दो हजार का अन्तर आ रहा है । इसी तरह से सेलेक्शन ग्रेड में केन्द्रीय शिक्षक का 1640–2600 पुराना था और प्रान्तीय का 1640–2765 रहा इसमें 135 रुपये का अन्तर था, पुनरीक्षित वेतनमान में 6500–10500 किया गया और प्रान्तीय शिक्षकों का 5500–8650 किया गया अन्तर एक हजार से 1850 आया । इसे 1996 से लागू किया जा रहा है । ऐसे किसी भी शिक्षक, जिसकी 15 वर्ष की सेवा है, तब भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे एल० टी० ग्रेड हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे लेक्चरर ग्रेड हो, उसे पंचम वेतन आयोग से लाभ नहीं मिल पा रहा है । यह सारी विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों में व्यापक असंतोष है, ऐसे में शिक्षा का कार्य बाधित होगा और समाज में गिरावट आयेगी । मान्यवर, शिक्षक समाज उत्थान की धुरी है, उससे समाज का विकास होता है । आज सारे अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है लेकिन यह शिक्षक वर्ग जो समाज सुधार का वर्ग है, सम्मानित वर्ग है, जो सभी को लाभ पहुंचाते हैं, उसी शिक्षक को जो वेतनमान का लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है । मैं इस सम्मानित सदन में अपने सहयोगियों से चाहूंगा कि वह भी इस मसले पर अपने विचार रखें ताकि आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षकों को भी पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिले ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं श्री गोरखनाथ पाण्डेय को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा प्रारम्भ की । मान्यवर, मैं एक कोटेशन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं । "रोम का विनाश इसलिए हो गया क्योंकि वहां शिक्षकों का सम्मान नहीं था" आज उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है । अभी गोरखनाथ जी ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके लिये पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई । प्रश्न यह है कि जब माध्यमिक शिक्षकों के लिये या राज्य कर्मचारियों के लिये या दूसरे लोगों के लिये एक व्यवस्था सरकार ने बनाई कि एक निश्चित आधार पर वेतन आयोग का गठन होगा, कितने वर्ष बाद होगा और सरकार उस वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी । जैसा कि स्वतः स्पष्ट है कि यह पंचम वेतन आयोग है, प्रथम नहीं है, इससे पहले चार वेतन आयोग गठित हो चुके हैं । चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को माध्यमिक शिक्षकों पर लागू किया गया तो एक शर्मा कमेटी का गठन हुआ, शर्मा कमेटी ने अपने गठन के बाद संस्तुति की थी, उसके आधार पर माध्यमिक शिसकों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया था । इस प्रकार केन्द्र सरकार में जो वेतनमान थे, उसी स्तर के माध्यमिक शिक्षक को उत्तर प्रदेश में भी वही वेतनमान दिया गया था और चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर, पी० सी० शर्मा कमेटी की अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया, तब शिक्षकों में कोई असंतोष नहीं हुआ । अंतरिम सहायता के बारे में उन्हीं सिफारिशों पर, उन्हीं श्रेणियों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्तरिम सहायता भी दी । जिस एवार्ड की अंतरिम सहायता दे रहे हैं, उसी की जब अन्तिम संस्तुतियां आ जाती हैं तो सरकार उसे स्वीकार नहीं करती, इससे बड़ा अन्याय शिक्षकों के साथ हो नहीं सकता । इसी संबंध में शिक्षकों की हड़ताल हुई और सरकार बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि हमने शिक्षकों की हड़ताल का सामना बहुत साहस के साथ किया और शिक्षकों को हड़ताल तोड़ने पर मजबूर कर दिया, इस बात को सरकार बड़े दंभ के साथ कह सकती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब कोई बात अध्यापकों की नहीं सुनी, तो हड़ताली अध्यापकों ने कहा कि अगर कोई प्रजातांत्रिक सरकार होती, तो उनकी बात को अवश्य सुनती और उन पर अवश्य विचार करती और बातचीत से इस बात का समाधान करती । लेकिन शायद इस प्रदेश में प्रजातंत्र नहीं है और पत्थर पर सिर मारने से अच्छा है कि हड़ताल को वापस ले लिया जाये । मान्यवर, यह सरकार शिक्षकों के

आन्दोलन को दूसरे श्रमिक संगठनों के आन्दोलन की तरह समझती है, यह शिक्षा के लिये अच्छा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जो दिल्ली में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको अधिक वेतन मिलता है और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, तो जो संविधान का 14वां अनुच्छेद है उसका उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतन देने की घोषणा करें।

*श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जिस दिन से पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हुईं उसी दिन से उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में भूचाल आया। उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन थे, सभी लोग हड़ताल पर चले गये। मान्यवर, जो शिक्षक भावी पीढ़ी का निर्माता होता है, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हड़ताल पर जाने के लिये विवश किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो वह विवश होकर हड़ताल से वापस आ गये और उसका नतीजा यह है कि 10 बजे से 4 बजे तक वह स्कूलों में तो जाते हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं, कक्षाओं में जाते हैं लेकिन वह लड़कों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। यह सरकार शिक्षकों के दर्द का अनुभव नहीं कर रही है। मान्यवर, जब चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू की गयी थीं, तो उस पर चर्चा हुई थी, तो उस समय प्रवक्ता वेतन क्रम मे केवल 40 रुपये का अन्तर था और एल० टी० वेतन क्रम समान था। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है, वह अन्य प्रदेशों के पाठ्यक्रम से कठिन है और उस पाठ्यक्रम को यहां के अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहां का पाठ्यक्रम अन्य प्रदेशों के पाठ्यक्रम से अच्छा है, तो मान्यवर, समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये उत्तर प्रदेश के शिक्षक कोर्स तो अधिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन कम दिया जा रहा है। मान्यवर हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी और यह वर्तमान सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि शिक्षक के अन्दर यह जो भूचाल आया है, यह जो तूफान आया है क्यों आया है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं। आपने माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी द्वारा उठाये गये बिन्दु और उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं और वह भलीभांति अवगत हैं कि आज इस समाज में शिक्षकों का क्या स्थान है। आज भी शाश्वत है कि आज भी इस दुनिया में, इस धरती पर शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है और वह भी सामान्य से विशिष्ट से भी ऊपर। गुरू गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय, बलिहारी गुरू आपने गोविन्द दियो बताय। मान्यवर, गुरू आज भी पूजनीय है क्योंकि गुरू ही गोविन्द का ज्ञान देता है। लेकिन आज शिक्षकों की दुर्दशा हो रही है। यह सरकार नया फैसला लागू क्यों नहीं कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर वित्तीय भार अधिक हो रहा है, आखिर क्या कठिनाई आ रही है।

उत्तर प्रदेश की यह सरकार जनता को विश्वास में लेकर चलने की बात करती है तो इस सरकार को जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। इससे पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा जब ऐसी मांग उठायी गयी थी तब उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जबकि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को केन्द्र के बराबर वेतनमान दिया गया। उस समय पूर्व सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

गठित की गयी और उसको जो भी निर्णय था, जो भी सिफारिश थी उसे तुरन्त लागू किया गया था और वह भी अक्षरशः । इससे पूर्व की सरकारों ने भी वचनबद्धता दिखायी थी कि जब भी केन्द्र में कोई वेतनमान बनेगा तो उत्तर प्रदेश में वह अक्षरशः लागू होगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो निर्णय है उसे मंत्रि-परिषद् द्वारा क्या संशोधित कर दिया गया है । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है । जब इस सरकार को सत्ता में आना था तो इसी राजधानी के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी और उस समय भी शिक्षकों का आन्दोलन चल रहा था कि यदि हमारी सरकार केन्द्र और प्रदेश में आती है तो हम सबसे पहले पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे । मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो सिर्फ इस सरकार को उसकी घोषणायें याद दिलाना चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह सब भूल गयी है सत्तामद में ।

श्री जगदम्बिका पाल–

रेवती रमण जी आप सच कह रहे हैं । सत्ता का मद होता ही ऐसा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाये । शिक्षकों के मनोबल के टूटने से आने वाले समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत हो गया । कृपया अब आप समाप्त करें । माननीय मंत्री जी ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने वेतनमानों के ऊपर कुछ चर्चा की, चर्चा में हड़ताल का जिक्र भी है । माननीय पाल साहब ने कांग्रेस के समय में जो शिक्षा के बारे में अपनी टिप्पणियां भी की हैं । मान्यवर, शिक्षक के प्रति आस्था, शिक्षक के प्रति विश्वास इसलिए होता है कि शिक्षक ज्ञान का अर्जन करके ज्ञान का दान देता है, वह ज्ञान का दाता कहलाता है । यह शिक्षा विभाग की सामान्य प्रक्रिया है और शिक्षक का दायित्व है कि जो उसने ज्ञानार्जन किया है उसका दान करे । माननीय पाल साहब ने कांग्रेस के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में कहा । मान्यवर, मैं उन्हें याद दिला दूं उसने शिक्षा विभाग में जो एक मैलापन दिया है, एक कैंसर दिया है, 1986 के बाद जो वित्त विहीन मान्यता की जो नीति अपनाई गयी, वह कांग्रेस के समय में अपनायी गयी जिसका मैला आज तक धो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का उत्तर तो सुन लें । माननीय पाल साहब बैठें ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, कांग्रेस के जमाने में, पाल साहब की यादगार को मैं दोबारा जिन्दा करना चाहता हूं कि एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी केन्द्र के मानकों को राज्य सरकार में स्वीकार नहीं किया था, उनकी पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूं। यहां पर जो हड़ताल की बात कही गयी है, मान्यवर, हमने हड़ताल को नहीं तोड़ा, बल्कि वह अपने आप टूटी। जो शिक्षकों की सूची थी, मान्यवर, रजिस्टरों पर दस्तखत करते थे, कक्षाओं में रहते थे और जो आंकड़े प्रदेश में कलेक्ट किए गये हैं, करीब 30 प्रतिशत के लगभग हड़ताल थी। जो यह आरोप लगाया है कि सरकार ने हड़ताल तोड़ी है, हमने कम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया, बीच का रास्ता ढूंढ़ने का प्रयास किया और बाद में यह हड़ताल अपने आप टूटी। दूसरे जितनी सुविधायें शिक्षकों के लिये इस सरकार के समय में मिली हैं वह शायद कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको एक सपने के रूप में लगेंगी। मान्यता जो पहले 20–20 साल में मिलती थी उसको आज बड़े पैमाने पर देते हैं। मेडिको क्लेम पालिसी जो 50 साल से नहीं दी गयी थी उसको शुरू किया गया है। इसी तरह से जो मूल्यांकन का भत्ता था उसको इस सरकार ने बढ़ाया है। इसी तरह से बहुत सी सुविधायें शिक्षकों को दी गयी हैं। जो वेतन मान केन्द्रीय सरकार ने दिये हैं वह वेतनमान हम नहीं दे पाये हैं इसका कारण यह है कि हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है। लेकिन ऐसे राज्य और हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वहां पर चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान नहीं हैं लेकिन यहां पर सरकार ने दिये हैं। वैसे केन्द्रीय वेतनमानों को राज्य सरकार ने पूरे रूप से स्वीकार नहीं किया है। वित्तीय साधनों की कमी की वजह से मन होते हुये भी जितना वेतनमान देना चाहिये था उतना नहीं दे पाये हैं। इसके बावजूद भी पहला वेतनमान 1-1-96 को दिया और उसके बाद 7 अक्टूबर को उसमें दोबारा संशोधन किया और उसको बढ़ाया गया। तो यह कहना कि वेतनमान नहीं दिये गये हैं या शिक्षकों के प्रति आस्था नहीं है, यह सही नहीं है, इस सरकार की शिक्षकों में पूरी आस्था है लेकिन सरकार के वित्तीय साधनों की सीमायें हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, उच्च शिक्षा में केन्द्रीय वेतनमान देकर समता लागू कर दी है तो इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में जो अध्यापकों में असंतोष है क्या उसके लिये मंत्री जी कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जो इस असंतोष को कम कर सके और केन्द्रीय वेतनमान तथा राज्य वेतनमान में जो विसंगति है उसको कम करने के लिये कोई समिति बनायेंगे ताकि शिक्षकों का असंतोष कम हो सके ? यह वेतनमान उनको मिल सके इसके लिये कोई समिति या कोई योजना सरकार बना रही है ?

डा० नैपाल सिंह–

जो यूनीवर्सिटीज के वेतनमान होते हैं उसमें 80 प्रतिशत धन यू०जी०सी० के द्वारा दिया जाता है। यू०पी० बोर्ड के शिक्षकों के लिये सरकार पर पूरा भार पड़ता है। जो माननीय सदस्य ने समिति के बारे में सवाल पूछा है तो वर्तमान में ऐसी कोई समिति बनाने की योजना नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, लेने के बांट और देने के बांट कैसे अलग-अलग हो जायेंगे।

डा० नैपाल सिंह–

मुझे दुख है कि बाजपेयी जी शिक्षक नहीं हो पाये नहीं तो शायद ज्यादा दुख नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा समाप्त होती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित एम०एस-सी० (टेक) फार्मास्युटिकल्स केमिस्ट्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में देश के कोने-कोने से आये 200 छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सच माने में कहा जाय तो धोखा किया जा रहा है इसके लिये जो आपने चर्चा करने की अनुमति दी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एम०एस-सी० (टेक) फार्मास्युटिकल्स कोर्स 1994 से कराया जा रहा है। 1994 से प्रारम्भ इस कोर्स में एक विज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर छात्र-छात्राओं के प्रवेश लिये गये। यह 6 सेमिस्टर अर्थात 3 वर्ष का कोर्स है। प्रति सेमिस्टर 10 हजार रुपये छात्र-छात्राओं से फीस ली जा रही है। बोर्ड आफ स्टडीज ने 12-2-94 को कोर्स अनुमोदित किया। इसे हाईली प्रोफेशनल जॉब ओरियेन्टेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बताया। न्यूनतम योग्यता के रूप में बी०एस-सी०/बी०फर्मा सहित 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता रखी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं फार्मेसी ऐक्ट के तहत डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा "दि फार्मेसी रोल्स आफ ए०आई०सी०टी०ई०" दि फार्मेसी कांउसिल आफ इण्डिया हैड फ्रेम्ड दि एजुकेशन रेगुलेशन इन 1991 अन्डर सेक्शन 10 आफ दि फार्मेसी ऐक्ट 1948 एज एपरूव्ड बाई दि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड नोटिफाइड देम इन दि गजट आफ इण्डिया पार्ट III सेक्शन 4 नं० 28 डेटेड 11 जुलाई, 1992 एण्ड सब्सीक्वेंटली एमेण्डेड बाई एजूकेशन (एमन्डमेन्ट) रेगुलेशन्स 1994 एण्ड नोटीफाइड इन दि गजट आफ इण्डिया पार्ट III सेक्शन 4 डेटेड 9 जुलाई, 1994 दीज एजूकेशन रेगुलेशन्स 1991 इज सब्स्टीट्यूटेड दि एजूकेशन रेगुलेशन 1981।

मान्यवर, इस ऐक्ट में आगे पृष्ठ–102 से लेकर अन्त तक फार्मेसी ऐक्ट के कोर्स के अध्ययन की व्यवस्था, मानक आदि के बारे में दिया गया है। इसी के तहत इन बच्चों का दाखिला इस कोर्स में होना चाहिए था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो विज्ञापन दिया उसमें हाईली प्रोफेशनल जॉब ओरियेन्टेड कोर्स के रूप में किया। दाखिले के समय इन बच्चों को जो वाऊचर दिया उसमें यह नहीं लिखा कि यह स्व वित्त पोषित कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बताया गया।

(इस समय 5 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) इस कोर्स की मान्यता ए०आई०सी०टी०ई० से होनी चाहिए थी लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। बच्चों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों से और वहां के अधिकारियों से जानकारी करनी चाही वहां से कोई सही जानकारी नहीं मिल पायी। वहां के अधिकारियों ने ए०आई०सी०टी०ई० को चिट्ठी लिखी वह चिट्ठी उन्होंने टेक्निकल विभाग को न लिख करके प्रबन्ध संस्थान को लिखा प्रबन्ध संस्थान वालों ने जवाब दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की बैठक में यह आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने यहां के हेड आफ दि डिपार्टमेंट को 23 मार्च, 1999 को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह कहा कि इस कोर्स के लिए क्वालीफिकेशन एम०एस-सी० होनी चाहिए तथा यह 3 सेमिस्टर का कोर्स होगा अर्थात डेढ़ वर्ष का होगा जबकि इन्होंने क्वालीफिकेशन बी०एस-सी० और बी० फार्मा रखा जो कि 6 सेमिस्टर तथा 3 वर्ष का कोर्स था।

मैंने इस सदन में नियम 51 के अन्तर्गत इसको उठाया तो यह कहा गया कि ए०आई०सी०टी०ई० की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। ए०आई०सी०टी०ई० का कहना है कि हम केवल 3 सेमिस्टर के कोर्स को मान्यता देंगे और उसकी योग्यता बी०एस-सी० व बी० फार्मा न होकर एम०एस-सी० होगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय कहता है कि उसको मान्यता नहीं । अभी एक ग्रुप ए०आई०सी०टी०ई० गया था उसने वाइस-चांसलर को चिट्टी लिखी वह 27 मार्च, 1999 की चिटठी है ।

मान्यवर, इसके अलावा मैं और कुछ बातें रखना चाहूंगा अगर यह कोर्स विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त है तो इस कोर्स की विश्वविद्यालय की डिग्री की मार्कशीट पर असिस्टेंड रजिस्ट्रार की जगह किसी दूसरे अध्यापक या प्रोफेसर या हेड़ आफ डिपार्टमेंट के क्यों हस्ताक्षर होते हैं ? मेरे पास मार्कशीट की फोटो कापियां हैं, जिनमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जगह दूसरे लोगों के हस्ताक्षर हैं । अगर यह मान्यता प्राप्त कोर्स है तो इनकी मार्कशीटों पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या उसके नीचे के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए । मेरे पास बहुत सी मार्कशीटों की फोटों प्रतियां हैं जिन्हें मैं दिखा सकता हूं । उसमें विश्वविद्यालय के छात्रों की मार्कशीटों पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं । इसके अलावा विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है उसकी भाषा और इन छात्र छात्राओं को जो आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं उसकी भाषा में अन्तर है । इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के सामान्य छात्र-छात्राओं एवं एम०एस-सी० (टेक) फार्मास्युटिकल्स केमिस्ट्री पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं की रसीदों में भी अन्तर है । वे इनसे 10,000 रुपये की फीस भी ली जाती है । इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र सेक्रेट्री हायर एजूकेशन को लिखा था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैंने इस सम्बन्ध में कुलाधिपति को भी पत्र लिखा । इस कोर्स के लिए एन०ओ०सी० भी प्राप्त नहीं किया गया जबकि किसी नए पाठ्यक्रमों को चालू करने के लिए एन०ओ०सी० की आवश्यकता होती है । इस कोर्स के लिए ए०आई०सी०डी० से मान्यता नहीं है जबकि अन्य विद्यालयों में जहां यह कोर्स चल रहे हैं उनको यह मान्यता मिली है । मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं । बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नीकल राची में चल रहा है । यही कोर्स पंजाब यूनीवर्सिटी, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, में चल रहा है । वहां इसको मान्यता मिली है । यही कोर्स वेलग्राम कर्नाटक में चल रहा है । मैं इसके अलावा कुछ ख्यातिप्राप्त लोगों की ओपीनियन इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं । श्री राविन मित्रा जो हाईकोर्ट के ख्याति प्राप्त वकील हैं उनकी ओपीनियन के लास्ट पैरा को पढ़कर सुना रहा हूं । सेचुएशन बाई सुटेबिली एमेंडिंग इट्स टेक्निकल कोर्स एकार्डिंग टु द ला आन द प्वाइंट अदरवाइज द स्टूडेंट हू हैव बीन लेफ्ट इन द लर्चड्यू टू द यूनिवर्सिटी माल फंक्शनिंग इन दिस रिगार्ड दी पेड बैक द इन्टायर मनी विह्च इट हैज चार्ज फ्राम देम एण्ड आलसो एडीकेट कम्पन्सेशन फार ह्यूज लास कास्ड टू देम इन टर्मस आफ मनी एण्ड लास आफ प्रेशस टाइम इनर्जी देयरवाई थ्रोइंग देम टु ए डिस्मिसल सेचुएशन ।

दूसरी ओपीनियन लखनऊ विश्वविद्यालय की है । लखनऊ विश्वविद्यालय का यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आगरा का ताजमहल अपना कह कर किसी को बेच दे । मार्कशीट देख कर लगता है कि अथारटी को अपराध बोध है इसीलिए रजिस्ट्रार के स्थान पर हस्ताक्षर न कर बगल में किए गए हैं । रेगुलेशन 94 के अनुसार बिना अप्रूवल के यूनीवर्सिटी यह कोर्स नहीं चला सकती है और यह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो अंग्रेजी में उद्धरण दिए हैं उनका हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, इस विषय को सदन के समक्ष रखकर आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण पर, 200 छात्र/छात्राओं से जुड़ा हुआ यह सवाल है, समूचे देश से आये हुए छात्रों का सवाल है और इससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है, आप इस पर न्याय विभाग की राय ले लें। अगर यह कहता है कि यह नियम विरुद्ध नहीं है तो शासन उसके अनुसार कार्यवाही करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, श्री बाजपेयी जी ने एम०एस-सी० फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम के संदर्भ में यहां पर कुछ बातें उठायीं। इस संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह पाठ्यक्रम फार्मेसी का नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री का पोस्ट ग्रेज्युएट का पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम स्वीकृत किये जाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। इस संबंध में बोर्ड आफ स्टडी ने 11-2-1994 को मान्यता दी, फैकल्टी आफ बोर्ड ने 10-3-95 को मान्यता दी, एकेडेमिक काउन्सिल ने 17-7-95 को मान्यता दी और एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने 21-8-1995 को मान्यता दी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10-5-1996 को ए०आई०सी०टी०ई० को इस पाठ्यक्रम की स्वीकृति हेतु एक पत्र भेजा। उन्होंने यह सूचित किया कि यह टैक्नीकल कोर्स नहीं है, इसलिये यहां से इसके मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय ने एप्रोच किया। स्वयं कुलपति जी ने एप्रोच की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी लिखा गया, उन्होंने भी कहा कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय की परिधि में आता है। इसलिये विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत ही इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। जहां तक छात्रों के साथ खिलवाड़ की बात है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक स्वायत्त शासी संस्था है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम चलाया गया है। मार्कशीट्स पर हस्ताक्षर की बात कही गई और आइडेन्टी कार्ड दो तरह के हैं, इस तरह की बात कही गई। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह टेक्नीकल एजुकेशन वाली बात होती तो तब एन०ओ०सी० की बात आती। मार्कशीट्स पर कभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हस्ताक्षर कर देते हैं तो कभी कन्ट्रोलर हस्ताक्षर कर देते हैं। कभी किसी ने इन मार्कशीट्स की वैधता पर तो प्रश्नचिन्ह लगाया नहीं है। यह तो विश्वविद्यालय का अधिकार है कि वह किसके हस्ताक्षर करवाये। आइडेन्टि कार्ड छात्रों को दिये जाते हैं। वैसे भी मान्यवर, यह सारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वहां से इस पर जो निर्णय होगा, सभी पर उसकी वाइडिंग होगी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात उठायी कि यह टैक्नीकल कोर्स नहीं है। ए०आई०सी०टी०ई० 1987 के ऐक्ट में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गयी है–"टैक्नीकल एजुकेशन 'मीन्स' प्रोग्राम्स आफ एजुकेशन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन इन्जीनियरिंग टैक्नालाजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी एण्ड एप्लाइड आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स एण्ड सच अदर प्रोग्राम आर एरियाज एज दि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट मे, इन कन्सल्टेशन विद दि काउन्सिल, बाई नोटिफिकेशन इन दि आफिस गजट, डिक्लेयर"।

श्री लालजी वर्मा–

सदन की भाषा हिन्दी है। हिन्दी में अनुवाद करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही कह दिया है हिन्दी में अनुवाद करने के लिए।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह कोई मेरे घर का तो ऐक्ट नहीं है। यह ए०आई०सी०टी०ई० की परव्यू में आता है। ...

मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन है और आपसे आग्रह है कि सारे प्रकरण के पक्ष-विपक्ष में न जाकर इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश शासन के न्यायिक विभाग को सन्दर्भित कर दें । छात्र हित में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको न्यायिक विभाग को सन्दर्भित कर दिया जाय और उनकी जो ओपीनियन आ जाय उसको हम शिरोधार्य कर लेंगे । परिभाषा के आधार पर यह कोर्स आई०आई०टी०सी० के अन्तर्गत होना चाहिए । इस तरह से फाल्स आधार पर कोर्स चल रहे हैं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जो आल इण्डिया काउन्सिल फार टैक्नीकल ऐजुकेशन का पत्र है, यह अंग्रेजी में है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं :–

आई एम डायरेक्टेड टु रिफर योर लेटर डेटेड 5-10-94 एण्ड टु से दैट दि आल इण्डिया बोर्ड आफ पोस्ट ग्रेजुएट एजूकेशन एण्ड रिसर्च इन इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी आफ दि ए०आई०सी०टी०ई० डिसाइडेड ऐट इट्स थर्ड मीटिंग हेल्ड आन 10-6-93 दैट दि एम०एस०सी टेक० कोर्सेज आफ 3 इयर ड्यूरेशन विद इन्ट्री लेविल बी०एस०सी० आर इक्वीवैलेन्ट डिग्री विल नाट बी कन्सीडर्ड एज ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इन्जीनियरिंग टेक्नालाजी/फार्मेसी एक्सेट्रा एण्ड एकारडिंगली दि ए०आई०सी०टी०ई० डज नाट एप्रूव सच कोर्सेज ।

अर्थात् यह कोर्स जो लखनऊ विश्वविद्यालय का है उसके परिप्रेक्ष्य में जो पत्र श्री मोती लाल बोरा जी को भेजा गया है उसके उत्तर में उस का कुछ अंश सन्दर्भित करना चाहता हूं ।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा जो पाठ्यक्रम अखिल भारतीय प्रबन्ध विज्ञान समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परिषद् की परिधि में नहीं आते उन पाठ्यक्रमों के लिए परिषद् मान्यता प्रदान करने में असमर्थ है और ऐसे पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा अपने स्तर पर यू०जी०सी० को मान्यता के बाद भी चलाये जा सकते हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्य नहीं है । यह कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :–एम०एल०पी०एम०, एम०बी०एल०, एच०आर०एम०, पी०जी०डी० इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एम०एस०सी० (टैक्नीकल) इन फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जब बाजपेयी जी इस पर चर्चा कर रहे थे आपने प्रति उत्तर में कहा था सब कुछ कहने के बाद कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है । इसलिए यह इम्प्रेशन बनता है कि जाहिर तौर पर यह कोर्स को लेकर कि यह एम०एस०सी० फार्मास्युटिकल का टैक्नीकल और नान टैक्नीकल का है । इसके लिए प्रदेश स्तर से एन०ओ०सी० की आवश्यकता थी । केवल यूनिवर्सिटी को इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार था । अब इससे और ज्यादा प्रश्न उत्पन्न होते हैं क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । सम्भवतः बाजपेयी जी ने चर्चा भी इसी बात को लेकर की । मेरा इससे ज्यादा कन्सर्न नहीं था लेकिन माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद जिज्ञासा हुई कि निश्चित रूप से इस कोर्स के मामले में कन्ट्रोवर्सी बनी है, जो आथेन्टिसिटी है उसको चैलेंज किया गया है । इस तरह के कोर्सेज के नाम पर छात्रों का शोषण हो रहा है ।

लखनऊ जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अन्दर इस तरह के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं जिसकी वैलेडिटी के मामले में चुनौती दी गयी है । इसका मतलब है कि सरकार की नाक के नीचे अवैध तरीके से यह कोर्स हो रहा है इससे गम्भीर प्रकरण और नहीं हो सकता है जैसा कि डा० बाजपेयी जी ने कहा है कि इसको न्यायिक विभाग को परमर्श के लिए सन्दर्भित किया जाना चाहिए । आप स्वयं मान रहे हैं कि यह न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में करेक्टिव स्टेप प्रदेश की सरकार ले, छात्रों के हित में आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से यह ऐसा विषय है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए और जो प्रदेश सरकार का न्याय विभाग है उसमें इवैलुऐट करने के लिए भेजा जाना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मंत्री जी ने एक पत्र 16 नवम्बर, 1994 का पढ़ा और एक पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का पत्र जो श्री मोती लाल बोरा जी को सन्दर्भित है, पढ़ा । मेरा इतना कहना है कि बड़े व्यवस्थित तरीके से इस आई० आई० टी० सी० के प्रबन्धन संस्थान और टैक्नीकल संस्थान है । इस प्रकरण को प्रबन्धन संस्थान को भेज दिया उन्होंने उत्तर दिया कि प्रबन्धक संस्थान की परिधि में नहीं आता है । मान्यवर, मंत्री जी ने दो पत्रों का उल्लेख किया 16 नवम्बर, 1994 और 1995 के पत्र के बारे में बताया । मैंने 23 मार्च, 1999 के पत्र का उल्लेख किया है, श्री खरे का पत्र है इसमें लिखा है कि हमारे परिव्यू में आता है लेकिन वह डेढ़ वर्ष का होगा एम० एस० सी० केमिस्ट्री होगी । भ्रम की स्थिति है, उच्च न्यायालय में वाद है अगर उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो पांच-सात साल लग जायेंगे इसको न्याय विभाग को भेजकर उसकी राय ले लें उसका भी पक्ष आ जाए, अगर निर्णय छात्रों के पक्ष में आ जाता है तो छात्रों का भविष्य बिगड़ने से बच जाएगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

आल इण्डिया काउन्सिल टैक्नीकल एजूकेशन ने दो बार कह दिया परिधि में नहीं आता है उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित है निर्णय होगा तो उसको क्रियान्वयन किया जाएगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

अभी मान्यवर, एक केस बताना चाहूंगा इससे बेहतरीन केस और कोई नहीं हो सकता है । आबकारी विभाग ने अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट के पद पर नियुक्ति की रिक्ति थी एम० एस० सी० बायो केमिस्ट्री लेकिन एम० एस० सी० बायोटैक की नियुक्ति कर दी गई, सरकार कहती रही कि दोनों समकक्ष हैं लेकिन जब उसमें पूछा गया तो मालूम चला दोनों अलग-अलग हैं जाहिर है इस कोर्स को लेकर भी क्रान्ति है इसमें विभाग सलाह ले ले न्याय विभाग से सलाह ले लें, ताकि छात्रों का अहित न हो । इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सुनी चर्चा के दौरान डा० बाजपेयी ने यह तथ्य बताया कि कोई विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त भी है टैक्नोलाजिकल संस्थान है, लेकिन विधिक मान्यता पर प्रश्न चिन्ह है, उठाया मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं, मेरा आग्रह है कि शासन न्याय विभाग से विधिक राय ले ले इससे बहुत से छात्रों का बहुमूल्य जीवन जुड़ा है । इसलिये विभाग इसमें राय ले लें और इसको सुनिश्चित करें कि इन छात्रों का भविष्य किस तरह से अन्धकारमय न हो ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31-3-1999 की बैठक में सदन के दिनांक 1 अप्रैल, 1999 के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य को रखे जाने की सिफारिश की है :–

1–औपचारिक कार्य के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999–आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व–भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999–आधा घण्टा ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा बैठकर कार्य मंत्रणा की सिफारिश पढ़ने पर)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि इस सदन की पीठ से कार्य मंत्रणा की सिफारिश खड़े होकर बताई गयी है । क्षमा करें लेकिन परम्परा का निर्वहन करें ।

(श्री अधिष्ठाता खड़े होकर सूचना पढ़ने लगे)

2–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, श्री राजधारी सिंह, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर सदन में विचार हेतु आधे घण्टे की चर्चा ।

3–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि खालसा पंथ के सृजन के 300वें वर्ष के अवसर पर, वर्ष 1999 को प्रदेश में 'मानव सद्भावना के वर्ष' (इअर आफ द ह्युमन स्पिरिट) के रूप में मनाया जाय ।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशित किये जाने हेतु मा० अध्यक्ष के प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक प्रस्ताव और है !

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के क्रमशः दो सदस्यों तथा एक सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिये विधान सभा के दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के क्रमशः दो सदस्यों तथा एक सदस्य का नाम निर्देशित करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित इन्दिरा आवासों के आबंटन में पात्रता सम्बन्धी नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री राजधारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में तमाम योजनाएं बनायी जाती हैं और इसके लिये शासन गाइड लाइन्स निश्चित करता है । लेकिन कभी-कभी यह देखा जाता है कि जिले का अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं । हमारे बलिया जनपद में काफी भयंकर बाढ़ आयी थी और वहां पर मकान गिर गये थे जिसके कारण इन्दिरा आवास बनने थे । हमारे नावानगर ब्लाक में इन्दिरा आवास बने और जो गाइड लाइन जारी है उसी के संदर्भ में अनुरोध है । जैसे कि इन्दिरा आवास योजना है ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति के लोगों को मुफ्त में इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी और दूसरा यह था कि पात्रता कैसे तय की जायेगी । जो मार्ग निर्देशिका है उसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा गैर अनुसूचित जाति के लोगों को 60 तथा 40 प्रतिशत के हिसाब से इन्दिरा आवास बनाने की सुविधा दी जायेगी ।

(इस समय 6 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

पात्र व्यक्ति के बारे में गाईड लाइन में कहा गया कि पात्र वे व्यक्ति होंगे जो आवास विहीन होंगे । बलिया जनपद में हमारे विधान सभा क्षेत्र में नावानगर ब्लाक में करीब 250-300 इन्दिरा आवास बने । उसमें पात्रता के नियमों की अवहेलना की गयी है । लक्षित समूहों का भी जो अनुपात रखा गया है उसकी भी अवहेलना की गयी है । नदी के किनारे जो गरीब मल्लाह, राजभर, गौण आदि लोग रहते हैं जो बड़ी आबादी में थे नदियों की बाढ़ के दौरान प्रभावित हुए थे । सौ परसेंट केवल अनुसूचित जाति के आवास बनाने की सुविधा मुख्य विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी ने दी । हम लोगों ने इसको जिला योजना की बैठक में रखा, तय हुआ कि गलती हुई है इसको सुधारा जायेगा, लक्षित समूह के अनुपात में इन्दिरा आवास बनाने का काम करेंगे । आज दो महीना हो गया है, विशेषकर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनके आवास ढह गये हैं, उनके लिये उस निर्णय का पालन नहीं हो रहा है । वहां लोगों में इससे असंतोष है । जो शासन की गाईडालाइन्स है, जो लक्षित समूहों और जो पात्रता की बात है उनको ध्यान में रखते हुए बलिया जनपद में नावानगर ब्लाक में प्रदेश स्तर के किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर जांच करायी जाये । जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो । जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास दिये जायें । इस अनियमितता की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इन्दिरा आवास में यह पूरे प्रदेश में अनियमितता की जा रही है पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं दिये जा रहे हैं जो लक्षित समूह है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जो बाढ़ से प्रभावित हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति उनकी पात्रता श्रेणी है, माननीय सदस्य उसे देख लें । ऐसी स्थितियों में भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एक भी आवास नहीं दिया जा रहा है, टाण्डा ब्लाक में दो गांव मरझा उलटाहवा और औसानपुर में बाढ़ के नाम पर जो आवास आवंटित किये हैं उसमें लक्षित समूह के लिये जो दिशा निर्देश हैं उनकी बिल्कुल अवहेलना करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को एक भी आवास न देकर सभी सामान्य लोगों को आवास दिये गये हैं । बड़े पैमाने पर यह गल्ती खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है । इसमें शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश जाने चाहिये । ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिये । उसमें 60 और 40 के अनुसार न देकर सारे के सारे सामान्य लोगों को दिया गया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री शिवेन्द्र सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद बलिया में इन्दिरा आवास आवंटन के बारे में चर्चा आपके द्वारा स्वीकार की गई थी, उसके संबंध में जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार पात्रता का क्रम और लक्षित समूहों की जो परिभाषा है उसमें बाढ़, भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी आवास दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उसी क्रम में 19-7-98 को इन्दिरा आवास कैटेगरी में दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 7-2-99 को जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक में विधायकों ने इस बात की शिकायत की थी, इस पर जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिये थे कि अनुसूचित जाति के परिवारों को 60 प्रतिशत से कम और गैर अनुसूचित जाति के परिवारों को 40 प्रतिशत से ज्यादा आवास उपलब्ध न कराया जाय। इसी आधार पर जनपद बलिया में 1998-99 का जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, 1322 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया है और कुल 377 परिवार सामान्य जाति के हैं, जिनको आवास उपलब्ध कराया गया। जांच की जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, इसके लिये सभी उप जिलाधिकारियों को इन्दिरा आवासों के मामले में अनियमितता की जांच करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिये जा चुके हैं, यही सूचना मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिला सलाहकार समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा बात उठाई गई थी और जिलाधिकारी ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने के बाद भी और जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद भी, जो ग्राम विकास की मार्ग-निर्देशिका है, जिसका जिक्र लालजी वर्मा ने भी किया। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिकन्दरपुर नवागढ़ ब्लाक आता है, वहां जिलाधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया गया और मार्ग-निर्देशिका का भी पालन नहीं किया गया। वहां के खण्ड विकास अधिकारी ने सारे नियम कानून की अवहेलना करके एकतरफा आवास निर्माण का काम कराया। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि प्रदेश स्तर से किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर इस बात की जांच करा लें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो तथा गाइड लाइन के अनुसार इन्दिरा आवास बनें और जो शासन की मंशा है, वह भी पूरी हो सके, इसके लिये प्रदेश स्तर के किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर जांच करायें और जो लोग दोषी पाये जायें उनको दण्ड दिलाया जाय, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री शिवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को 12 जनवरी को आदेश जारी हुये थे कि जो अनियमितता हुई है, उसकी जांच करा लें। जिस विकास खण्ड की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस विकास खण्ड के बारे में अलग से विचार कर लिया जायेगा और जांच आख्या उप जिलाधिकारियों से मिलने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह गम्भीर मामला है, इसे दिखवा लीजियेगा।

प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुए शासन की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 10 प्रमुख विभागों को स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को इकाई मानते हुए .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा दी गई सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, जनपद सीतापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान में कतिपय संशोधन हेतु श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उ० प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अंतिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द ''साहित्य'' से पूर्व शब्द और चिन्ह ''विधि'', रख दिया जाय ....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर के बहुमुखी विकास के लिये लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु निर्माण तथा मार्ग चौड़ा करने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर के बहुमुखी विकास के लिये लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय । मान्यवर, यह वहां के विकास के लिये बहुत आवश्यक है .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय । मान्यवर, अल्मोड़ा नगर एक प्राचीन नगर है .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि में पेटेन्ट संबंधी विधि में संशोधन किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों का उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मान्यवर, पेटेन्ट विधि में संशोधन किया जाना अपेक्षित है .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति पांच गांव विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मोहल्ला में विद्युतीकरण की अनुशंसा के अधिकार के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, प्रदेश में कुल 1,12,804 नं० आबाद ग्राम हैं।

[उपरोक्त में से 31-3-1998 तक केवल 59,812 नं० ग्राम एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत हैं। अतः प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण का स्तर केवल 93 प्रतिशत है। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण का व्यापक प्राविधान किया गया है। तदनुसार शासन ने ग्रामों के विद्युतीकरण की व्यापक योजनायें समय-समय पर तैयार की हैं। ग्रामों के विकास में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए शासन ने शासनादेश संख्या–2492 शा० का०–94-27 सी–3-143 एम, दिनांक 6-10-1994 के द्वारा जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसमें समस्त विधायक एवं सांसद जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरे या आंशिक रूप से जिले में पड़ता है, सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अभियन्ता, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई इस समिति के सदस्य हैं।

यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये गठित है तथा इसमें नगरीय क्षेत्रों के विधायकों का नगरीय क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों में भागीदारी का प्राविधान नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य शासकीय बजटरी सपोर्ट तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत पोषित है।

उपरोक्त समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों को ध्यान में रखते हुए शासन के शासनादेश संख्या–1783पी–3/98-24-73 पी/98, दिनांक 22-7-1998 के द्वारा विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्र के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का निर्णय लिया गया था। यह आदेश जिला सिंचाई व ऊर्जा सलाहकार समिति के क्रम में जारी किये गये थे, क्योंकि इस समिति के अन्तर्गत ही मा० विधायकों द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का चयन किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 53 प्रतिशत विद्युतीकरण स्तर के विपरीत नगरों में विद्युतीकरण स्तर शत-प्रतिशत है। नगरों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रखते हुये प्रणाली सुधार तथा प्रणाली प्रसार/विकास की आवश्यकता बनी रहती है। नगर में विकास संबंधी कार्य नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा उपभोक्ताओं द्वारा जमा योजना में कराया जाता है । इसी प्रकार प्रणाली सुधार संबंधी कार्य परिषद् द्वारा अपने आन्तरिक संसाधन से कराये जाते हैं । यह कार्य तकनीकी आवश्यकता के दृष्टिगत परिषद् द्वारा कराये जाते हैं ।

मा० विधायकों की मांग पर शासन ने निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र के मा० विधायकगण अपने निर्वाचन क्षेत्र के वार्डों/मुहल्लों में रु० 15 लाख का विद्युतीकरण के कार्य करा सकेंगे । यह व्यवस्था वर्ष 1999-2000 के लिये लागू की जा रही है ।]

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा सरकारी धन का दुरुपयोग को रोकने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1999 को नियम 51 के तहत सूचना पर वर्तमान सत्र में स्थिति स्पष्ट करने एवं वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध किया गया जिसे मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य पर चर्चा किये जाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 1999 के लिये स्वीकार किया गया है । मा० सदस्य द्वारा सूचना में व्यक्त किया गया है कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर विकास कार्य कराये जा रहे हैं । जनपद सोनभद्र व चंदौली में मौरम की कोई भी खनन अनुज्ञा पत्र नहीं जारी किया गया है । जिला चंदौली के बकुलघट्टा नामक स्थान से व गंगापुल नामक स्थान से मौरम की अवैध खदान लगाकर आपूर्ति करायी जा रही है जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल ही रहा है किन्तु सरकार के रायल्टी का भी भारी नुकसान किया जा रहा है और मात्र 5 कि०मी० की दूरी से आपूर्ति कराकर मिर्जापुर के लूसा क्वायारी से आपूर्ति दिखाकर 10 गुने से ज्यादा रेट का भुगतान किया जा रहा है । जिससे जहां कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहां सरकारी धन का काफी दुरुपयोग किया जा रहा है ।

इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चतरा में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग राबर्ट्सगंज द्वारा 44.55 कि०मी० लम्बाई की 7 सड़कें, मिर्जापुर नहर प्रखण्ड, मिर्जापुर द्वारा 4.00 कि०मी० लम्बाई की 2 सड़कें एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा 1.97 कि०मी० लम्बाई की 2 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें मौरम का भी उपयोग किया जा रहा है । इस संबंध में जिलाधिकारी मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली से आख्यायें प्राप्त की गई जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली में मौरम के खनन एवं परिवहन हेतु कोई भी खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है ।

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित करायी जा रही एक सड़क भीकमपुर से धर्मदासपुर जिसकी लम्बाई 6.00 कि०मी० है, पर जनपद चंदौली के गंगापुर खदान से 750 घनमीटर मौरम की आपूर्ति ली गई है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा निर्मित करायी जा रही दोनों सड़कों पर जनपद मिर्जापुर के लूसा खदान से 1052.66 घनमीटर मौरम की आपूर्ति ली गई है । जनपद सोनभद्र की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड चतरा में सड़कों के निर्माण के लिये विभाग को 7000 घनमीटर एवं नहर प्रखण्ड को 1980 घनमीटर अर्थात् कुल 8980 घनमीटर मौरम की आवश्यकता होगी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त यह तथ्य पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मौरम जनपद चंदौली के गंगापुर एवं सोनभद्र के चंदौली सीमा के निकट बकुलघट्टा क्षेत्र से अवैध खनन करके लाई जा रही थी, जिसकी पुष्टि होने पर मौरम की आपूर्ति को रोक दिया गया है एवं अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने यह बताया कि स्थानीय स्तर पर मौरम की आपूर्ति की जा रही थी जिसकी गुणवत्ता सामान्यतः ठीक है । निविदा प्राक्कलन में किसी स्थल विशेष का उल्लेख नहीं किया जाता है, केवल दूरी के परिपेक्ष्य में दरें निर्धारित की जाती हैं जो औसत के रूप में होती हैं तथा अभी तक मौरम की आपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है ।

इस संबंध में मौरम के अवैध खनन की पुष्टि होने पर मौरम की आपूर्ति को रोक दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इससे संबंधित भुगतान न करने के आदेश दिये गये हैं । सभी कार्यदायी संस्थाओं को यह निर्देश भी जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दे दिये गये हैं कि संबंधित ठेकेदार के बीजक से मौरम की रायल्टी की कटौती के उपरान्त ही उनका भुगतान करें तथा रायल्टी को संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कराने के पश्चात् चालान संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में भेजें । सभी कार्यदायी संस्थाओं ने जिलाधिकारी, सोनभद्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि विकास खण्ड चतरा में सड़कों के निर्माण में जहां से मौरम की आपूर्ति ली जा रही है, अनुबंध भी वहीं का बना है तथा तद्नुसार ही भुगतान किया जायेगा ।]

एड्स से भी भयंकर बीमारी हिपोटाइटिस 'बी' के प्रदेश व्यापी फैलने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पल्स पोलियो की भांति व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[पीलिया रोग ए, बी, सी, डी तथा ई प्रकार का होता है । सामान्यतः पीलिया का प्रकोप 'ए' तथा 'ई' का होता है जो प्रदूषित जल के सेवन से होता है । 'बी' प्रकार का पीलिया जिसे हिपोटाइटिस 'बी' भी कहते हैं, संक्रमित रक्त तथा रक्त पदार्थों, संक्रमित बाडी फ्लूड जैसे सीमेन वैजाइनल सिक्रीशन सलाइवा (लार) से होता है परन्तु मुख्यतः यह रोग संक्रमित रक्त तथा असुरक्षित यौन सम्पर्क के कारण होता है । पीलिया 'सी' तथा 'डी' संक्रमित रक्त तथा रक्त पदार्थो के कारण होता है । इस प्रकार पीलिया 'बी' अर्थात हिपोटाइटिस 'बी' प्रदूषित जल के कारण नहीं होता है । इसका संक्रमण काल लगभग 45 से 180 दिवस होता है । इस रोग के लक्षण भूख न लगना, जी मिचलाना अथवा उल्टी आना, बदन में दर्द तथा आंखों में पीलापन होता है । यह बीमारी एड्स से गम्भीर तथा उससे 100 गुना व्यापक एवं घातक नहीं है, क्योंकि पीलिया 'बी' के अधिकांश रोगी ठीक हो जाते हैं जबकि एड्स का कोई उपचार नहीं है । पीलिया 'बी' से पीड़ित रोगियों में से 5-10 प्रतिशत क्रानिक पीलिया 'बी' के रोगी हो जाते हैं ।

इन 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत क्रानिक रोगी अथवा कैरीयर में से इक्का दुक्का अति गम्भीर होकर एक्यूट फल्मीनेन्ट हिपोटाईटिस के रोगी हो जाते हैं, जो इसका एक घातक रूप होता है । 5 से 10 प्रतिशत रोगियों में से लगभग 80 प्रतिशत को कालान्तर में लिवर सिरोसिस/लिवर कैंसर हो जाता है जो भी इसका एक गम्भीर स्वरूप होता है । यह रोग एड्स से भयानक इसलिये भी नहीं है कि एड्स के रोगी का मृत्युदर 100 प्रतिशत है जबकि क्रानिक पीलिया 'बी' के रोगी का मृत्यु दर लगभग 30 प्रतिशत होता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पीलिया 'बी' के रोगी की पुष्टि रक्त की जांच द्वारा की जाती है जिसमें आस्ट्रेलिया एन्टीजन धनात्मक पाया जाता है । यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि हीमोडायलेसिस पर रखे रोगी, पोली आरटेराइटिस नोड्सा, क्रानिक परसिसटेन्ट हिपोटाईटिस, सिरोसिस लिवर, डाउन्स सिन्ड्रोम, क्रानिक यूरीमिया, एस० एल० ई० आदि बीमारियों में आस्ट्रेलिया एन्टीजन धनात्मक पाया जा सकता है । अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एस० जी० पी० जी० आई० तथा मेडिकल कालेज जैसे सुपर स्पेशलटीज चिकित्सालय में 20 से 25 धनात्मक रोगी प्रतिदिन मिल सकते हैं तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये सभी रोग पीलिया 'बी' के ही रोगी होंगे । आस्ट्रेलिया एन्टीजन ऋणात्मक पीलिया के रोगी में पीलिया 'ए' अथवा 'ई' प्रकार के होने की सम्भावना मानी जाती है ।

जहां तक जनपद लखनऊ में पीलिया 'बी' के प्रकोप का सम्बन्ध है, मेडिकल कालेज लखनऊ में माह फरवरी, 99 में पीलिया के 41 रोगी भर्ती किये गये थे जिसमें से 41 रोगियों के रक्त की जांच की गई इसमें से लखनऊ के 5 रोगी पीलिया 'बी' के पाये गये इनमें से 2 रोगियों की मृत्यु हुई थी । दिनांक 1 मार्च से 21 मार्च तक मेडिकल कालेज में 27 पीलिया के रोगी भर्ती किये गये जिनमें से 19 रोगियों की जांच की गई तथा जांच उपरान्त लखनऊ का मात्र 1 रोगी पीलिया 'बी' का पाया गया । इसी प्रकार बलरामपुर चिकित्सालय में माह फरवरी एवं 26 मार्च तक 993 रोगियों की पीलिया 'बी' रोग हेतु जांच की गई जिसमें से 5 रोगी पीलिया 'बी' के तथा शून्य मृतक पीलिया 'बी' के कारण पाये गये । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में फरवरी तथा मार्च माह में कुल 39 पीलिया के रोगियों के रक्त की जांच की गई जिसमें से 2 पीलिया 'बी' के रोगी तथा शून्य मृतक पाये गये । संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे गये सभी 11 रोगियों की जांच के उपरान्त कोई भी रोगी पीलिया 'बी' का नहीं पाया गया । कोई मृतक नहीं हुआ । भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर में भर्ती किये गये 10 रोगियों में से 1 रोगी पीलिया 'बी' का पाया गया तथा कोई भी मृतक नहीं हुआ है ।

निजी चिकित्सालयों द्वारा चूंकि सूचनायें महानिदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है अतः निजी चिकित्सालयों की सूचना महानिदेशालय में उपलब्ध नहीं है । सभी निजी चिकित्सालयों को 10 मार्च, 1999 को पुनः पीलिया की सूचना देने हेतु लिखा गया है । हिपोटाईटिस 'बी' का टीका 0 से 10 वर्ष के बच्चों को आधा डोज अर्थात 0.5 एम एल तथा 10 वर्ष से ऊपर की आयु को 1 एम एल का डोज दिया जाता है । एक डोज अर्थात 1 एम एल का मूल्य लगभग रु० 424.00 आता है । एक-एक माह के अन्तराल पर तीन टीके लगाये जाते हैं तथा लगभग साल भर बाद एक बूस्टर डोज, पुनः दस वर्ष पर एक बूस्टर डोज लगाया जाता है, तब जीवन पर्यन्त रोग से लड़ने की प्रतिरोधात्मक शक्ति बन जाती है । सामान्यतया पीलिया रोग 'बी' के छुटपुट रोगियों की सूचना वर्ष भर प्राप्त होती रहती है ।

वर्ष 1997 के प्रारम्भ में पीलिया 'बी' के तीन प्रकोप प्रकाश में आये थे जिनकी जांच राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली द्वारा की गयी थी जिसमें यह पाया गया कि अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा असुरक्षित इन्जेक्शन दिये जाने के कारण यह प्रकोप हुआ था । एन० आई० सी० डी० द्वारा इन जांच परिणामों के उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा पीलिया 'बी' से बचाव हेतु कोई वृहद टीकाकरण की कोई संस्तुति राज्य महानिदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

जिस प्रकार से एड्स रोग फैलता है उसी प्रकार से पीलिया 'बी' रोग का भी प्रसार होता है जैसे असुरक्षित यौन सम्पर्क, संक्रमिक सिरीन्ज का उपयोग तथा दूषित रक्त तथा रक्त पदार्थों के उपयोग एवं रक्त ट्रान्सफ्यूजन से । अतः उक्त दोनों रोगों का बचाव भी समान है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रभावी कदम है । स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावी ढंग से चला रही है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत असुरक्षित यौन सम्पर्क से बचने तथा सुरक्षित ब्लड ट्रान्सफ्यूजन एवं विसंक्रमिक नीडिल तथा सीरीन्ज के उपयोग के सम्बन्ध में राज्य एड्स प्रकोष्ठ द्वारा वृहद प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

जहां तक पल्स पोलिया कार्यक्रम की भांति ही पीलिया 'बी' की रोकथाम हेतु कार्यक्रम चलाये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम UNICEF एवं WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जाता है जिससे स्माल पाक्स की भांति पोलियो भी समूल समाप्त हो जायेगा और भविष्य में पोलियो के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी । जबकि हिपोटाइटिस के लिये इतने वृहत कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह समूल नष्ट किया जा सकता है । पीलिया 'बी' रोग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा टीकाकरण के कोई दिशा निर्देश नहीं है । यदि पीलिया 'बी' से बचाव हेतु टीकाकरण की कोई योजना पल्स पोलियो की भांति भारत सरकार बनाती हैं तो राज्य सरकार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करेगी ।]

जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 के सहायक अभियन्ता श्री आर० के० अग्रवाल द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल कुरील द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री बाबू लाल कुरील, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि श्री आर० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव ने अपने पद का दुरुपयोग एवं शासकीय प्राविधानों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1994-95, 95-96 व 1996 से जून, 97 तक प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए 3 करोड़ रुपये अग्रदायों के माध्यम से प्राप्त किये जिसमें से 40 लाख रुपये से संबंधित अग्रदायों का लेखा-जोखा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया । श्री अग्रवाल द्वारा यह सारा धन हड़पने की नियत से प्राप्त किया गया था । पिछले वर्ष श्री अग्रवाल के विरुद्ध कम्प्यूटर संख्या–सी० आई० 88[illegible]161 व संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–3/91[illegible]न्नाव/98, दिनांक 14-4-98 के द्वारा शिकायती-पत्र मा० [illegible] लोक निर्माण विभाग को भेजा गया था, जिस पर मा० मंत्री जी ने स्थानान्तरण के आदेश दिये थे, परन्तु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने स्थानान्तरण निरस्त कर दिया । तत्पश्चात् उनके [illegible] (मा० सदस्य द्वारा) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को 15-[illegible] को शिकायत की गयी परन्तु मामला गम्भीर होते हुए भी सहायक अभियन्ता के वर्तमान खण्ड में तत्काल कोई कार्यवाही होना सम्भव नहीं है । अतः मा० सदस्य द्वारा सहायक अभियन्ता के वित्तीय अधिकारों को रोकते हुए उनका स्थानान्तरण अति आवश्यक बताया गया है ।

श्री आर० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग उन्नाव के विरुद्ध उपरोक्त शिकायतों/वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी गयी । श्री आर० के० अग्रवाल के नाम वर्ष 95-96, 96-97 [illegible] 97-98 (माह 6/97) तक 3 वित्तीय वर्षों में 123.70 लाख रु० के अग्रदाय खोले गये थे, जिनके विरुद्ध अब तक रुपये 48.24 लाख के अग्रदाय असमायोजित पड़े हुये हैं, जो गबन की श्रेणी में आता है । उक्त वित्तीय अनियमितता के लिये श्री आर० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए निलम्बित कर दिया गया है । श्री अग्रवाल के विरुद्ध मा० मुख्य मंत्री जी को की गयी शिकायत से संबंधित पत्र दिनांक 14-2-99 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । श्री आर० के० अग्रवाल का स्थानान्तरण दिनांक 18-5-98 को उन्नाव से निर्माण खण्ड, शिकोहाबाद में कर दिया गया था परन्तु श्री अग्रवाल के चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगाकर अनुरोध किये जाने के कारण उनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-6-98 द्वारा निरस्त कर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिया गया । खण्ड के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री गिरवर लाल जो दिनांक 30-6-97 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध भी सी० एस० आर० के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश कर दिये गये हैं ।]

मुख्य विकास अधिकारी, जनपद--मथुरा द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[श्री अजय कुमार पोइया, मा० सदस्य विधान सभा ने मथुरा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जानबूझ कर जातीय भावना, भ्रष्ट आचरण, संविधान एवं नियमों के विरुद्ध कार्य किये जाने की सूचना दी गयी है, जिसमें आधारहीन एवं तथ्यों से हटकर रिपोर्ट दर्ज कराने, ग्राम प्रधान नन्दग्राम के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही किये जाने, श्री किशन सिंह पुत्र पन्नालाल, सफाई कर्मचारी को अनियमित रूप से निलम्बित किये जाने, विकास कार्यों में भारी घोटाला किये जाने, धन प्राप्त करके बिलों का भुगतान करने, पंचायत की जिप्सी गाड़ी कम बोली पर नीलामी में देने आदि का उल्लेख किया गया है, के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :-

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुधा सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका संख्या-23376/98 श्रीमती सुधा सिंह बनाम उ० प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक 3-11-98 के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 6-7-98 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग एवं सम्पादन किये जाने हेतु गठित समिति को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुधा सिंह, अध्यक्ष के पद पर पुनः पदारूढ़ हो गयी । श्रीमती सुधा सिंह, जिला पंचायत में अपने पत्र दिनांक 31-12-98 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि कार्यालय का फर्नीचर आदि अनाधिकृत तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के यहां रखे हुए हैं जिन्हें तीन दिन के अन्दर जिला पंचायत में मंगाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज कर दें । उक्त पत्र की प्रति मुख्य विकास अधिकारी को पृष्ठांकित की गई थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिये कि "कृपया तत्काल अनुपालन करें ।" उक्त आदेश में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह इंगित नहीं किया गया कि निर्धारित समयावधि में सामान मंगाये बिना एफ० आई० दर्ज करा दी जाय ।

श्री रामसरन पुत्र श्री लाले प्रधान, ग्राम नवीपुर विकास खण्ड नन्दगांव के विरुद्ध आरोपों/शिकायत की तकनीकी जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अवर अभियन्ता द्वारा कराई गई । उक्त जांच में ग्राम पंचायत ने जवाहर रो० यो० अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 95-96 से 97-98 के मध्य कुल रु० 38,904.75 का कार्य कम पाया गया । तकनीकी जांच दिनांक 20-1-99 के अनुसार कम पाये गये कार्य के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । मा० विधायक द्वारा इंगित किया गया है कि दिनांक 30-7-98 तथा 14-10-98 को की गई जांच में उक्त ग्राम प्रधान निर्दोष पाया गया । इस संबंध में स्थिति यह है कि दिनांक 30-7-98 को किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है । दिनांक 14-10-98 को जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा द्वारा ग्राम पंचायत नवीपुर के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था । मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही के लिये कोई निर्देश नहीं दिये ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री किशन सिंह पुत्र पन्नालाल, सफाई कर्मचारी, जिसे जिला विकास अधिकारी मथुरा के कार्यालय से ब्लाक-फरह में चौकीदार/सफाई कर्मचारी के पद पर स्थानान्तरित किया गया था, के संबंध में उल्लेख करना है कि उसके द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन न करने, कार्यालय अवधि से पूर्व ही कार्यालय छोड़ देने, उच्चादेशों का अनुपालन न करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने, इत्यादि आरोपों के संबंध में जिला विकास अधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 21-9-98 द्वारा निलम्बित कर आरोप-पत्र दिया गया था । ज्ञातव्य है कि उक्त निलम्बन आदेश के पूर्व ही श्री किशन सिंह को विकास खण्ड फरह में स्थानान्तरित किया गया था । रिट याचिका संख्या–30628/98 किशन सिंह बनाम जिला विकास अधिकारी, मथुरा में पारित आदेश दिनांक 21-9-98 जो जिला विकास अधिकारी, मथुरा को दिनांक 8-10-98 को प्राप्त हुआ था, उसके अनुपालन में जिला विकास अधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 12-10-98 द्वारा पूर्व में किया गया । श्री किशन सिंह का स्थानान्तरण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया ।

विकास कार्यों में भारी घोटाला के संबंध में कोई विशिष्ट उल्लेख न होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं ।

अशोक फोटो स्टेट, पुलिस लाइन, मथुरा का भुगतान न किये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि अशोक फोटो स्टेट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन, 1995 को सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचक नियमावलियों की फोटो प्रतियां की गई थी । निर्वाचक नियमावलियों की छपाई फोटो प्रति के भुगतान हेतु वर्ष 95 में रु० 6,60,000/- की धनराशि उक्त जनपद को प्राप्त हुई, जिसके विपरीत 6,59,558/- का भुगतान विभिन्न फर्मों को किये जाने के उपरान्त रु० 2,96,226/- के बिल विभिन्न फर्मों/प्रेसों के लम्बित चल रहे हैं, जिसके भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद से संबंधित किसी फर्म को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है । यह भी अवगत कराना है कि उक्त भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी, मथुरा द्वारा किया जाना है न कि मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा ।

जिला पंचायत की जिप्सी की नीलामी हेतु अध्यक्ष, जिला पंचायत की स्वीकृति दिनांक 27-11-98 के अनुसार श्री मनोज कुमार शर्मा, कर अधिकारी, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रभारी अभियन्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता की एक समिति गठित की गयी । नीलामी हेतु निर्धारित तिथि 9-12-98 का विज्ञापन दैनिक जागरण दिनांक 2-12-98 में प्रकाशित कराया गया । मुख्य विकास अधिकारी उक्त समिति के सदस्य नामित नहीं थे । निर्धारित तिथि दिनांक 9-12-98 को उपस्थित लोगों में से सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गयी ।]

प्रदेश की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालय बनाये जाने के संबंध में डा० राम बाबू हरित, द्वारा नियम–51 की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[अस्पृश्यता निवारण तथा मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा नगरों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये घरेलू शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किये जाने के उद्देश्य से नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य नगर विकास अभिकरण, उ० प्र० द्वारा केन्द्र वित्त पोषित स्वच्छकार विमुक्ति योजना का कार्यान्वयन वर्तमान में प्रदेश के 69 नगरों में किया जा रहा है । उक्त 69 नगरों में से आगरा नगर में उक्त योजना वर्ष 1997-98 से लागू की गयी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत आगरा नगर हेतु कुल रुपये 5293.18 लाख की परियोजना हडको द्वारा स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध कुल 1.19 लाख जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । हडको द्वारा स्वीकृत उक्त परियोजनान्तर्गत आगरा नगर को विभिन्न मलिन बस्तियों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे निर्धनों के अब तक 7850 जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है, अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत आगरा नगर को विभिन्न मलिन बस्तियों में स्थित शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने तथा शौचालय रहित आवासों में भी जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है । इस प्रकार इस योजना से आगामी 03 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के घर शौचालय युक्त हो जायेंगे, और उन्हें खुले स्थान पर जाने से मुक्ति मिलेगी तथा बस्तियों का पर्यावरण स्वच्छ होगा ।

राज्य नगर विकास अभिकरण, उ० प्र० द्वारा ही संचालित राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा नगर को मलिन बस्तियों में 06 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 01 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है । निर्मित होने वाले उक्त सामुदायिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था व रखरखाव का कार्य आगामी 30 वर्षों तक निर्माण करने वाली संस्था द्वारा ही किये जाने का प्राविधान है ताकि शौचालय स्वच्छ एवं अच्छी दशा में रहें ।]

सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में छात्रों की कमी तथा अध्यापकों की संख्या पूरी होने के मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति के घपलों की जांच के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसे कल के लिये स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में वस्त्र व्यवसाय पर प्रस्तावित ''प्रवेश कर'' लगाये जाने से उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में श्री धनीराम वर्मा व अन्य सदस्यों द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या–52 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, प्रयोग या विक्रय के माल के प्रवेश पर ''प्रवेश कर'' लगाने का अधिकार है । इस ''प्रवेश कर'' को संविधान के भाग 13 के प्राविधानों के अधीन रखा गया है । भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 सम्मिलित है । अनुच्छेद 304 के प्राविधानों के अनुसार कोई भी राज्य सरकार प्रदेश के बाहर से आयात किये गये माल पर केवल वही कर आरोपित कर सकती है जो उस राज्य में विनिर्मित अथवा उत्पादित माल पर लगता है । इस प्रकार प्रदेश के बाहर से आयात किये गये माल तथा प्रदेश के अन्दर विनिर्मित या उत्पादित माल के मध्य कोई विभेद नहीं किया जा सकता है इसके अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर लोकहित में युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं परन्तु इसके लिये महामहिम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भारत के कई राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बिहार में इस प्रकार का "प्रवेश कर" लगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में "प्रवेश कर" लगाने का निर्णय लिया है। "प्रवेश कर" लगने के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर से आने वाले माल की जांच प्रदेश की सीमा की जांच चौकियों पर किये जाने के फलस्वरूप वस्तुओं के स्वतंत्र परिवहन में आवश्यक रोक लगेगी, इस कारण "प्रवेश कर" लगाने से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त करने के लिये भेजा गया है जो वहां पर लम्बित है। उनकी अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही वह लागू किया जायेगा।

यह "प्रवेश-कर" उसी स्थानीय क्षेत्र में लगाया जायेगा जिसमें वस्तु को उपयोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये लाया जायेगा। यह कर एकसूत्रीय होगा अर्थात यदि एक स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर लग चुका है तब दूसरे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर पुनः कर नहीं लगेगा। प्रदेश में उत्पादित या विनिर्मित माल पर जितना कर लगेगा उतना ही कर प्रदेश के बाहर से आयातित वस्तु पर भी लगेगा। इस प्रकार प्रदेश में विनिर्मित तथा प्रदेश के बाहर से आयातित वस्त्रों पर एक समान कर लगेगा। अतः "प्रवेश-कर" लगने से उत्तर प्रदेश के वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात सही नहीं है।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी के किनारे के ग्रामों में किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर अवैध बालू खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1999 को विधान सभा के नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की गई थी कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी के तट पर ग्राम रायपुर, खादर, असगरपुर, जागीर व चकबसन्तपुर की जमीन का बालू खनन हेतु पट्टा अवैधानिक तरीके से हाजी व उसके साथियों ने सन् 1994 में तत्कालीन डी०एम० से करा लिया था इन अवैध पट्टों की आड़ में इन ग्रामों के किसानों की जमीनों पर भी जबरन कब्जा कर अवैध खनन किया जाता रहा है तथा भारी मशीनों के द्वारा तट के साथ प्रतिबन्धित क्षेत्र में भी अवैध खनन जारी है। जिससे बांध को भी खतरा पैदा हो गया है। पिछले वर्ष भारी शिकायतों के आधार पर इनकी गतिविधियों को प्रतिबन्धित कर दिया गया था, उसके पश्चात् इन्होंने पुनः खनन शुरू कर दिया है तथा किसानों की जमीनों में भी जबरन निशानदेही पर कब्जा करने का षड़यंत्र शुरू कर दिया है। जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व असंतोष व्याप्त है।

मा० अध्यक्ष विधान सभा द्वारा उक्त सूचना पर वक्तव्य दिनांक 31 मार्च, 1999 हेतु स्वीकार किया गया है।

प्रश्नगत जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी के तट पर ग्राम रायपुर खादर, असरगरपुर, जागीर व चकबसन्तपुर में वर्तमान में निम्न खनन पट्टे तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा 9 वर्ष 7 माह के लिये दिनांक 2 मार्च, 1994 से निष्पादित किये गये हैं :–

1—सर्वश्री नेशनल सैंड सप्लाई कम्पनी के पक्ष में ग्राम रायपुर खादर में।

2—सर्वश्री ओरियन्टल सैंड सप्लाई कं० के पक्ष में ग्राम असगरपुर जागीर में।

3—सर्वश्री ओखला सैंड सप्लाई कं० के पक्ष में ग्राम चकबसन्तपुर में।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त पट्टों की प्राथमिकता आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की गई थी तथा शासनादेश सं० 4089/18-12-93-6(402)/93, टी०सी० दिनांक 22 नवम्बर, 1993 द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद को दिये गये निर्देश के अनुपालन के अन्तर्गत था । उक्त सभी पट्टे नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं तथा वैधानिक हैं । अतः जब तक पट्टेदारों द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है तब तक उनको निरस्त करना नियमानुसार नहीं होगा । तद्नुसार उनको निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । उक्त तीनों पट्टों के विरुद्ध शासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जिसकी जांच मण्डलायुक्त मेरठ द्वारा कराई गई एवं उसमें प्रतिकूल तथ्य प्राप्त न होने के कारण पुनः शासनादेश संख्या 1075/18-11-98, दिनांक 4 मार्च, 1998 के द्वारा पट्टाधारकों को खनन कार्य के आदेश भी जारी कर दिये गये । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टे वैधानिक हैं । अतः उनको निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है ।]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा कथित रूप से शासकीय आदेशों की अवहेलना कर अनियमिततायें व भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसको कल के लिये स्थगित किया जाता है ।

जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा द्वारा वर्ग–3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा के लिये वर्ग–3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण में बरती जा रही अनियमितता तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या कर उसका दुरुपयोग करने का उल्लेख प्रश्नगत सूचना में किया गया है ।

जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के संचालक मंडल द्वारा वर्ष 1993 में वर्ग–3 के कतिपय कर्मियों को उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1985 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया । इस विनियमितीकरण में उन कर्मियों को भी सम्मिलित किया गया जो वर्ष 1972 से 1974 तक नियुक्ति किये गये थे और बैंक द्वारा स्थायी कर दिये गये थे बैंक द्वारा 1972 से 1974 तक नियुक्त किये गये कर्मियों के विनियमितीकरण से पूर्व उनसे इस आशय का आश्वासन पत्र मांगा गया कि वे दो वर्ष में निबंधक द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण कर लेंगे तभी उनके विनियमितीकरण पर विचार किया जायेगा । कतिपय कर्मियों ने इस पत्र से क्षुब्ध होकर मा० उच्च न्यायालय से उक्त पत्र दिनांक 7-3-90 का स्थगन प्राप्त कर लिया । मा० उच्च न्यायालय नें अपने आदेश में कहा कि यदि वादीगण स्थायी हो चुके हैं तो उक्त पत्र दिनांक 7-3-90 का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा । इस निर्णय के उपरान्त बैंक द्वारा बिना अपेक्षित आश्वासन लिये उक्त वादी कर्मियों सहित वर्ग–3 के कर्मियों का वर्ष 1993 में विनियमितीकरण कर दिया तथा वर्ग–3 के कर्मियों की वर्ष 1995 में वरिष्ठता सूची बैंक द्वारा जारी कर दी गई । वरिष्ठता सूची में वर्ष 1993 में विनियमित कर्मियों को वर्ष 1980 में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ माना गया है । ज्येष्ठता सूची जारी होने के उपरान्त कतिपय कर्मियों ने सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में उ०प्र० सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली, 1975

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के विनियम संख्या 26(2) के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया उक्त सेवा मंडल द्वारा बैंक को अवगत कराया गया कि वर्ष 1993 में विनियमित कर्मचारी वर्ष 1980 में चयनित कर्मचारियों से वरिष्ठ नहीं हो सकते सेवा मंडल का पत्र प्राप्त होने के बाद बैंक द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया जिसमें कहा गया कि बैंक द्वारा प्रश्नगत वरिष्ठता सूची में किसी परिवर्तन का औचित्य नहीं है । तद्नुसार सेवा मंडल को अवगत कराया गया, तो सेवा मंडल द्वारा बैंक से अनुरोध किया गया कि वह मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 27-3-1990 को रिक्त कराने की कार्यवाही करे, तभी इस प्रकरण का अन्तिम निस्तारण संभव हो सकेगा । मा० उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है और अभी स्थगन आदेश रिक्त नहीं हो सका है ।]

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनेक प्रकरण प्रकाश में आने तथा उसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत होने वाले विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य तथा परियोजना पर होने वाले व्यय के विषय में कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण की व्यवस्था के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य-योजना के द्वितीय चरण के कार्यों के विषय में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हरिद्वार में गंगा प्रदूषण.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में गत वर्ष आलू किसानों की दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुये आलू की आगामी फसल हेतु शीतगृह आदि की विशेष व्यवस्था किये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में गत वर्ष आलू किसानों की .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

जनपद हरदोई स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल, सण्डीला के बन्द होने तथा मिल श्रमिकों की दयनीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसे चालू किये जाने हेतु संसाधन जुटाने के विषय में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, जनपद हरदोई स्थित उत्तर प्रदेश राज्य .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में से किसी जिले में भी विश्वविद्यालय न होने के विषय में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर मिर्जापुर मण्डल के तीन जिलों में .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार उसका पालन सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा अन्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में ऋण जमा धनराशि .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को कम करने के संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाये जाने विषयक श्री राम औतार शाक्य एवं अन्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री राम औतार शाक्य–

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या.....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये की स्थिति तथा एक निश्चित अवधि के उपरान्त बकाया गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने के विषय में श्री जगदम्बिका पाल एवं अन्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चर्चा कैसे जारी रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

नियमानुसार कार्यवाही होगी ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के भत्तों के पुनरीक्षण से संबंधित शासनादेश जारी न किये जाने के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उ०प्र० सचिवालय में कार्यरत .....

श्री अधिष्ठाता–

पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस पर चर्चा की तो कोई जरूरत है नहीं ।

प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिये "एकल खिड़की" प्रणाली प्रारम्भ करने तथा इस हेतु उद्यमियों के लिये निर्बाध विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कराये जाने के विषय में श्री राम औतार शाक्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

(अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।)

(इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
31 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 158 विधान सभा (492) 1999–813 (डी० टी० पी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा